मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

विषय-सूची

धाराएं :

पहला अध्याय-प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार तथा प्रारंभ
2. परिभाषा

दूसरा अध्याय - रजिस्ट्रीकरण

3. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी.
4. सोसाइटियां जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी.
5. परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण.
6. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें.
7. रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन.
8. कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.
9. रजिस्ट्रीकरण.
9. ए/क विद्यमान सहकारिताओं की व्यावृत्ति
10. सोसाइटियों का वर्गीकरण.
11. सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन.
12. उपविधियों के संशोधन के लिये निदेश देने की शक्ति.
13. नाम की तब्दीली.
14. कतिपय प्रमाण-पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना.
15. सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना.
16. सोसाइटियों का पुनर्गठन.
16-ए/क. सोसाइटियों द्वारा सहयोग.
16-बी/ख. सोसाइटियों की भागीदारी
17. दायित्वों के प्रतिसंदाय के लिये समझौता या ठहराव तथा सोसाइटियों का पुनर्निर्माण.
17-ए/क. अधिस्थगन के अधीन बैंकों की कार्यवाही तथा उनका दायित्व.
17-बी/ख. डिपाजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन को प्रतिसंदाय करने का नवीन बैंकों का दायित्व.
18. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.
18-ए/क. सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण का समाप्त किया जाना.

तीसरा अध्याय- सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार

19. व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे.
19-ए/क. सदस्य की निरर्हताएं.
19-बी/ख. पश्चात्वर्ती निर्योग्यताओं का प्रभाव.
19-सी/ग. सदस्यों का निष्कासन.
20. नाममात्र के सदस्य.
21. जब तक सम्यक् संदाय न कर दिये जाये सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
22. सदस्यों के मत.
23. मत का प्रयोग करने की रीति.
24. किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बन्धन.
25. अंशों या हित के अन्तरण पर निर्बन्धन.
26. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अन्तरण.
27. अंश या निक्षेप या हित कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा.
28. पुस्तकें आदि देखने के सदस्यों के अधिकार.
29. भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपदा का दायित्व.
30. सदस्यों का दिवाला

चौथा अध्याय- सोसाइटियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, उनकी संपत्ति तथा निधियां

31. सोसाइटियां निगमित निकाय होंगी.
32. सोसाइटी का पता तथा नाम का संप्रदर्शन.
33. सदस्यों का रजिस्टर.
34. सोसाइटी की पुस्तकों में प्रविष्टियों का सबूत.
34-ए/क. सोसाइटी सदस्यों को पास-बुक देगी.
35. लिखतों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से छूट.
36. उधार लेना.
37. उधारों के दिये जाने पर निर्बन्धन.
37ए/क लुप्त
38. सदस्येतर व्यक्तियों के साथ अन्य संव्यवहारों पर निर्बन्धन.
39. सदस्यों के अंश या हित की बाबत भार एवं मुजराई.
40. कतिपय आस्तियों पर सोसाइटी का पूर्विक (प्रथम) दावा.
41. कतिपय आस्तियों पर सहकारी सोसाइटियों का प्रथम भार.

41-ए/क. स्थावर संपत्ति का अर्जन तथा व्ययन करने का सोसाइटी का अधिकार.
42. कतिपय दशाओं में सोसाइटी के दावे की पूर्ति करने के लिये वेतन में से कटौती.
43. निधियां तथा लाभ.
43-ए/क. लाभों का विनियोजन.
43-बी/ख. घाटे के लिए दायित्व.
44. निधियों का विनियोजन.
45. सोसाइटियों को राज्य सहायता का मंजूर किया जाना.
46. कर्मचारियों की भविष्य निधि.
47. संघीय सोसाइटी से सम्बद्ध किये जाने के निदेश देने की शक्ति.
47-ए/क. शीर्ष सोसाइटी.

पांचवा अध्याय- सोसाइटियों का प्रबंध

48. सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार.
48-ए/क. विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिये निरर्हताएं.
48 कक. संचालक मंडल की सदस्यता के लिये और प्रतिनिधित्व करने के लिये निरर्हता.
48-बी/ख. प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त.
48-सी/ग. संचालक मंडल की शक्तियां.
49. वार्षिक साधारण सम्मिलन.
49ए/क लुप्त
49-बी/ख. संचालक मंडल की कार्यवाहियों का उत्तराधिकारी समिति द्वारा बातिलीकरण।
49-सी/ग. लोकहित आदि में निर्देश देने की सरकार की शक्ति.
49-डी/घ. विनियम बनाने के निदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति.
49ई/ङ. कतिपय परिस्थितियों में प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति.
50. विशेष साधारण सम्मिलन.
50-ए/क. सोसाइटी के संचालक मंडल का प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिये निरर्हता.
50एए/कक लुप्त
51. कार्यों का विधिमान्यकरण.
52. सरकारी नाम निर्देशितियों को नियुक्त करने की शक्ति.
53. संचालक मंडल का अतिष्ठान.
53-ए/क. कार्यभार ग्रहण किया जाना.

53-बी/ख. कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति.
53सी/ग सहकारी बैंक के अधिकारी का हटाया जाना
54. प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.
55. सोसाइटियों में के नियोजनों की शर्तों का अवधारण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.
56. बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति.
57. अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.
57-ए/क. अभिलेख तथा संपत्ति का कब्जा लेना.

अध्याय-5-क
सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन

57-ख संचालक मंडल का निर्वाचन
57-ग राज्य सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी
57-घ प्राधिकारी के कृत्य
57-ङ निर्वाचन व्यय
57-च निदेश जारी करने की शक्ति

छठवां अध्याय
संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण

58. संपरीक्षा तथा संपरीक्षा फीस.
58-ए/क. संपरीक्षा बोर्ड.
58-बी/ख. किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिये प्रक्रिया.
59. जांच.
59-ए/क. जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य.
60. सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण.
61. त्रुटियों की परिशुद्धि.
62. जांच के खर्चे.
63. लुप्त
63-ए/क. कार्यवाहियों आदि पर व्यय.

सातवां अध्याय-विवाद तथा माध्यस्थम

64. विवाद.
65. परिसीमा.

66. विवाद का निपटारा.
67. विवाद के निपटारे के लिये प्रक्रिया तथा रजिस्ट्रार, उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड की शक्ति.
68. अधिनिर्णय के पूर्व कुर्की.

आठवां अध्याय- समापन

69. सोसाइटियों का परिसमापन.
69-ए/क. सहकारी बैंक का परिसमापन.
69-बी/ख. बीमाकृत बैंक के मामले में डिपाजिट इन्शोरेंश कारपोरेशन की प्रतिपूर्ति.
70. समापक की नियुक्ति.
70-ए/क. समापक का नियंत्रण.
71. समापक की शक्तियां.
72. समापित सोसाइटियों की अधिशेष आस्तियों का व्ययन.

अध्याय-8 (क)
सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों के लिए विशेष उपबंध

72-ए/क. अध्याय का लागू किया जाना.
72-बी/ख. भू-खंड, भवन और सुख-सुविधाओं के लिये सदस्य की हकदारी तथा व्यय का दायित्व.
72-सी/ग. गृह निर्माण सोसाइटी की सदस्यता पर निर्बन्धन.
72-डी/घ. अपराध.
72-ई/ङ. अपराधों के लिये शास्तियां.

नवां अध्याय- अपराध तथा शास्तियां

73. शब्द ''सहकारी'' के प्रयोग का प्रतिषेध
74. अपराध.
75. अपराधों के लिये शास्तियां.
76. अपराधों का संज्ञान.

दसवां अध्याय- अधिकरण का गठन

77. म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण.
77-ए/क. पुनर्विलोकन.
77-बी/ख. अधिकरण सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा.
78. रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें.
78-ए/क. कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमाकाल का बढ़ाया जाना.
79. कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा.
80. मामलों का अंतरण या प्रत्याहरण.

80-ए/क. अधिनस्थ अधिकारियों को कार्यवाहियाँ मंगाने और उन पर आदेश पारित करने की राज्य सरकार और रजिस्ट्रार की शक्ति.
80-बी/ख. लंबित मामलों का अंतरण.

ग्यारहवां अध्याय- प्रकीर्ण

81. सरकार को शोध्य राशियों की वसूली.
81-ए/क. सहकारी सोसाइटी के व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने की किसी वित्तदायी बैंक की शक्ति.
82. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.
83. खर्चे की वसूली.
84. भार का प्रवर्तन.
84-ए/क. कतिपय सोसाइटियों को शोध्य राशियों की वसूली.
85. आदेशों आदि का निष्पादन.
85-ए/क स्थावर संपत्ति का कब्जा देने के आदेश को निष्पादित करने की रीति.
86. सूचना की तामील.
87. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी आदि, लोकसेवक होंगे.
88. सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये परित्राण.
89. सिविल न्यायालयों की शक्तियां.
90. रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सशक्त किया गया व्यक्ति कतिपय प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय होगा.
91. लुप्त
92. कम्पनी अधिनियम लागू नहीं होगा.
93. कतिपय अन्य अधिनियम सहकारी सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे.
94. वादों में सूचना देना आवश्यक होगा.
95. नियम बनाने की शक्ति.
96. निरसन तथा व्यावृत्तियां.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962

विषय - सूची

	नियम	पृष्ठ क्रमांक
	पहला अध्याय - प्रारंभिक	
1.	संक्षिप्त नाम एवं विस्तार.	
2.	परिभाषाएं.	
	दूसरा अध्याय - पंजीयन	
3.	पंजीयक की सहायता के हेतु अधिकारियों के वर्ग.	
4.	पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र.	
5.	आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कार्यविधि.	
5-क	सहकारिता का सहकारी सोसाइटियों में स्वमेय रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही	
6.	विषय जिनके संबंध में उपविधियाँ बनाई जा सकेगी.	
7.	उपविधियों के संशोधन की विधि.	
8.	धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन आज्ञा तामील करने की रीति.	
9.	संस्था के नाम में परिवर्तन करने के लिये पालन की जाने वाली शर्तें एवं अपनाई जाने वाली विधि.	
10.	दायित्व में परिवर्तन करने के लिये पालन की जाने वाली शर्तें एवं अपनाई जाने वाली विधि.	
11.	संस्थाओं का पुनर्गठन.	
12.	दायित्वों के प्रतिशोधन के लिये समझौता या व्यवस्था.	
12.	ए/क	
	तीसरा अध्याय - सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार	
13.	लिखित वचन का रूप.	
14.	सदस्यों के प्रवेश के लिये पालन की जाने वाली शर्तें.	
14-ए/क.	अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया.	
15.	(लुप्त)	
16.	वार्षिक साधारण सभा के पूर्व सदस्यों का प्रवेश या हिस्सों का अन्तरण.	

17. सदस्य का हटाना व हिस्से की वापसी.
17-ए/क. ऋण आदि के भुगतान लेखे का समायोजन.
18. (लुप्त)
19. उत्तराधिकारी का नामांकन.
20. सदस्य के हिस्से या हित का मूल्य निर्धारित करने की विधि.
21. रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण.

चौथा अध्याय - संस्थाओं के कर्त्तव्य, विशेषाधिकार, संपत्ति तथा विधियाँ

22. संस्थाओं का पता.
23. सदस्य और हिस्सों का रजिस्टर तथा सदस्यों की सूची.
23-ए/क. संघीय सोसाइटियों में व्यष्टिक सदस्यों के मतदान के अधिकार.
24. प्रतिलिपियाँ प्रमाणित करने की रीति.
24-ए/क. सदस्यों को लेखा विवरण का प्रदाय.
25. ऋण प्रदान किये जाने पर निर्बंधन.
25-ए/क. उधार आदि की प्रज्ञापना तहसीलदार को दी जाना.
26. ऋण देने वाली एक से अधिक संस्था से उधार लेने पर निर्बंधन.
26-ए/क. किसी सदस्य द्वारा एक ही जिले में की सम्पूर्ण जोत पर उधार लिया जाना.
27. सदस्य की ऋण सीमा का निर्धारण.
28. डूबन्त ऋणों का बट्टेखाते डालना.
29-अ. सदस्यों से व्यवहार करने पर निर्बंधन.
30. अंशदान की दर.
31. रक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य निधियों का विनियोग एवं उपयोग.
32. संस्थाओं को राज्य सहायता.
33. कर्मचारियों की भविष्य निधि.

पांचवां अध्याय - संस्थाओं का प्रबंध

34. साधारण सभाएं
35. पंजीयक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बुलाई जाने वाली विशेष साधारण सभा.
36. साधारण सभा का अध्यक्ष.

37. साधारण सभा के लिये गणपूर्ति.

38. साधारण सभा के कार्यवृत्त.

39. साधारण सभा में मतदान.

40. साधारण निकाय द्वारा कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन.

41. (लुप्त)

42. (लुप्त)

43. कमेटी की नियुक्ति.

43.क समिति के अध्यक्ष या पदाधिकारियों का हटाया जाना।

44. कमेटी की सदस्यता के लिये अयोग्यता.

45. प्रतिनिधित्व के लिये अयोग्यता.

46. अनुबंध आदि में हित रखने का निषेध.

47. वकील के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध.

48. कमेटी की सभा की सूचना.

49. राज्य शासन के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति.

49-क. राज्य सहायता प्राप्त सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ और कर्त्तव्य.

49-बी/ख (लुप्त)

अध्याय-5-क

सहकारी सोसाइटियों में निर्वाचन संचालन की प्रक्रिया

49.ग निर्वाचन हेतु सदस्य सूची तैयार किया जाना

49.घ रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति

49.ङ संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया

49.च संचालक मंडल द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधियों का निर्वाचन

49.छ आकस्मिक स्थिति में तथा मतपेटी के विनिर्दिष्ट हो जाने या मतपत्र के गड़बड़ी हो जाने की दशा में मतदान का स्थगन

49.ज प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से निर्वाचन

49.झ प्रतिभूति निक्षेप की वापसी या समपहरण

49.ञ प्राधिकारी के वेतन, अन्य भत्ते, सेवा के निबंधन तथा अन्य शर्ते

49.ट

छठवां अध्याय - जांच, आडिट, निरीक्षण और पर्यवेक्षण

50. आडिट संचालन करने की विधि.

50-क. आडिट शुल्क का उद्ग्रहण

50-ख. (लुप्त)

51. पक्के चिट्ठे का प्रकाशन.

सातवां अध्याय - विवाद तथा पंच-निर्णय

52. विवाद का निर्देश.

53. पंजीयक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के मण्डल की नियुक्ति.

54. विवादों के निर्णय करने के व्यय का आरोपण.

55. निर्णयों अथवा पंच निर्णयों की निष्पादन विधि.

56. धारा 68 के अधीन जप्त की गई सम्पत्ति की अभिरक्षण विधि.

आठवां अध्याय - परिसमापन

57. परिसमापक द्वारा अपनाई जाने वाली विधि.

58. संस्था जिसका पंजीयन निरस्त किया गया हो उसके अभिलेखों का निराकरण.

58-क. शासकीय समुनुदेशिती द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.

नवां अध्याय - अपीलें तथा पुनरीक्षण

59. अपीलों को प्रस्तुत करने एवं निराकरण में अपनाई जाने वाली विधि.

59-क मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा अन्य भत्ते, सेवा के निबंधन तथा अन्य शर्तें.

60. रजिस्ट्रार द्वारा अपील को निपटाने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया.

61. सदस्यता का आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने के विरुद्ध अपील.

दसवां अध्याय - जय पत्रों का निष्पादन

62. निष्पादन के हेतु वसूली अधिकारी को आवेदन पत्र.

63. निष्पादन की विधि.

64. जमीन पर की फसलों सहित विशिष्ट चल संपत्ति की जप्ती और विक्रय.

65. अन्य चल सम्पत्ति की जप्ती.

66. अचल सम्पत्ति की जप्ती एवं विक्रय.

66-क. स्थावर संपत्ति की कुर्की तथा उसे पट्टे पर दिया जाना.

66-ख. पट्टेदार को स्थाई अधिकार नहीं होगा.

66-ग. निर्णीत ऋण को भूमि के प्रत्यावर्तन संबंधी प्रक्रिया.
67. आपसी अंतरण पर जप्ती का प्रभाव.
68. भत्ता, व्यय तथा भुगतान की पावतियाँ.
68-क. पट्टे के लिये किये गये व्यय तथा भुगतान की पावतियाँ.
69. जप्त की गई सम्पत्ति पर दावों की जाँच.
69-क. पट्टे पर अंतरित करने हेतु कुर्क करायी गई सम्पत्ति के दावों की जाँच.
70. प्रथम विक्रय में क्रेता की गई त्रुटि से पुनः विक्रय में होने वाली हानि.
70-क. प्रथम पट्टे पर अंतरण में पट्टेदार द्वारा की गयी ऋण के कारण ऋणि द्वारा हानि.
71. जयपत्र धारी की त्रुटि के कारण निष्पादन अर्ज खारिज करना.
72. सम्पत्ति का वितरण जबकि अनेक जयपत्रों के अधीन माँग की गई हो.
73. निर्णीत ऋणी की मृत्यु-वैध प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादन.
74. इन नियमों के अधीन जारी आदेशिकाओं के शुल्क.

ग्यारहवां अध्याय - विविध

75. समन्स तामीली की रीति.
76. सूचना पत्र या आदेश पत्र का प्रमाणीकरण.
77. आदेश, निर्णय अथवा पंच निर्णय की संसूचना.
78. निरसन और व्यावृत्ति.

प्रारूप

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

अधिनियम क्रमांक 17 सन् 1961

(अद्यतन संशोधित)

दिनांक 28 अप्रैल, 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति 'मध्यप्रदेश राजपत्र' में दिनांक 12 मई, 1961 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

''लोकतांत्रिक साधन के रूप में और स्वयंसेवी तथा पारस्परिक सहायता पर आधारित लोक संस्थाओं के रूप में सहकारिताओं को संगठित करने, उनका विकास करने और उनकी स्वैच्छिक रचना, स्वशासी कार्यकरण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोन्नत करने और जनता के विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक - आर्थिक विकास, सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम।''.

भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

पहला अध्याय

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ-** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 है।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

   (3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषा:-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (ए/क) 'अपर रजिस्ट्रार' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार;

   (ए/क-एक) 'शीर्ष सोसाइटी' से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे संबद्ध हों, क्रियाकरण के लिये सुविधाएं देना हो और जिसके क्रियाक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर हो;

   (क–दो) ''प्रशासक'' से अभिप्रेत है तृतीय श्रेणी कार्यपालक से अनिम्न श्रेणी का कोई शासकीय सेवक जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सोसाइटी के कारबार के संचालन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है और जो रजिस्ट्रार के नियन्त्रण के अधीन तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

   (बी/ख) 'सहायक रजिस्ट्रार' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का सहायक रजिस्ट्रार;

   (बी/ख-एक) 'कार्यक्षेत्र' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जाती है या जैसा कि सोसाइटी

की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है;]

(बी/ख-दो) 'प्राधिकारी' से अभिप्रेत है धारा 57-ग की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी;

(सी/ग) 'उपविधियों' से अभिप्रेत है वे उपविधियां जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हों या रजिस्ट्रीकृत की गयी समझी जाती हों तथा जो तत्समय प्रवृत्त हों, और उनके अंतर्गत उपविधियों का कोई रजिस्ट्रीकृत संशोधन आता है;

(सी/ग-एक) 'केन्द्रीय सोसाइटी' से अभिप्रेत है सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या कोई अन्य सोसाइटी, जिसका क्रियाक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, और जिसका प्रधान उद्देश्य प्रधान उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना और उसी प्रकार की सोसाइटियों के क्रियाकरण के लिये तथा अपने से संबद्ध अन्य सोसाइटियों के लिये सुविधाओं का उपलब्ध करना हो और जिसके कम से कम पांच सदस्य सोसाइटियां हों;

(सी/ग-दो) ''केन्द्रीय सहकारी बैंक'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई संसाधन सोसाइटी जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 10) के अधीन या तो अनुज्ञप्त हो या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार अनुज्ञप्त किये जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात हो; और-

(एक) जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो; और

(दो) जिसका मुख्य उद्देश्य यह हो कि अपने से संबद्ध सहकारी सोसाइटियों के लिये निधियों का सृजन करें और कृषिक, औद्योगिक एवं अन्य सहबद्ध प्रयोजनों के लिये उन सहकारी सोसाइटियों के लिये क्रेडिट, माल या सेवाएं अभिप्राप्त करे और क्रेडिट, माल या सेवाएं या उधार के रूप में उनका प्रदाय उन सहकारी सोसाइटियों को करे।

(सी/ग-तीन) 'कम्पनी' से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित कोई कंपनी;

(सी/ग-चार) 'सहकारी संघ' से अभिप्रेत है कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता की शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और उनका विस्तार करना है;

(डी/घ) 'संचालक मंडल' से अभिप्रेत है, धारा 48 के अधीन गठित किसी सहकारी सोसाइटी का कोई ऐसा शासी निकाय या प्रबंध बोर्ड चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो; जिसे किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का संचालन और नियंत्रण सौंपा गया हो;

(डी/घ-एक) 'सहकारी बैंक' से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य सहकारी बैंक, कोई ऐसा केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाता हो;

(घ-दो) 'सहकारी साख संरचना' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी;

(ई/ङ) 'परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके

सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा उस रकम, यदि कोई हो, जो कि उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त हो, तक परिसीमित हो या ऐसी रकम जिसका कि, उस सोसाइटी का परिसमापन हो जाने की दशा में, उसकी आस्तियों के प्रति अभिदाय करने का जिम्मा वे अपने ऊपर लें, तक परिसीमित हों;

(ई/ङ-एक) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' से अभिप्रेत है धारा 49 (ङ) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति और जिसे संचालक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुये संचालक मंडल द्वारा सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है;

(जी/छ) 'उपभोक्ता सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा साथ ही अन्य ग्राहकों के लिये माल अभिप्राप्त करने या उसका उत्पादन करने तथा प्रसंस्करण करने एवं उन्हें उसका वितरण करने या उनके लिये अन्य सेवायें करने के तथा ऐसे प्रदाय, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं वितरण से प्रोद्भूत होने वाले लाभों को अपने सदस्यों तथा ग्राहकों के बीच उस अनुपात में, जो कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में अधिकथित किया जाये, वितरण करने के उद्देश्य से बनाई गई हों;

(जी/छ-एक) 'प्रत्यायुक्त' से अभिप्रेत है व्यष्टिक सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति;

(जी/छ-दो) 'डिपाजिट इन्शोरेन्स एण्ड गारण्टी कार्पोरेशन' से अभिप्रेत है डिपाजिट इन्श्योरेंस एण्ड गारन्टी कार्पोरेशन एक्ट, 1961 (1961 का सं. 47) के अधीन स्थापित डिपाजिट इन्श्योरेन्स एण्ड गारण्टी कार्पोरेशन;

(एच/ज) 'उप रजिस्ट्रार' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का कोई उप रजिस्ट्रार;

(एच एच/जज) 'विकास बैंक' से अभिप्रेत है इस एक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझा गया कोई सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;

(ज ज–1) ''कार्यपालक मजिस्ट्रेट'' से अभिप्रेत है दंड प्रक्रियासंहिता,1973 (1974 का 2) की घारा 20 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी

(आई/झ) 'कुटुम्ब' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी, उस पर आश्रित उसकी संतान और उस पर आश्रित तथा उसके साथ संयुक्ततः निवास करने वाले अन्य नातेदार;

(जे/ञ) 'कृषि फर्म सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो भूमि के विकास तथा खेती की अधिक अच्छी पद्धतियों को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत आती है बेहतर कृषि फर्म सोसाइटी, अभिधारी कृषि फर्म सोसाइटी, सामूहिक कृषि फर्म सोसाइटी, संयुक्त कृषि फर्म सोसाइटी, सिंचाई सोसाइटी तथा फसल संरक्षण सोसाइटी;

(के/ट) 'संघीय सोसाइटी' से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसकी अंशपूंजी का, सरकारी अंशपूंजी को अपवर्जित करते हुए, कम से कम पचास प्रतिशत सोसाइटियों द्वारा धारित हो;

(एल/ठ) 'वित्तदायी बैंक' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य अन्य सोसाइटियों को या उसके वैयक्तिक सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों को सृजित करना है, और उसके अंतर्गत आते हैं राज्य सहकारी बैंक, सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक नागरिक सहकारी बैंक और जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;

(एल/ठ-एक) 'वित्तदायी संस्था' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय या राज्य स्तर की सहकारी संस्था या संगठन जो सहकारी सोसाइटी या किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता या अग्रिम या उधार देता है;]

(एम/ड) 'साधारण सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए शीर्ष (एक) से (नौ) तक में से किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत न आती हो;

"(ड–1) "शासन प्रायोजित कारबार" से अभिप्रेत है केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी योजना या कार्यक्रम के अधीन सोसाइटी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले आर्थिक कियाकलाप"

(एन/ढ) 'गृह निर्माण सोसाइटी' से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य उसके सदस्यों को गृह निर्माण के लिये भू-खण्ड उपलब्ध कराना है और इसमें सम्मिलित है निम्न सघनता का गृह निर्माण, निवास स्थान या प्रकोष्ठ और/या यदि भू-खण्ड, निवास स्थान या प्रकोष्ठ (फ्लेट) पूर्व में ही अर्जित कर लिये हों तो सहकारी सिद्धांतों के अनुसार पारस्परिक सहायता से उसके सदस्यों को सामान्य सुख-सुविधायें और सेवायें जिसमें गृह निर्माण वित्त पोषण सम्मिलित है, उपलब्ध कराना;

(ढ-एक) 'औद्योगिक सोसाइटी' से अभिप्रेत है बुनकर, बढ़ई, धातुकर्मकारों, मोची या कोई अन्य सोसाइटी जिसका लक्ष्य किसी भी प्रकार के कच्चे माल से परिष्कृत माल निर्मित करना है, के विकास को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य से विरचित कोई सोसाइटी;

(ओ/ण) 'संयुक्त रजिस्ट्रार' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का कोई संयुक्त रजिस्ट्रार;

(पी/त) 'समापक' से अभिप्रेत है धारा 70 के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(क्यू/थ) 'विपणन सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो कृषि उपज या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो और जिसके उद्देश्यों में ऐसी उपज के लिये अपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय करना सम्मिलित हो;

(आर/द) 'सदस्य' से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, इस अधिनियम तथा उन नियमों एवं उपविधियों के, जो कि ऐसी सोसाइटी को लागू हों, अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो और उसके अंतर्गत राज्य सरकार, जबकि वह किसी सोसाइटी को अंशपूंजी के प्रति अभिदाय करती हो, आती है;

(द-एक) "बहुराज्य सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी, जिसके उद्देश्य एक ही राज्य

तक सीमित न हों और जो ऐसी सहकारी संस्थाओं के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गई हों;]

(एस/ध) 'बहुप्रयोजन सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों में उन प्राथमिक उद्देश्यों में से, जो कि खण्ड (जी/छ), (एन/ढ), (वी/फ) तथा (वाय/म) में से किन्हीं भी दो या अधिक खण्डों में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, कोई प्राथमिक उद्देश्य सम्मिलित हो;

(एस/ध-एक) ''राष्ट्रीय बैंक'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;

(टी/न) 'नाममात्र का सदस्य' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 20 के अधीन किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया हो;

(टी/न-एक) 'अधिकारी' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सोसाइटी द्वारा ऐसी सोसाइटी के किसी पद पर ऐसी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो और उसके अंतर्गत कोई सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष, संचालक मंडल का सदस्य तथा कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे ऐसी सोसाइटी के कारोबार के संबंध में निर्देश देने के लिये इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो, आता है;

(यू/प) 'अन्य पिछड़े वर्ग' से अभिप्रेत है ऐसे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का प्रवर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(यू/प-एक) 'प्राथमिक सोसाइटी' से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी हो और न केन्द्रीय सोसाइटी;

(यू/प-दो) 'प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी' से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिये उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, वृहत्ताकार सहकारी सोसाइटी और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है;

(यू/प-तीन) 'प्राथमिक सहकारी बैंक' से अभिप्रेत है बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न की गई नगरीय या ग्राम संसाधन सोसाइटी से भिन्न कोई सोसाइटी, जिसके उद्देश्यों के अंतर्गत उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना और उसके सदस्यों को दिए जाने हेतु क्रेडिट अभिप्राप्त करना आता हो और जो या तो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 10) के अधीन अनुज्ञप्त हो या जो इस प्रकार अनुज्ञप्त किये जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिये अनुज्ञात है;

(वी/फ) 'उत्पादक सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन तथा व्ययन अपने सदस्यों की सामूहिक संपत्ति के रूप में करने के उद्देश्य से बनाई गई है और उसके अंतर्गत कोई ऐसी सोसाइटी आती है जो उसके सदस्यों के श्रम के सामूहिक उपयोजन के उद्देश्य से बनाई गई है;

(डब्ल्यू/ब) 'प्रसंस्करण सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन यांत्रिक या

शारीरिक प्रक्रिया द्वारा करने के उद्देश्य से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत कोई औद्योगिक सोसाइटी तथा कोई ऐसी सोसाइटी, जो कृषि उपज का प्रसंस्करण करने के लिये हो, आती है;

(भ) ''रजिस्ट्रार'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार और बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार;

(एक्स/भ-एक) 'प्रतिनिधि' से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य जो उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करे;

(एक्स/भ-दो) 'रिजर्व बैंक' से अभिप्रेत है रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) के अधीन स्थापित किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया;

(वाय/म) 'संसाधन सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिये उधार (क्रेडिट), माल या सेवायें, जो कि उनके द्वारा अपेक्षित हों, अभिप्राप्त करें और उसके अंतर्गत कोई सेवा सोसाइटी तथा कोई प्राथमिक साख सोसाइटी आती हैं;

(वाय/म-एक) 'रिटर्निंग अधिकारी' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस हेतु नियुक्त किया हो या अनुमोदित किया हो कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करे और उसके अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी के अधीनस्थ कोई ऐसा अधिकारी आता है जिसे उसने इस हेतु लिखित में नामनिर्दिष्ट किया हो कि वह रिटर्निंग अधिकारी के कतिपय कर्तव्यों का पालन करे और उसकी सहायता करे;

(वाय/म-दो) 'अनुसूचित क्षेत्र' से अभिप्रेत है कि वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 के अधीन घोषित किया गया है;

(जेड/य) 'सोसाइटी'से अभिप्रेत है कोई सहकारी सोसाइटी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुई समझी जाती हो;

(जेड/य-एक) 'विनिर्दिष्ट पद' से अभिप्रेत है अध्यक्ष या सभापति और उपाध्यक्ष या उप सभापति का पद;.

(एए/कक) 'राज्य सहकारी बैंक' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित;

(ककक) ''राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण राज्य में हो और जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई हो;

(बी बी/ख ख) 'विद्यार्थी' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यावसायिक या प्रशिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहा है;

(सी सी/ग ग) 'अधिकरण' से अभिप्रेत है धारा 77 के अधीन गठित किया गया मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण;

दूसरा अध्याय

रजिस्ट्रीकरण

3. **रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी :-** (1) राज्य सरकार राज्य के लिये किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और निम्नलिखित प्रवर्गों के एक या अधिक अधिकारियों को इस हेतु वे नियुक्त कर सकेगी कि वे उसकी सहायता करें, अर्थात् :-

(ए/क) सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार;

(बी/ख) सहकारी सोसाइटियों का संयुक्त रजिस्ट्रार;

(सी/ग) सहकारी सोसाइटियों का उप रजिस्ट्रार;

(डी/घ) सहकारी सोसाइटियों का सहायक रजिस्ट्रार;

(ई/ङ) अधिकारियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जो कि विहित किये जायें।

(2) रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिये नियुक्त किये गये अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का तथा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार पर अधिरोपित किये गये ऐसे कर्तव्यों का, जैसा कि राज्य सरकार, विशेष या साधारण आदेश, द्वारा निर्देश दे, प्रयोग तथा पालन ऐसे क्षेत्रों के भीतर करेंगे जैसे कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें :

परन्तु अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न किसी भी अधिकारी को इस बात के लिये विनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा कि वह धारा 78 के अधीन अपीलों की सुनवाई करने की शक्तियों का प्रयोग करें।

(3) रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिये नियुक्त किये गये अधिकारी रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे और उसके साधारण मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

4. **सोसाइटियां जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी :-** इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी ऐसी सोसाइटी को, जिसका कि उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धांतों के अनुसार संप्रवर्तित करना हो, या किसी ऐसी सोसाइटी को, जो कि किसी ऐसी सोसाइटी की संक्रियाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

5. **परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण:-** कोई सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी;

परन्तु जब तक कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निर्देशित न करे, किसी ऐसी सोसाइटी का, जिसकी कि सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, दायित्व परिसीमित होगा।

6. **रजिस्ट्रीकरण की शर्तें:-** (1) जिस सोसाइटी की सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो उस सोसाइटी से भिन्न कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जायेगी यदि वह कम से कम ऐसे बीस व्यक्तियों से मिलकर न बनी हो, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्रमांक 9 सन् 1872) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिये सक्षम हों तथा जो निकट के नातेदार न होकर बीस भिन्न-भिन्न कुटुम्बों के हों, और उस दशा में जबकि सोसाइटी के उद्देश्यों में उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना सम्मिलित हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जायेगी।

यदि ऐसे व्यक्ति, उस दशा में के सिवाय जबकि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे, उसी नगर या ग्राम में या ग्रामों के किसी समूह में निवास न करते हों;

परन्तु अनन्यत: विद्यार्थियों के फायदे के लिये बनाई गई कोई सोसाइटी इस बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों ने उस विधि, जिसके कि अध्यधीन वे हैं, के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है;

परन्तु यह और भी रजिस्ट्रार न्यूनतम सदस्यता की शर्त को, ऐसी सोसाइटी के लिये, जो किसी संगठन/स्थापना के कर्मचारियों के कल्याण के लिये संगठित की गई है, शिथिल कर सकेगा।

परन्तु यह भी कि किसी प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी :

परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रार, पर्याप्त कारणों से महिला सदस्यों की विहित प्रतिशत की शर्तों को शिथिल कर सकेगा।

(2) शब्द 'परिसीमित' या किसी भारतीय भाषा में उसका पर्याय प्रत्येक ऐसी सोसाइटी के, जो कि इस अधिनियम के अधीन परिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की गई हो, नाम में अंतिम शब्द होगा।

7. **रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन और फीस-** (1) रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए, किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिये आवेदन विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार को किया जायेगा और उसके साथ सोसाइटी की प्रस्थापित उपविधियों की चार-चार प्रतिलिपियां संलग्न होंगी। वह व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाये, सोसाइटी के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करें।

(2) आवेदन-

(ए/क) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कि सदस्य कोई अन्य सोसाइटी न हो, कम से कम दस ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो धारा 6 की अपेक्षाओं के अनुसार अर्हित हों, और

(बी/ख) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कि सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, प्रत्येक ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सम्यकरूपेण प्राधिकृत किया गया हो, और जहां उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां न हों, वहां दस अन्य सदस्यों द्वारा या, जब अन्य सदस्य दस से कम हों, तो उन सबके द्वारा, हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) कोई सोसाइटी, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति में जैसी की विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

8. **कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति :-** जहां किसी सोसाइटी के बनाये जाने, उसका रजिस्ट्रीकरण किया जाने या उसके बने रहने के संबंध में या किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न उद्‌भूत हो कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वर्ग या उपजीविका से संबंधित है या नहीं अथवा जहां किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में ऐसा ही कोई अन्य प्रश्न उद्‌भूत हो, वहां ऐसा प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा

विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

9. **रजिस्ट्रीकरण:-** (1) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाये कि किसी सोसाइटी ने इस अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया है और यह कि उसकी प्रस्थापित उपविधियां इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं है, तो वह उस सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा :

परन्तु किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा यदि, रजिस्ट्रार की राय में, उसके आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाने की संभावना हो या यह संभावना हो कि उसका किसी अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को या उसकी उपविधियों को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर देता है, वहां वह इंकार संबंधी आदेश उस इंकार के कारणों सहित आवेदन के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को संसूचित करेगा।

(3) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन प्राप्त होने की तारीख से, नब्बे दिन के भीतर, विनिश्चय करेगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, और जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा, यथास्थिति जो या जिसके द्वारा, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निपटारा किया जायेगा और यथास्थिति, ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई समझी जायेगी।

(4) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गयी सोसाइटियों का एक रजिस्टर रखेगा।

'9-क विद्यमान सहकारिताओं की व्यावृत्ति :- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (निरसित अधिनियम) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिताएँ, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों और बनाई गई उप विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाएंगी जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत न हों, निरन्तर बनी रहेगी जब तक कि वे परिवर्तित या विखण्डित न कर दी जाएं.

(2) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर, ऐसी उपविधियाँ निरसित या संशोधित करेगी, जो इस संशोधन अधिनियम अधिनियम के उपबंधों से असंगत हैं तथा इस संशोधन अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अतिरिक्त उपविधियाँ बनाएगी जैसा कि आवश्यक हो.''

10. **सोसाइटियों का वर्गीकरण :-** (1) रजिस्ट्रार समस्त सोसाइटियों का वर्गीकरण निम्नलिखित एक या अधिक शीर्षों के अधीन करेगा, अर्थात्:-

(एक) उपभोक्ता सोसाइटी;

(दो) कृषि कर्म सोसाइटी;
(पांच) गृह निर्माण सोसाइटी;
(छः) विपणन सोसाइटी;
(सात) बहुप्रयोजन सोसाइटी;
(आठ) उत्पादक सोसाइटी;
(नौ) प्रसंस्करण सोसाइटी;
(दस) संसाधन सोसाइटी;
(ग्यारह) साधारण सोसाइटी;
(बारह) औद्योगिक सोसाइटी :

परन्तु किसी विशिष्ट वर्ग की सोसाइटियों की संक्रिया को सुकर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई सोसाइटी उस वर्ग की सोसाइटी के रूप में वर्गीकृत की जायेगी।

(1ए/क) रजिस्ट्रार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये शीर्षों में से किसी शीर्ष के अधीन आने वाली सोसाइटियों का निम्नलिखित शीर्षों के अधीन और भी वर्गीकरण कर सकेगा, अर्थात्:-
(ए/क) शीर्ष सोसाइटी,
(बी/ख) केन्द्रीय सोसाइटी,
(बी/ख-क) संघीय सोसाइटी,
(सी/ग) प्राथमिक सोसाइटी।

(2) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी सोसाइटी के वर्गीकरण को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में परिवर्तित कर सकेगा।

(3) सोसाइटियों के वर्गीकरण के बारे में रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. **सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन:-** (1) किसी सोसाइटी की उपविधियों का कोई भी संशोधन तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो, जिस प्रयोजन के लिये उस प्रस्तावित संशोधन की चार प्रतियां विहित रीति में रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी।

(2) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रतिकूल नहीं है तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के या उसकी विद्यमान उपविधियों में से किसी भी उपविधि के प्रतिकूल नहीं है तो वह प्रस्तावित संशोधन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उस संशोधन को रजिस्टर में दर्ज कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार नहीं करेगा। यदि वह किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार करने का विनिश्चय करता है तो वह इंकार संबंधी आदेश उस इंकार के कारणों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर सोसाइटी को संसूचित करेगा:

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है

तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, और जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा, यथास्थिति जो या जिसके द्वारा, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निपटारा किया जायेगा और यथास्थिति ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर उपविधियों का संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जायेगा :

परंतु यह और कि सहकारी साख संरचना के मामले में पूर्वोक्त परंतुक के उपबंध लागू नहीं होंगे.

12. **उपविधियों के संशोधन के लिये निदेश देने की शक्ति:-** (1) इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर या यदि रजिस्ट्रार यह समझता है कि किसी सोसाइटी की उपविधियों में कोई संशोधन किया जाना ऐसी सोसाइटी के हित में आवश्यक या वांछनीय है, तो वह उस सोसाइटी पर विहित रीति में तामील किये जाने वाले लिखित आदेश द्वारा उस सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह साठ दिन के भीतर, ऐसा संशोधन करे।

(2) यदि वह सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार, उस सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी शीर्ष/संघीय सोसाइटी की, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, राय मांगने के पश्चात् ऐसा संशोधन रजिस्टर कर सकेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रति ऐसी सोसाइटी को जारी कर सकेगा।

13. **नाम की तब्दीली:-** कोई सोसाइटी, अपनी उपविधियों में संशोधन करके, अपना नाम तब्दील कर सकेगी, किन्तु ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी के या उसके सदस्यों में से किसी सदस्य के, या भूतपूर्व सदस्यों के, या मृत सदस्यों के किसी अधिकार या उनकी किसी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी या ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनायेगी, और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां, जो उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती हों या प्रारंभ की जा सकती हों, उसके नवीन नाम से उसी प्रकार जारी रखी जायेगी या प्रारंभ की जायेगी।

14. **कतिपय प्रमाण-पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना:-** (1) जहां कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती हैं, या रजिस्ट्रीकृत की गयी समझी जाती है, वहां रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाण-पत्र इस बात का कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यकरूपेण रजिस्ट्रीकृत है, निश्चायक साक्ष्य होगा जब तक कि यह न साबित कर दिया जाए कि उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण बाद में रद्द कर दिया गया है :

परन्तु जहां कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, वहां रजिस्ट्रार उसके रजिस्ट्रीकृत किये गये समझे जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(2) यदि कोई भी सोसाइटी तब तक कारबार प्रारंभ नहीं करेगी जब तक कि उसने उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और ऐसी सोसाइटी का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो इस उपधारा के उल्लंघन में कारबार कर रहा है, ऐसे कारबार में उपगत किये

गये समस्त दायित्वों के लिये पृथक-पृथक दायी होगा।

(3) यदि रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी की उपविधियों के किसी संशोधन को धारा 11 या धारा 12 के अधीन रजिस्टर में दर्ज करता है, तो वह, उस संशोधन की, जो उसके द्वारा रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, एक प्रतिलिपि उस सोसाइटी को देगा जो कि इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह संशोधन रजिस्टर में सम्यकरूपेण दर्ज कर लिया गया है।

(4) जहां कोई सोसाइटी अपना नाम धारा 13 के अधीन तब्दील करती है, वहां रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को तदानुसार संशोधित करेगा जो कि इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि नाम की वह तब्दीली रजिस्टर में सम्यक् रूपेण दर्ज कर ली गई है।

15. **सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित में अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना:-** (1) धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन करके अपने दायित्व को परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील कर सकेगी।

(2) कोई ऐसा संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा तब तक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि :-

(एक) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को तथा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, जिसके कि हित पर, रजिस्ट्रार की राय में, उस तब्दीली का प्रभाव पड़ सकता है, इक्कीस दिन की सूचना दी जा चुकी है; और

(दो) प्रत्येक ऐसे सदस्य या व्यक्ति के मामले में जो, रजिस्ट्रार की राय में सूचना पाने का हकदार है;

(ए/क) उस तब्दीली के लिये या तो उसकी अनुमति अभिप्राप्त कर ली गई है या सूचना की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उसके द्वारा आपत्ति न किये जाने के आधार पर अभिप्राप्त हो गई समझी जाती है;

(बी/ख) यदि उसने आपत्ति की है, तो -

(एक) उस दशा में, जबकि वह सदस्य है, यह अनुज्ञा दे दी गई है कि वह अपना अंश वापस ले ले; या

(दो) उस दशा में, जबकि वह लेनदार है, आपत्ति प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर उसके ऋण या दावे को रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में उन्मोचित कर दिया गया है या समाप्त कर दिया है या प्रतिभूत कर दिया गया है:

परन्तु रजिस्ट्रार, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की दशा में इस उपधारा द्वारा अपेक्षित की गई सूचना दिये जाने से अभिमुक्ति अभिलिखित किये जाने वाले विशेष कारणों से प्रदान कर सकेगा।

16. **सोसाइटियों का पुनर्गठन :-** (1) इस धारा में :-

(ए/क) 'प्रभावित सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट की गई रीतियों में से किसी भी रीति में स्वयं का पुनर्गठन करने का विनिश्चय करती है; और

(बी/ख) 'परिणामी सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी-

(एक) जो उपधारा (2) के खण्ड (ए/क) के अधीन समामेलन के परिणामस्वरूप बनी हो; या

(दो) जिसकी कि प्रभावित सोसाइटियों की आस्तियां तथा उनके दायित्व उपधारा (2) के खण्ड (बी/ख) के अधीन पूर्णत: या भागत: अन्तरित किये गये हों; या

(तीन) जो उपधारा (2) के खण्ड (सी/ग) के अधीन विभाजन के परिणामस्वरूप बनी हो; या

(चार) जो उपधारा (2) के खण्ड (डी/घ) में यथा उपबंधित वर्ग की तब्दीली के परिणामस्वरूप बनी हो।

(2) कोई सोसाइटी-

(ए/क) स्वयं को किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करके; या

(बी/ख) अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को किसी अन्य सोसाइटी को पूर्णत: या भागत: अन्तरित करके; या

(सी/ग) स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित करके; या

(डी/घ) स्वयं को किसी ऐसे वर्ग की सोसाइटी के, जिसका कि उद्देश्य सोसाइटी के उस वर्ग से तत्वत: भिन्न हो जिसके कि अधीन उसका वर्गीकरण इस अधिनियम के अधीन किया गया है, रूप में संपरिवर्तित करके स्वयं को पुनर्गठित करने का विनिश्चय उस प्रयोजन के लिये आयोजित किये गये विशेष साधारण सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किये गये संकल्प द्वारा कर सकेगी;

परन्तु कोई भी ऐसा विनिश्चय तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाये :

परन्तु यह और भी कि किसी सहकारी बैंक के मामले में, रजिस्ट्रार अपना अनुमोदन रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही देगा अन्यथा नहीं;

परन्तु यह भी कि किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का कोई आदेश या समझौता या ठहराव या समामेलन या पुनर्गठन की किसी योजना को स्वीकृत करने वाला कोई आदेश रिजर्व बैंक की लिखित में पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि लोकहित में या प्रभावित सोसाइटियों के सदस्यों के हित में यह अत्यावश्यक है, या किसी सोसाइटी के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है, तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि कोई सोसाइटी या सोसाइटियां उपधारा (2) में उपदर्शित की गई रीतियों में से किसी भी एक या अधिक रीतियों में स्वयं को पुनर्गठित करे/करें :

परन्तु किसी सहकारी बैक के मामले में, रजिस्ट्रार कोई निर्देश रिजर्व बैंक कि लिखित पूर्व मंजूरी से ही जारी करेगा अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम आदेश दिया जाने के पूर्व, संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का

अवसर दिया जायेगा।

(4) यथास्थिति उपधारा (2) के अधीन विनिश्चय या उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार के निर्देश के अनुसार किसी सोसाइटी के पुनर्गठन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाये।

(5) यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन के किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उसकी (ऐसे पुनर्गठन की) सूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों को दी जायेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह या तो परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसाइटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करे, और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना के जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जायेगा।

(6) कोई भी पुनर्गठन तब तक अंतिम नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की, जिसके कि हित पर प्रभाव पड़ना संभाव्य है, अनुमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या उसके दिये गये विकल्प का उसके द्वारा प्रयोग न किये जाने के आधार पर अभिप्राप्त हो गई न समझी जाती हो, और इसके अतिरिक्त, जब तक कि उन व्यक्तियों के, जिन्होंने उपधारा (5) के अधीन अपने अंशों या हितों या शोध्यों के संदाय की मांग करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, समस्त दावों की पूर्णत: पूर्ति न कर दी गई हो:

(7) इस धारा के अधीन प्रत्येक परिणामी सोसाइटी का गठन, उसकी संपत्ति, शक्तियां, अधिकार, हित, प्राधिकार, कर्तव्य तथा बाध्यताएं ऐसी होंगी, जैसा कि पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाये और पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम में ऐसे परिणामिक, आनुषंगिक तथा अनुपूरक उपबंध होंगे जैसे कि, रजिस्ट्रार की राय में, ऐसी योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो।

(8) संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 (1882 का अधिनियम सं. 4) या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का अधिनियम सं. 6) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी सोसाइटी का कोई ऐसा संकल्प, जो रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित कर दिया गया हो या कोई ऐसा आदेश, जो रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया हो, प्रत्येक प्रभावित सोसाइटी की आस्तियों तथा दायित्वों को संबंधित परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों में निहित करने के लिये पर्याप्त हस्तान्तरण होगा और ऐसा निहित किया जाना पुनर्गठन के स्कीम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये ही होगा।

(9) सोसाइटियों के पुनर्गठन का परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी अधिकार या बाध्यता पर किसी भी रीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या ऐसा पुनर्गठन उस सोसाइटी या उन सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनायेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां, जो कि पुनर्गठन के पूर्व यथास्थिति उस सोसाइटी या उन सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरुद्ध चालू रखी जा सकती थी या प्रारंभ की जा सकती थी, परिणामी सोसाइटी, या सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरुद्ध चालू रखी जा

सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी।

(10) जहां कोई दो या अधिक सोसाइटियां समामेलित की गई हों, या कोई सोसाइटी विभाजित या संपरिवर्तित की गई हो, वहां ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह समामेलित सोसाइटी के या संपरिवर्तित सोसाइटी के या उन नवीन सोसाइटियों के, जिनमें कि वह सोसाइटी विभाजित की गई है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

(11) जहां किसी भू-बंधक बैंक को किसी केन्द्रीय बैंक के साथ समामेलित करके पुनर्गठित किया जाता हो वहां उस समामेलित बैंक को उस भू-बंधक बैंक के कारबार संबंधी उन समस्त संव्यवहारों के संबंध में, जो कि ऐसे समामेलन पर और उसके पश्चात् किये जाने हैं, भू-बंधक बैंकों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भू-बंधक बैंक समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिये, 'केन्द्रीय बैंक' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके नाम के भाग के रूप में शब्द 'केन्द्रीय बैंक' या 'जिला बैंक' जुड़े हुए हों, और जिसका मुख्य उद्देश्य उन सोसाइटियों का, जो कि उसकी सदस्य हों, और किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित हों, वित्त पोषण करना हो।

(12) ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी।

16-ए/क. सोसाइटियों द्वारा सहयोग :- कोई भी सोसाइटी किसी भी सहकारी, किसी भी सरकार के उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम के साथ किसी विशेष कारबार के लिये, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी।

16-बी/ख. सोसाइटियों की भागीदारी:- कोई भी दो या अधिक सोसाइटियां ऐसी प्रत्येक सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, उपविधियों के अधीन किसी भी अनुज्ञेय विशिष्ट कारबार में भागीदारी की संविदा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर जो कि पारस्परिक रूप से करार पाए जाएं, कर सकेगी। जहां इस प्रकार की भागीदारी कोई नया संगठन बनाने की अपेक्षा करती है, वहां भाग लेने वाली सोसाइटियां उसकी सदस्य होगी।

17. दायित्वों के प्रति संदाय के लिये समझौता या ठहराव तथा सोसाइटियों का पुनर्निर्माण:-

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां-

(ए/क) किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के, और

(बी/ख) किसी सोसाइटी तथा उसके सदस्यों के बीच किसी समझौते या ठहराव की प्रस्थापना की जाये, वहां रजिस्ट्रार उस सोसाइटी के या उस सोसाइटी के किसी सदस्य के या उसके किसी लेनदार के या किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसका कि परिसमापन किया जा रहा है, समापक के आवेदन पर, यथास्थिति सदस्यों या लेनदारों या दोनों का सम्मिलन ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाये, बुलाये जाने, आयोजित किये जाने तथा संचालित किये जाने का आदेश दे सकेगा :

परन्तु रजिस्ट्रार, कोई समझौता या ठहराव कराने के प्रयोजन के लिये स्वप्रेरणा से भी ऐसा सम्मिलन बुलाए जाने का आदेश दे सकेगा।

(2) यदि ऐसी बहुसंख्या, जो सम्मिलन में उपस्थित तथा व्यक्तिशः मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई के या मूल्यांकन की कुल रकम के, जो कि सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले लेनदारों को शोध्य हो, तीन-चौथाई के, जैसी भी कि दशा हो, बराबर है, किसी समझौते या ठहराव के लिये सहमत हो जाती है, तो वह समझौता या ठहराव रजिस्ट्रार द्वारा पुष्टि कर दिए जाने पर, यथास्थिति, समस्त लेनदारों पर तथा सोसाइटी पर भी, या किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक पर आबद्धकर होगा :

परन्तु रजिस्ट्रार किसी समझौते या ठहराव की तब पुष्टि नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि यथास्थिति उन समस्त सदस्यों या लेनदारों को, जिनके कि हित ऐसे समझौते या ठहराव से प्रभावित हुए हैं, ऐसे सम्मिलन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी:

[1][परन्तु यह और कि किसी सहकारी बैंक के मामले में, रजिस्ट्रार समझौते या ठहराव की पुष्टि रिजर्व बैंक [2][या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक] की लिखित पूर्व मंजूरी से ही करेगा अन्यथा नहीं].

(3) जब किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच किसी समझौते या ठहराव पर विचार करने के लिये सम्मिलन बुलाने का कोई आदेश उपधारा (1) या उसके परन्तुक के अधीन पारित किया जाये, तो रजिस्ट्रार ऐसे आदेश की सूचना उस सिविल न्यायालय को दे सकेगा जिसमें उस सोसाइटी के किसी ऐसे दायित्व के, जो कि किसी ऐसे लेनेदार को शोध्य हो जिसके कि उस आदेश की प्रतिलिपि भेजी गई है, संबंध में कार्यवाहियां, चाहे वे उक्त आदेश के पूर्व संस्थित की गई हों या उसके पश्चात् लंबित हो, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वह सिविल न्यायालय उन कार्यवाहियों को रोक देगा। यदि किसी ऐसे समझौते या ठहराव की पुष्टि उपधारा (2) के अधीन न की जाय तो रजिस्ट्रार सिविल न्यायालय को तदनुसार इत्तिला देगा और वे कार्यवाहियां, जो रोक दी गई हों, पुनः चालू की जायेगी।

(4) यदि किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच किसी समझौते या ठहराव की पुष्टि उपधारा (2) के अधीन कर दी जाये, तो उन कार्यवाहियों का, यदि कोई हों, जो उपधारा (3) के अधीन रोक दी गई है, तो उपशमन हो जायेगा और उस सोसाइटी के किसी भी ऐसे दायित्व, जिससे कि वह समझौता या ठहराव संबंधित है, के संबंध में कोई भी कार्यवाहियां किसी सिविल न्यायालय में नहीं हो सकेंगी।

(5) रजिस्ट्रार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, लेनदारों के किसी वर्ग को इस धारा या उसके किन्हीं भी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(6) किसी ऐसे समझौते या ठहराव को, जिसकी कि पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा कर दी गई हो, किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(7) यदि कोई लेनदार, जिसके कि संबंध में किसी समझौते या ठहराव की पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन कर दी गई हो, ऐसे समझौते या ठहराव के अधीन उसको देय रकम, वैसा करने के लिये सम्यक् सूचना दे दी जाने के पश्चात्, उस कालावधि के भीतर, जो कि ऐसी सूचना में

विनिर्दिष्ट की गई हो, प्राप्त नहीं करता तो यथास्थिति वह सोसाइटी या समापक उस रकम को ऐसी रीति में निक्षिप्त करेगा जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशित की जाय, ऐसा निक्षेप कर दिया जाने पर, उस रकम के, जो कि उस समझौते या ठहराव के अधीन लेनदार को देय हो, संबंध में यह समझा जायेगा कि उसकी अदायगी निक्षेप की सीमा तक कर दी गई है।

(8) किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच हुआ कोई समझौता या ठहराव, जिसकी कि पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन कर दी गई हो, जैसे ही उस दायित्व की, जो उसके अधीन अवधारित किया गया है, सम्पूर्ण रकम, चाहे इस धारा के उपबंधों के अधीन या अन्यथा, चुका दी जाये या चुका दी गई समझी जाये, प्रवृत्त नहीं रहेगा, भले ही ऐसे दायित्व के उन्मोचन के लिये मूलत: नियत की गई कालावधि का अवसान न हुआ हो।

(9) ऐसे समझौते या ठहराव के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात्, उस दायित्व के, जो कि उक्त समझौते या ठहराव का विषय रहा था, संबंध में कोई और दावा ऐसी सोसाइटी के विरुद्ध या किसी ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के, जिसे कि वह सोसाइटी तत्पश्चात् अर्जित करे, विरुद्ध शेष नहीं रह जायेगा और वह सोसाइटी अपना सामान्य कारोबार चलाने के लिये स्वतंत्र होगी।

17- ए/क. अधिस्थगन के अधीन बैंकों की कार्यवाही तथा उनका दायित्व:- जहां केंद्रीय सरकार द्वारा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अधिस्थगन का आदेश सहकारी बैंक के संबंध में किया गया हो, वहां रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के लिखित पूर्व अनुमोदन से, अधिस्थगन की कालावधि के दौरान-

(एक) सहकारी बैंक के पुन:निर्माण या पुनर्गठन के लिए; या

(दो) सहकारी बैंक का किसी अन्य बैंक के साथ समामेलन किया जाने के लिये, स्कीम तैयार कर सकेगा।

17- बी/ख. डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन को प्रतिसंदाय करने का नवीन बैंकों का दायित्व:- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई ऐसा सहकारी बैंक, जो डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) के अर्थ के अंतर्गत बीमाकृत बैंक हो, समामेलित किया जाये या जिसके संबंध में समझौते या ठहराव को अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की स्कीम मंजूर की गई हो और डिपाजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को उस एक्ट की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन भुगतान करने के लिये दायी हो गया हो, वहां वह बैंक जिसके कि साथ ऐसे बीमाकृत बैंक का समामेलन किया गया हो, या वह नवीन सहकारी बैंक, जो ऐसे समामेलन के पश्चात् बनाया गया हो, या यथास्थिति, बीमाकृत बैंक या अन्तरिती बैंक उन परिस्थितियों में डिपाजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन की उस सीमा तक तथा उस रीति में, जो कि डिपाजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) की धारा 21 में निर्दिष्ट की गई है, प्रति संदाय करने की बाध्यता के अधीन होगा।

18. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना:- (1) यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियां और दायित्व किसी अन्य सोसाइटी को हस्तान्तरित कर देती है या, किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलन कर लेती है या, स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर लेती है या धारा 18-ए/क की उपधारा (1)

के उपबंधों के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाता है या, धारा 69 के अधीन सोसाइटी का परिसमापन हो जाता है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने वाला आदेश करेगा। सोसाइटी रद्दकरण के ऐसे आदेश की तारीख से विघटित समझी जायेगी और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सोसाइटी के समापन या विघटन से संबंधित कोई भी कार्यवाहियां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व लंबित हों, तो ऐसी कार्यवाहियां, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उस विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाई जायेंगी जिसके कि अधीन ऐसी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई थी या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई थी।

18-ए/क. सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण का समाप्त किया जाना:- (1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई सोसाइटी उसके आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है या जहां सोसाइटी का कार्य पूर्ण हो चुका है, [2][या जिन प्रयोजनों के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है या उस सोसाइटी ने जो सहकारी बैंक या विकास बैंक से भिन्न हो, शब्द ''बैंक'', ''बैंकर'', ''बैंकिंग'' और शब्द ''बैंक'' की कोई अन्य व्युत्पत्ति का प्रयोग किया है,] तो वह, उसके प्रमुख संप्रवर्तक, संचालक मंडल और सोसाइटी के सदस्यों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर सकेगा:

परन्तु जहां सोसाइटी की सदस्य संख्या इतनी अधिक है और रजिस्ट्रार के कार्यालय के अभिलेखों से ऐसे समस्त सदस्यों का सही पता अभिनिश्चित करना संभव नहीं है, और रजिस्ट्रार की राय में व्यक्तिगत रूप से ऐसे समस्त सदस्यों को सुनवाई की सूचना देना व्यवहार्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रीकरण के समाप्त किए जाने की कार्यवाही की लोक सूचना विहित रीति में दी जायेगी और ऐसी सूचना सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्यों और प्रमुख संप्रवर्तक सहित सोसाइटी के सभी सदस्यों को दी गई सूचना समझी जायेगी और सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के समाप्त किये जाने के संबंध में किसी कार्यवाही को केवल इस आधार पर, कि किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी गई है, प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया गया है, वहां रजिस्ट्रार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, शासकीय समनुदेशिती की नियुक्ति को सम्मिलित करते हुये ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक आदेश कर सकेगा जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, शासकीय समनुदेशिती, संपत्तियों, आस्तियों, पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का प्रभार लेने की तारीख से, एक वर्ष की कालावधि के भीतर आस्तियों की वसूली और दायित्वों का परिसमापन करेगा। पूर्वोक्त कालावधि रजिस्ट्रार के विवेकानुसार समय-समय पर इस प्रकार बढ़ाई जा सकेगी, कि जिससे ऐसी कालावधि कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक न हो जाए।

(4) शासकीय समनुदेशिती को ऐसे पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए।

तीसरा अध्याय

सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार

19. व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे :- (1) निम्नलिखित के सिवाय किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी सदस्य के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा, अर्थात् :-

(ए/क) कोई व्यक्ति, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्रमांक 11 सन् 1872) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिये सक्षम हो;

(बी/ख) कोई अन्य सोसाइटी;

(सी/ग) कोई लोक न्यास जो मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1951 (क्र. 30 सन् 1951) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो;

(डी/घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत, स्थापित या गठित कोई ऐसी फर्म, कम्पनी या कोई अन्य निगमित निकाय जिसमें उसके भागीदारों या निर्देशकों के रूप में कोई अवयस्क व्यक्ति न हो;

(ई/ङ) मध्यप्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1959 (क्रमांक 1 सन् 1960) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जो कि राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में अनुमोदित कर दी जाये;

(ङ/क) मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्रमांक 2 सन 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारिता;

(एफ/च) राज्य सरकार :

परन्तु खण्ड (ए/क) के उपबंध:-

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनन्यत: विद्यार्थियों के लिये बनाई गई किसी सोसाइटी में प्रवेश चाहता हो;

(दो) किसी ऐसे अवयस्क को, जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के मार्फत कार्य कर रहा हो,

लागू नहीं होंगे।

(2) इस अधिनियम या नियमों में या किसी सोसाइटी की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी की अंशपूंजी में अभिदाय किया गया हो, वहां राज्य सरकार का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होगा।

(2-ए/क) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में या यथास्थिति, किसी संसाधन सोसाइटी या उपभोक्ता सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों तथा उस सोसाइटी की उपविधियों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किया जाने के लिये सम्यक् रूप से अर्हित हो, ऐसी सोसाइटी की सदस्यता के लिए कोई आवेदन करे, तो उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि उसे ऐसी सोसाइटी के कार्यालय में वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से ऐसी सोसाइटी के सदस्य के

रूप में स्वीकृत कर लिया गया है :

परन्तु रजिस्ट्रार या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी समय या सोसाइटी या किसी व्यक्ति के ऐसे आवेदन पर, जो कि पूर्वोक्त तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया गया हो, तथा संसाधन सोसाइटी या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस तारीख से, जिसको कि रजिस्ट्रार को आवेदन प्राप्त हुआ हो, पैंतालीस दिन के भीतर, आदेश द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में यह घोषित कर सकेगा कि वह उसमें (आदेश में) वर्णित कारणों से ऐसी सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं है।

(3) जहां कोई ऐसा विद्यार्थी, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्र. 11 सन् 1872) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिये सक्षम न हो, किसी सोसाइटी का, जो अनन्यत: विद्यार्थियों के फायदे के लिये बनाई गई हो, सदस्य होने की वांछा करे, वहां किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये उसके आवेदन या सदस्यता के लिये उसके आवेदन के साथ उस विद्यार्थी के संरक्षक का या अन्य व्यक्ति का, जो उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिये सक्षम हो, एक ऐसा वचनबंध, जो सदस्य के रूप में उस विद्यार्थी के दायित्व के बारे में हो, विहित प्ररूप में संलग्न होगा।

(4) जहां किसी अन्य व्यक्ति को किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश देने से इंकार कर दिया जाये, वहां प्रवेश देने से इंकार करने संबंधी विनिश्चय, ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस सोसाइटी द्वारा उस व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा।

(5) कोई भी सोसाइटी, पर्याप्त कारण के बिना, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के तथा सोसाइटी की उपविधियों के अधीन सदस्यता प्राप्त करने के लिये सम्यक्रूपेण अर्हित हो, सदस्यता प्रदान करने से इंकार नहीं करेगी।

(6) उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन व्यथित कोई भी व्यक्ति इंकार की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा।

(7) अपील में रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा रजिस्ट्रार अपना विनिश्चय उसकी (विनिश्चय की) तारीख से [3][तीस दिन] के भीतर पक्षकारों को संसूचित करेगा।

19-ए/क सदस्य की निर्हताएं:- कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगा और कोई भी सदस्य किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा यदि]

(ए/क) वह अनुन्मोचित दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाने के लिये आवेदक हो या अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(बी/ख) वह किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, दण्डादिष्ट किया गया हो और दण्डादेश के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि न बीत गई हो;

(बीबी/खख) वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन के किसी अपराध के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो और दण्डादेश का अवसान होने की तारीख से छह वर्ष की कालावधि न बीत गई हो;

(सी/ग) वह या उसके कुटुम्ब का कोई ऐसा सदस्य, जो कि उसके साथ सामान्य हित रखता है, ऐसा

कारोबार करता हो जो कि सोसाइटी द्वारा किये जा रहे कारोबार के समरूप हों :

परन्तु खण्ड (बी/ख) के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो कि विमुक्त जातियों के उद्धार के लिये अनन्य रूप से बनाई गई या बनाई जाने वाली किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश चाहता हो,

(ई/ङ) यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी सहकारी संस्था की सेवा या सरकारी सेवा से हटा दिया गया है।

स्पष्टीकरण :- [4][इस उप धारा के प्रयोजनों के लिये-

(एक) 'विमुक्ति जातियों' से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियां जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, [5][इस उपधारा के प्रयोजन के लिये] विमुक्त जातियों के रूप में घोषित करे;

(दो) किसी व्यापारी द्वारा चलाये गये कारोबार, जिसके अंतर्गत साहूकारी का कारोबार आता है, के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उस कारोबार के समरूप है जो कि किसी विपणन सोसाइटी द्वारा चलाया जाता हो।

19. बी/ख. पश्चातवर्ती निर्योग्ताओं का प्रभाव:- यदि कोई व्यक्ति, जिसे किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया हो, बाद में उन निरर्हताओं में से, जो कि धारा 19-ए/क में विनिर्दिष्ट की गई है, किसी भी निरर्हता के अध्यधीन हो जाये, तो ऐसा व्यक्ति उस सोसायटी का सदस्य नहीं रह जायेगा तथा रजिस्ट्रार उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा।

19-सी/ग] सदस्यों का निष्कासन:- संचालक मंडल, निष्कासन के प्रयोजन के लिये किये गये सम्मिलन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से पारित किये गये संकल्प द्वारा किसी सदस्य को निष्कासित कर करेगी, यदि वह-

(ए/क) कोई ऐसा कार्य, जिससे कि सोसाइटी की साख को क्षति पहुंचने की संभावना हो या जिससे उसकी कुख्याति होने की संभावना हो, साशय करता है; या

(बी/ख) मिथ्या कथनों द्वारा सोसाइटी को जानबूझकर प्रवंचित करता है; या

(सी/ग) कोई ऐसा कारोबार करता है जो सोसाइटी द्वारा किये गये कारोबार की प्रतिद्वंद्विता में आता हो या जिसके संबंध में यह संभावना हो कि वह सोसाइटी द्वारा किये गये कारोबार की प्रतिद्वंद्विता में आवेगा; या

(डी/घ) अपने द्वारा, देय धनों का भुगतान करने में बार-बार व्यक्तिक्रम करता है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबंधों का अनुपालन करने में चूक करता है:

परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसे निष्कासित करने संबंधी प्रस्थापना की पन्द्रह दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के संबंध में संचालक मंडल के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(1-क) उपधारा (1) के अधीन समिति के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की संसूचना के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष विवाद/निर्दिष्ट कर सकेगा

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि सोसाइटी के हित में यह आवश्यक और वांछनीय है कि किसी सदस्य को इस कारण कि वह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप में लिप्त है, सोसाइटी से निष्कासित कर दिया जाये वहां वह ऐसे सदस्य और सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कालावधि के भीतर, इस संबंध में स्पष्टीकरण दे कि ऐसे सदस्य को सोसाइटी से निष्कासित क्यों न कर दिया जाए, यदि वह सदस्य या सोसाइटी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने में असफल रहती है या स्पष्टीकरण पर, यदि प्राप्त हुआ हो, विचार करने के पश्चात् रजिस्ट्रार उस सदस्य को सोसाइटी से निष्कासित करने का आदेश पारित कर सकेगा।]

(3) कोई भी सदस्य जिसे निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से छह वर्ष की कालावधि तक पुन: प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा.

(4) किसी सोसाइटी से किसी सदस्य के निष्कासन में, उस सदस्य द्वारा ऐसी सोसाइटी में धारित अंशों का समपहरण अंतवर्लित हो सकेगा।

20. नाममात्र के सदस्य :- धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाममात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगी जिसका या तो सोसाइटी के प्रबंध में या उसके लाभों में कोई अंश नही होगा और वह उस सोसाइटी के परिसमापन की दशा में किसी भी योगदायी दायित्व के अध्यधीन नहीं होगा।

20—क ''सदस्यों, संचालक मंडल के सदस्य तथा कर्मचारियों के लिये सहकारिता का प्रशिक्षण

(1) प्रत्येक सोसायटी, अपने सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर या जिला स्तर की प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, सहकारिता संबंधी मामलों में प्रशिक्षण आयोजित करवाएगी।

(2) संचालक मंडल का प्रत्येक सदस्य ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे अंतराल पर तथा ऐसे संस्थान में, जैसा कि विहित किया जाए, सहकारिता संबंधी मामलों में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।''

21. जब तक सम्यक संदाय न कर दिये जाये, सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जायेगा:- कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में सोसाइटी को ऐसा संदाय न कर दिया हो या जब तक कि उसने सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जैसा कि विहित किया जाये या जैसा कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

22. सदस्यों के मत :- (1) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलापों में एक मत देने का अधिकार होगा।

(1-ए/क) प्रत्येक निक्षेपकर्ता, जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का सदस्य होगा, सोसाइटी के क्रियाकलापों में मत देने का भी हकदार होगा।

(2) (ए/क) संघीय सोसाइटी का मतदान संबंधी अधिकार इस प्रकार विनियमित किया जायेगा कि सदस्यों को, जो कि सोसाइटियां हों, ऐसी सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में मतों की कुल संख्या के चार पंचमांश से कम मत प्राप्त न हों।

(बी/ख) संघीय सोसाइटी के मामले में, वैयक्तिक सदस्यों (जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत लोक न्यास, फर्म, कम्पनी या निगमित निकाय, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटी तथा राज्य सरकार आवेगी किन्तु उसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी नहीं आयेगी) के मतदान संबंधी अधिकार ऐसी रीति में विनियमित किये जायेंगे जैसी कि विहित की जाये।

(3) प्रत्येक संबद्ध सहकारी सोसाइटी को उचित रूप से प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधि के माध्यम से तथा उपधारा (2) के खण्ड (बी/ख) में निर्दिष्ट किये गये प्रत्येक प्रत्यायुक्त को साधारण सम्मिलन में एक मत देने का अधिकार होगा।

(4) जब तक कि किसी सोसाइटी की उपविधियों में, अन्यथा उपबंधित न हो, सम्मिलन के लिये गणपूर्ति सोसाइटियों के प्रत्यायुक्तों तथा प्रतिनिधियों की कुल संख्या के पंचमांश से होगी। परन्तु सम्मिलन में किसी भी समय प्रत्यायुक्तों की संख्या सोसाइटियों के सदस्य-प्रतिनिधियों की संख्या के पंचमांश से अधिक नहीं होगी।

(5) प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन उन उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे, जो कि संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन के लिये विहित किये गये हों।

(6) किसी प्रत्यायुक्त की कोई भी रिक्ति, जो सदस्यता की समाप्ति के कारण या अन्यथा हुई हो, उस समूह के, जिससे कि ऐसी रिक्ति संबंधित है, व्यक्तिक सदस्यों में से एक को सहयोजित करके प्रत्यायुक्तों द्वारा भरी जायेंगी।

(7) जब तक कि किसी विशिष्ट सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाये, संचालक मंडल में प्रत्यायुक्तों की संख्या किसी भी समय सोसाइटियों के प्रतिनिधियों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी, अपूर्णांकों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(8) मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में सभापति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

23. मत का प्रयोग करने की रीति:- (1) किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपने मत का प्रयोग स्वयं करेगा और किसी भी सदस्य को परोक्षी द्वारा मत देने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए-

(एक) (ए/क) कोई सोसाइटी, जो किसी अन्य सोसाइटी की सदस्य है, अपने सदस्यों में से एक सदस्य की प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति इस हेतु से कर सकेगी कि वह उसकी ओर से मत दें;

(ख) सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों के अनुसार बनाया गया व्यष्टिक सदस्यों का कोई समूह, समूह के सदस्यों में से किसी एक सदस्य का प्रत्यायुक्त के रूप में निर्वाचन इस हेतु से कर सकेगा कि वह उनकी ओर से मत दे;

(दो) राज्य सरकार अपने अधिकारियों में से एक को उस सोसाइटी के, जिसका कि सदस्य ऐसी सोसाइटी या राज्य सरकार हो, कार्यकलापों में अपनी ओर से मत देने या अन्यथा भाग लेने के लिये नाम निर्देशित कर सकेगी;

(तीन) कोई लोक न्यास, जो किसी सोसाइटी का सदस्य हो, अपने न्यासियों में से किसी एक को अपनी ओर से मत देने के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगा;

(चार) कोई फर्म, जो किसी सोसाइटी की सदस्य हो, अपने वयस्क भागीदारों में से किसी एक को अपनी ओर से मत देने के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगी; और

(पांच) कोई कम्पनी या कोई अन्य निगमित निकाय, जो किस सोसाइटी का सदस्य हो, अपने निदेशकों में से या अपने अधिकारियों में से किसी को अपनी ओर से मत देने के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगा/सकेगी।

(2) जहां कोई अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किया जाता हो और-

(एक) उस दशा में जबकि ऐसे अंश के बारे में सोसाइटी द्वारा अंश प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, तो उस व्यक्ति को, जिसका कि नाम ऐसे अंश प्रमाण-पत्र में पहले आया हो; और

(दो) उस दशा में जबकि ऐसे अंश के बारे में सोसाइटी द्वारा कोई अंश प्रमाण-पत्र जारी न किया गया हो, तो उस व्यक्ति को, जिसका नाम ऐसी सोसाइटी द्वारा रखे गये सदस्यों के रजिस्टर में पहले आया हो,

मत देने का अधिकार होगा।

24. किसी सदस्य द्वारा अंशपूंजी धारण करने पर निर्बन्धन:- किसी भी सोसाइटी में, राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य-

(ए/क) सोसाइटी की कुल अंश पूंजी के एक पंचमांश से अनधिक, उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा जैसा कि विहित किया जाय; या

(बी/ख) सोसाइटी के अंशों में बीस हजार रुपये से अधिक का कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगा :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सोसाइटियों के किसी वर्ग की बाबत ऐसा अधिकतम परिमाण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो यथास्थिति अंशपूंजी के एक पंचमांश से या[2][बीस] हजार रुपये से अधिक होगा।

25. अंशों या हित के अन्तरण पर निर्बन्धन:- (1) किसी सदस्य के किसी ऐसे अंश या हित का, जो कि किसी सोसाइटी की अंश पूंजी में उसका हो, अन्तरण उन निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो कि अधिकतम अंश धारण के बारे में धारा 24 में विनिर्दिष्ट है।

(2) किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी में अपने अंश या हित का कोई अन्तरण तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि-

(क) वह सदस्य ऐसा अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारण न कर चुका हो;

(ख) वह अन्तरण उस सोसाइटी को या उस सोसाइटी के किसी सदस्य को न किया जाय; और

(ग) वह अन्तरण संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये।

26. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अन्तरण :- (1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, कोई सोसाइटी मृत सदस्य का अंश या हित उस व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगी जिसे कि उन नियमों के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया गया हो, जो कि इस संबंध में बनाये गये हैं, या उस दशा में जबकि इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया कोई व्यक्ति न हो तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि बारे में संचालक मंडल को यह प्रतीत हो कि वह व्यक्ति उस मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि है, अन्तरित कर सकेगी या यथास्थिति ऐसे नाम निर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को ऐसे सदस्य के हित के मूल्य के समतुल्य ऐसी राशि का, जैसी कि वह नियमों या उपविधियों के अनुसार अभिनिश्चित की गई हो, संदाय कर सकेगी।

(2) कोई सोसाइटी ऐसे समस्त अन्य धनों का, जो कि उस मृत सदस्य को उस सोसाइटी द्वारा शोध्य हों, यथास्थिति ऐसे नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को संदाय कर सकेगी।

(3) ऐसे समस्त अन्तरण तथा संदाय, जो कि किसी सोसाइटी द्वारा इस धारा के उपबन्धों के अनुसार किये गये हों, किसी भी ऐसी मांग के संबंध में विधिमान्य तथा प्रभावी होंगे जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस सोसाइटी पर की गई हो।

27.अंश या निक्षेप या हित कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा:- धारा 39 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सोसाइटी की पूंजी या कामकाज पूंजी में, या किसी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा जारी किये गये उधार स्टाक (लोक स्टाक) में, या किसी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों से बचत निक्षेप के रूप में या मजदूरी में से उस सोसाइटी द्वारा की गई अनिवार्य कटौतियां करके या सदस्यों को किये गये माल के विक्रय या प्रदाय के मूल्य पर अधिभार के रूप में इकट्ठा की गई निधियों में का किसी सदस्य का अंश या हित या निक्षेप सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा उपगत किये गये किसी ऋण या दायित्व के कारण या के संबंध में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होगा और तदनुसार प्रांतीय दिवाला, अधिनियम, 1920 (क्रमांक 5 सन् 1920) के अधीन कोई प्रापक या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्सम विधि के अधीन कोई ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे अंश या हित या निक्षेप का हकदार नहीं होगा या ऐसे अंश या हित या निक्षेप के संबंध में कोई दावा नहीं रखेगा।

28. पुस्तकें आदि देखने के सदस्यों के अधिकार:- (1) प्रत्येक सोसाइटी-

(ए/क) इस अधिनियम की प्रति;

(बी/ख) नियमों की प्रति;

(सी/ग) सोसाइटी की उपविधियों की प्रति;

(डी/घ) सदस्यों का रजिस्टर,

(ई/ङ) अंतिम संपरीक्षित वार्षिक तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता; और

(एफ/च) साधारण सम्मेलनों की कार्यवाही।

अपने सदस्यों के नि:शुल्क निरीक्षण के लिये सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर समस्त युक्तियुक्त समयों पर उपलब्ध रखेगी।

(2) किसी सोसाइटी के समस्त रजिस्टर तथा अभिलेख, उन पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों को छोड़कर, जो किसी सदस्य के स्वयं के लेखाओं से भिन्न लेखाओं से संबंधित हों, ऐसी फीस

का, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाय, संदाय किया जाने पर ऐसी सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये उस सोसाइटी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।

(3) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी फीस का संदाय कर दिया जाने पर जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, सोसाइटी, अपने किसी सदस्य द्वारा आवेदन किया जाने पर, उसे ऐसे अभिलेखों या रजिस्टरों की प्रमाणित प्रतिलिपि या उनके उद्धरण प्रदान करेगी।

(4) यदि सोसाइटी का कोई कर्मचारी या अधिकारी उपधारा (2) के अधीन सोसाइटी के सदस्यों को निरीक्षण के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराता है या उपधारा (3) के अधीन उसके ऐसे अभिलेख की या रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या उसके उद्धरण नहीं देता है तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, उस पर पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा;

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो''.

29. भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व:- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, सोसाइटी के उन ऋणों के लिये, जो कि-

(ए/क) किसी भूतपूर्व सदस्य के मामले में, उस तारीख को हों, जिसका कि वह सदस्य न रह गया हो; और

(बी/ख) किसी मृत सदस्य के मामले में, उसकी मृत्यु की तारीख को हो, किसी सोसाइटी के किसी भूतपूर्व सदस्य का अथवा किसी सोसाइटी के मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व ऐसी तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा।

(2) जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी सोसाइटी का परिसमापन किया जाने का आदेश दिया जाये, वहां किसी भूतपूर्व सदस्य का, जो कि परिसमापन के आदेश की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष के भीतर सदस्य न रह गया हो या किसी मृत सदस्य की, जो कि परिसमापन के आदेश की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष के भीतर मर गया हो, सम्पदा का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि समापन की कुल कार्यवाहियां पूर्ण न हो जाये; किन्तु ऐसा दायित्व सोसाइटी के उन ऋणों तक ही विस्तारित होगा जो कि उस तारीख को हो जिसको कि वह यथास्थिति सदस्य न रह गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो।

30. सदस्यों का दिवाला :- प्राविन्शियल इन्सालवेंसी एक्ट, 1920 (क्रमांक 5 सन् 1920) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सोसाइटी के किसी सदस्य के विरुद्ध दिवाला विषयक किसी कार्यवाही में, उस सोसाइटी के शोध्यों को समस्त अन्य शोध्यों पर, सिवाय उन शोध्यों के जो कि सरकार को देय हो, पूर्विकता प्राप्त होगी।

चौथा अध्याय

सोसाइटियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, उनकी सम्पत्ति तथा निधियां

31. सोसाइटियां निगमित निकाय होंगी:- किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन उसे उस नाम से, जिसके कि अधीन वह रजिस्ट्रीकृत की गई है, एक ऐसा निगमित निकाय बना देगा जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति धारण करने, संविदायें करने, वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने तथा उनमें प्रतिरक्षा करने एवं ऐसी समस्त बातें, जो कि उन प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों जिनके लिये उसका गठन किया गया था, करने की शक्ति होगी।

32. सोसाइटी का पता तथा नाम संप्रदर्शन:- (1) प्रत्येक सोसाइटी का नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया गया एक पता होगा जिस पर कि समस्त सूचनाएं तथा संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी और वह उस पते में होने वाली किसी भी तब्दीली की लिखित सूचना, ऐसी तब्दीली होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को भेजेगी,

(2) प्रत्येक सोसाइटी-

(ए/क) अपने प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर, जहां पर वह कारबार करती है,

(बी/ख) समस्त सूचनाओं और अन्य आधिकारिक प्रकाशनों में;

(सी/ग) अपनी समस्त संविदाओं पर, कारोबारी पत्रों, माल के लिये आदेशों में, बीजकों, लेखाओं की विवरणियों, प्राप्तियों और साख पत्रकों में; और

(डी/घ) समस्त विनिमय पत्रों में, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चेकों और धन के आदेश, जिस पर वह हस्ताक्षर करती है, या जिन पर उसकी ओर से हस्ताक्षर किए जाते हैं,

अपना नाम और अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, और शब्द 'मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत' सुवाच्य अक्षरों में सहजदर्शनीय स्थान पर संप्रदर्शित करेगी।

(3) प्रत्येक सोसाइटी के नाम से शब्द 'सहकारी' और 'सीमित' या उसके समतुल्य शब्द राज्य की राजभाषा में अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी अपने रजिस्ट्रीकृत नाम में शब्द "बैंक", "बैंकिंग", "बैंकर" या शब्द "बैंक" की किसी अन्य व्युत्पत्ति का प्रयोग नहीं करेगी।

(5) प्रत्येक सोसायटी अपने रजिस्टर्ड पते पर दिन प्रतिदिन कारबार करेगी तथा अपने रजिस्टर्ड पते पर सोसाइटी से संबंधित अभिलेख संधारित करेगी और यदि सोसाइटी-

(एक) रजिस्ट्रार को परिवर्तित पते की संसूचना नहीं देती है, या

(दो) उसके रजिस्टर्ड पते पर कारबार नहीं करती हैं; या

(ती) उसके रजिस्टर्ड पते पर अभिलेख संधारित नहीं करती है,

तो रजिस्ट्रार जिम्मेदार अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा."

33. सदस्यों का रजिस्टर:- (1) प्रत्येक सोसाइटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियों की प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात्:-

(ए/क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा उसकी उपजीविका;

(बी/ख) उस दशा में, जहां कोई सोसाइटी अंशपूंजी रखती है, के प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंश;

(सी/ग) वह तारीख जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया था,

(डी/घ) वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया है; और

(ई/ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं :

परन्तु जहां किसी सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य को उसकी मृत्यु होने पर अपने अंश या हित, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने के लिये अनुज्ञात किया गया है वहां रजिस्टर में संबंधित सदस्य के सम्मुख उस व्यक्ति का नाम जो उस सदस्य के अंश या हित का हकदार होगा और वह तारीख जिस पर नामांकन अभिलिखित किया गया था, भी दर्शाई जायेगी।

(2) रजिस्टर उस तारीख के, जिसमें कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया था और उस तारीख के, जिसको वह सदस्य नहीं रह गया है, संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा।]

34. सोसाइटी की पुस्तकों में की प्रविष्टियों का सबूत:- (1) किसी सोसाइटी की किसी ऐसी पुस्तक, जो कि उसके कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई हो, में कि किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि वह ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाये, प्रमाणित हो, किसी भी वाद या विधिक कार्यवाहियों में या किन्हीं भी अन्य प्रयोजनों के लिये, ऐसी प्रविष्टि के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ली जायेगी और उसमें अभिलिखित किये गये विषयों, संव्यहवारों तथा लेखाओं की बाबत्, साक्ष्य उसी रीति में तथा उसी सीमा तक ग्राह्य होंगी जिस सीमा तक कि मूल प्रविष्टि ग्राह्य होती है।

(2) किसी सोसाइटी द्वारा अपने कारबार के अनुक्रम में अभिप्राप्त की गई तथा रखी गई किसी दस्तावेज की अथवा ऐसी दस्तावेज में की किन्हीं प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां, जो कि ऐसी सोसाइटी द्वारा दी गई हों, यदि वे विहित रीति में प्रमाणित हों, किसी भी वाद या विधिक कार्यवाही में या किन्हीं भी अन्य प्रयोजनों के लिये साक्ष्य में उसी रीति में तथा उसी सीमा तक ग्राह्य होंगी जिस रीति में तथा जिस सीमा तक कि यथास्थिति मूल दस्तावेज अथवा उसकी प्रविष्टियां ग्राह्य होती हैं।

(3) किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को तथा किसी ऐसे अधिकारी को, जिसके कि कार्यालय में सोसाइटी की पुस्तकें समापन के पश्चात् निक्षिप्त की जाती हैं, किन्हीं भी ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें की वह सोसाइटी या समापक पक्षकार न हो, सोसाइटी की किन्हीं भी ऐसी पुस्तकों या दस्तावेजों को, जिनकी कि विषयवस्तु इस धारा के अधीन साबित की जा सकती है, पेश करने के लिये या उनमें अभिलिखित किये गये विषयों, संव्यवहारों तथा लेखाओं को साबित करने के लिये साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिये न्यायालय के, या मध्यस्थ के आदेश, जो कि विशेष कारण से किया गया हो, के अधीन ही विवश किया जायेगा अन्यथा नहीं।

34.ए/क. सोसाइटी सदस्यों को पासबुक देगी:- (1) कोई सोसाइटी जो अपने सदस्यों को उधार देती है या कोई सोसाइटी या सोसाइटियों का कोई वर्ग जिसे राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करें, अपने प्रत्येक सदस्य को एक पास-बुक देगी जिसमें सदस्य के साथ हुये संव्यवहारों का लेखा जैसे कि संव्यवहार की तारीख, दिए गये उधार की रकम, ब्याज की दर, सदस्य द्वारा किया गया प्रतिसंदाय, शोध्य मूल तथा ब्याज की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी कि विहित की जाएं अन्तर्विष्ट होगा। पास-बुक में समय-समय पर आवश्यक प्रविष्टियां की जाएगी। जिन पर सोसाइटी के ऐसे पदधारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे जिसे संचालक मंडल इस निमित्त प्राधिकृत करे, इस प्रयोजन के लिये, सदस्य इस बात के लिये बाध्य होगा कि ऐसे पदधारी को पासबुक प्रस्तुत करे और यदि पासबुक आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिये कुछ समय तक रखी जाने के लिए अपेक्षित है, तो सदस्य को ऐसे पदधारी द्वारा उसके लिये एक रसीद प्रदान की जायेगी।

(2) पासबुक में सम्यकरूपेण की गई प्रविष्टियां, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, सदस्य और सोसाइटी के बीच संव्यवहारों के लेखाओं का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगी।]

35. लिखतों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से छूट:- भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) में की कोई भी बात-

(ए/क) किसी सोसाइटी के अंशों से संबंधित किसी लिखित को लागू नहीं होगी भले ही उस सोसाइटी की आस्तियां पूर्णतः या भागतः स्थावर सम्पत्ति से मिलकर बनी हो; या

(बी/ख) ऐसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये ऐसे डिबेन्चरों को लागू नहीं होगी जो स्थावर संपत्ति पर या ऐसी संपत्ति में कोई अधिकार, हक या हित सृजित, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वाचित नहीं करते हैं, उस सीमा तक के सिवाय, जहां तक कि वे धारक को उस प्रतिभूति के लिये हकदार बनाते हैं जो कि किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा दी गई है जिसके द्वारा उस सोसाइटी ने अपनी संपूर्ण स्थावर सम्पत्ति या उसका कोई भाग या उसमें का कोई हित ऐसे डिबेंचरों के धारकों के फायदे के लिये न्यासियों को न्यास पर बन्धक कर दिया है, हस्तांतरित कर दिया है या अन्यथा अन्तरित कर दिया है; या

(सी/ग) किसी ऐसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये किसी डिबेंचर पर के किसी पृष्ठांकन को या उसके अन्तरण को लागू नहीं होगी; या

(डी/घ) किसी ऐसी घोषणा को, जो भूमि पर धारा 41 के अधीन कोई भार सृजित करने के हेतु किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी के पक्ष में की गई हो, तथा उसके ऐसे समनुदेशन को, जो कि उक्त सोसाइटी के पक्ष में की गई हो, तथा उसके ऐसे समनुदेशन को, जो कि उक्त सोसाइटी द्वारा उस वित्तदायी बैंक या संघीय सोसाइटी के, जिससे कि वह सम्बद्ध हो, पक्ष में किया गया हो, तथा ऐसे और समुनदेशन को, जो ऐसे वित्तदायी बैंक या ऐसी संघीय सोसाइटी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या किसी अन्य संघीय सोसाइटी के पक्ष में किया गया हो, लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिये वित्तदायी बैंक के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन एण्ड ट्रांसपर आफ अण्डरटेकिंग्स) एक्ट 1970

(क्रमांक 5 सन् 1970) को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी नया बैंक तथा ऐसा अन्य बैंक जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें, आते हैं।

36. उधार लेना:- कोई सोसाइटी राज्य सरकार, राज्य में कार्य कर रहे किसी विधि के अधीन बैंक, वित्तीय निकायों, निगमित निकायों और व्यक्तियों से, सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के अधीन निक्षेप और उधार प्राप्त कर सकेगी। वह नाममांत्र की सदस्यता प्रदान करके विशिष्ट करार या अनुमोदित परियोजना के अधीन अंशपूंजी के रूप में निधि भी प्राप्त कर सकेगी।

37. उधारों के दिये जाने पर निर्बन्धन:- (1) कोई भी सोसाइटी:-

(ए/क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य न हो;

(बी/ख) किसी सदस्य को उसके स्वयं के अंशों की प्रतिभूति पर;

(सी/ग) किसी सदस्य को किसी सदस्येत्तर व्यक्ति की प्रतिभूति पर उधार नहीं देगी।]

परन्तु सोसाइटी, अपनी उपविधियों में उपबंधित किए गये अनुसार किसी अन्य सोसाइटी और/या नाममात्र के सदस्य को उधार दे सकेगी।

(1-ए/क) अपने ऐसे सदस्यों को, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लेण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन्, 1959) की धारा 114-ए के अधीन विहित की गई 'भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका' दी गई हो, उधार देने वाली सोसाइटी उधारों, अग्रिमों तथा उनकी वसूली के समस्त संव्यवहार पूर्वोक्त भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका में दर्ज करेगी।

(1-बी/ख) इस अधिनियम में, उसके अधीन बनाये गये नियमों में तथा सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में जबकि सोसाइटी के सदस्यों को दिये गये किसी उधार या अग्रिम की प्रविष्टि की जाने से छूट गई हो, (यह उपधारणा की जायेगी कि कोई भी ऐसा उधार या अग्रिम नहीं दिया गया है परन्तु) यह उपधारणा तब नहीं की जायेगी जबकि सोसाइटी द्वारा अन्यथा साबित कर दिया जाये।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सोसाइटी किसी निक्षेपकर्ता को उसके निक्षेप के प्रतिभूति पर उधार दे सकेगी।

(4) यदि किसी सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिसे कि उधारों, अग्रिमों तथा उनकी वसूली की प्रविष्टि उपधारा (एक-ए) में निर्दिष्ट की गई 'भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका' में करने का कार्य सौंपा गया हो, उक्त पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि करने से चूक जाये तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, उस पर पांच सौ रुपये से अनधिक किसी रकम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश धारा 85 के उपबन्धों के अनुसार प्रवर्तित किया जायेगा।

38. सदस्येतर व्यक्तियों के साथ अन्य संव्यवहारों पर निर्बन्धन:- धारा 36 तथा 37 में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सोसाइटी के वे संव्यवहार, जो सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ किये जायें, ऐसे निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए होंगे जैसे कि विहित किये जाये।

39. सदस्यों के अंश या हित की बाबत भार एवं मुजराई:- किसी सोसाइटी का किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के पूंजी में के अंश या हित पर तथा उसके निक्षेपों पर तथा किसी सदस्य, भूतपूर्व

सदस्य या मृत सदस्य को देय किसी लाभांश, बोनस या लाभों पर, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग, जो कि ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की ओर से उस सोसाइटी को देय हो, के संबंध में भार होगा और वह किसी भी ऐसी राशि को, जो कि किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के नामे जमा की गई हो या उसको देय हो, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग के भुगतान में अथवा उसके लेखे मुजरा कर सकेगी :

परन्तु किसी वित्तदायी बैंक का किसी ऐसी राशि, जो किसी सोसाइटी द्वारा ऐसे बैंक में आरक्षित निधि के रूप में विनिहित की गई हो, पर उस दशा में कोई भार नहीं होगा जबकि ऐसा बैंक उस सोसाइटी का एकमात्र लेनदार न हो अथवा किसी ऐसी राशि, जो कि ऐसे बैंक में किसी भविष्य निधि से विनिहित की गई हो, पर उसका कोई भार नहीं होगा और न ऐसा बैंक किसी ऐसी राशि को, जो कि उस सोसाइटी के नामे जमा की गई हो या उसे देय हो, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग के जो कि ऐसी सोसाइटी की ओर से ऐसे बैंक को देय हो, भुगतान में या उसके लेखे मुजरा करने का हकदार नहीं होगा।

40. कतिपय आस्तियों पर सोसाइटी का पूर्विक (प्रथम) दावा:- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू-राजस्व के बाबत या भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य किसी धन के बाबत राज्य सरकार के किसी पूर्विक दावे के अध्यधीन रहते हुए तथा विकास बैंक के किसी दावे के, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1966 (क्रमांक 28 सन् 1966) के अधीन किसी भी समय मंजूर किये गये उधार में से उद्भूत हो, अध्यधीन रहते हुए, किसी भी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय कोई भी ऋण या शेष निकलने वाली मांग ऐसी फसलों या अन्य जंगम सम्पत्ति पर, जो कि ऐसे सदस्य, भूतपूर्व सदस्य की हो, या जो मृत सदस्य की सम्पदा का भाग हो, जैसी भी दशा हो, प्रथम भार होगी:

परन्तु जहां राज्य सरकार का कोई पूर्विक दावा लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट, 1983 (क्रमांक 19 सन् 1883) या एग्रीकल्चरिस्ट्स लोन्स एक्ट, 1884 (क्रमांक 12 सन् 1884) के अधीन मंजूर किये गये उधार में से उद्भूत होता है और ऐसा उधार किसी सोसाइटी द्वारा उधार के मंजूर किये जाने के पश्चात् मंजूर किया गया हो, वहां सोसाइटी द्वारा मंजूर किये गये उधार को, उक्त अधिनियमितियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के ऐसे दावे पर पूर्विकता प्राप्त होगी।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी सम्पत्ति को, जो कि उपधारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन हो, उस सोसाइटी की, जो कि भारधारण करती हो, लिखित पूर्व अनुज्ञा से ही अन्तरित करेगा अन्यथा नहीं :

परन्तु किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के लिये यह सदैव विधिपूर्ण होगा कि वह मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1966 (क्रमांक 28 सन् 1966) के अधीन किसी विकास बैंक के पक्ष में, उसके शोध्यों के लिये भार सृजित करें।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संपत्ति का कोई भी ऐसा अन्तरण, जो उपधारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया हों, सोसाइटी को देय किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग, जो कि उपधारा (1) के अधीन ऐसी सम्पत्ति पर प्रथम भार हो, की

बाबत सोसाइटी के किसी भी दावे के विरुद्ध शून्य होगा।

41. कतिपय आस्तियों पर सहकारी सोसाइटियों का प्रथम भार:- (1) तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू-राजस्व की बाबत या भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य किसी धन की बाबत राज्य सरकार के किसी पूर्विक दावे के अध्यधीन रहते हुए या किसी विकास बैंक के किसी दावे के, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1966 (क्रमांक 28 सन् 1966) के अधीन या मध्यप्रदेश कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 32 सन् 1973) के अधीन किसी बैंक द्वारा किसी भी समय मंजूर किये गये किसी उधार में से उद्भूत होता हो, अध्यधीन रहते हुए, कोई भी ऋण या बकाया मांग, जो किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय हो,-

(ए/क) उस भूमि पर, जो यथास्थिति ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के स्वामित्व की हो या मृत सदस्य की संपदा की भाग रूप हो; और

(बी/ख) अभिधारी के रूप में किसी भूमि में के उसके हित पर, यदि ऐसा सदस्य ऐसे हित का स्वामित्व रखता है;

जिसके कि विरुद्ध ऐसा ऋण मंजूर किया गया था या ऐसी बकाया मांग विद्यमान है, उस ऋण या बकाया मांग, जो कि उसके द्वारा देय हो, के लिये तथा वैसे ऋण या बकाया मांग की सीमा तक सोसाइटी के पक्ष में प्रथम भार होगी :

परन्तु जहां राज्य सरकार का कोई पूर्विक दावा भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (क्रमांक 19 सन् 1883) के अधीन मंजूर किये गये उधार में से उद्भूत होता है और ऐसा उधार किसी सोसाइटी द्वारा किसी उधार के मंजूर किये जाने के पश्चात् मंजूर किया गया हो, वहां सोसाइटी द्वारा मंजूर किये गये उधार को उक्त अधिनियमिति के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के ऐसे दावे पर पूर्विकता प्राप्त होगी।

(2) कोई भी सदस्य ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को या उसमें के किसी हित को, जो कि उपधारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन हो, तब तक अन्य संक्रमण नहीं करेगा जब तक कि उस सदस्य द्वारा उधार ली गई संपूर्ण रकम ब्याज सहित पूरी न चुका दी जाये:

परन्तु किसी सदस्य या किसी भूतपूर्व सदस्य के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसी भूमि या उसके किसी भाग को-

(एक) किसी सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; या

(दो) मध्यप्रदेश कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 32 सन् 1973) के अधीन किसी बैंक; या

(तीन) राज्य सरकार

के पक्ष में ऐसी भूमि या उसके किसी भाग को किसी नहर से जल-प्रदाय के लिए मध्यप्रदेश इरीगेशन एक्ट, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन बन्धकित करें।

(3) ऐसा अन्य संक्रामण, जो उपधारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया हो, सोसाइटी के किसी भी ऐसे दावे के, जो इस धारा के अधीन उससे (सोसाइटी से) लिये गये उधार के संबंध में हो, विरुद्ध शून्य होगा।

(4) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य से सोसाइटी को देय ऋण या बकाया मांग के ब्यौरों के बारे में लिखित संसूचना विहित रीति में तहसीलदार को दी जायेगी और तहसीलदार ऐसी संसूचना के प्राप्त होने पर उसे अधिकार अभिलेख में दर्ज करवायेगा।]

41-ए/क. स्थावर सम्पत्ति का अर्जन तथा व्ययन करने का सोसाइटी का अधिकार- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सोसाइटी को यह शक्ति होगी कि वह स्वयं उस कृषि भूमि का या उसमें के हित का या किसी भी स्थावर सम्पत्ति का, जो कि किसी सदस्य ने किसी ऐसी वित्तीय सहायता के संबंध में, जिसका कि उसके द्वारा उपभोग किया गया हो, सोसाइटी के पक्ष में भारित या बन्धकित कर दी/दिया हो, अर्जन करें, परन्तु यह तब जब कि वह उक्त भूमि का या उसमें के हित का या किसी अन्य स्थावर संपत्ति का विक्रय लोक नीलाम द्वारा किया जाना चाहा गया हो, और किसी भी व्यक्ति ने उसका क्रय उस कीमत पर करने की प्रस्थापना न की हो, जो कि सोसाइटी को उस धन का, जो कि उसे शोध्य हो, भुगतान करने के लिये पर्याप्त हो:

परन्तु भूमि या संपत्ति के केवल ऐसे भाग का विक्रय किया जायेगा जो कि ऋण और उस पर का ब्याज चुकाने के लिये युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो।

(2) कोई सोसाइटी, जो उपधारा (1) के अधीन उसमें निहित की गई शक्ति का प्रयोग करते हुये, भूमि या उसमें के हित का या किसी भी अन्य स्थावर सम्पत्ति का अर्जन करें, उसका व्ययन विक्रय द्वारा ऐसी कालावधि के भीतर कर सकेगी जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(3) यदि सोसाइटी को उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा अर्जित की गई कोई भूमि, उपधारा (2) में उपदर्शित किये गये अनुसार उसका विक्रय होने तक के लिये, पट्टे पर देनी है, तो पट्टे की कालावधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किन्हीं प्रतिकूल उपबंधों के होते हुए भी, उस भूमि या सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

(4) इस धारा के शब्दों में, भूमि का या उसमें के हित का किसी सोसाइटी द्वारा कोई विक्रय तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उन उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो कि अकृषकों द्वारा किये जाने वाले भूमि के क्रय पर या उच्चतम सीमा से अधिक भूमि के क्रय पर या भूमि के ऐसे क्रय पर, जिससे कि भूमि के खण्ड किसी विनिर्दिष्ट सीमा से कम के बनते हों, निर्बन्धन लगाते हों।

(5) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के उपबंध आदिवासी जनजाति के किसी व्यक्ति की किसी भूमि का या उसमें उसके हित का किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय के लिये लागू होंगे जो कि ऐसी जनजाति का न हो।

(6) मध्यप्रदेश सीलिंग आन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्ज एक्ट, 1960 (क्र. 20 सन् 1960) में की कोई भी बात किसी ऐसी सोसाइटी को लागू नहीं होगी जो उपधारा (1) के अधीन भूमि का अर्जन करती हो और ऐसी भूमि को उस समय तक धारण किये रहती हो जब तक कि वह सोसायटी उस भूमि को इस धारा में उपबंधित की गई रीति में अन्यथा ऐसी कीमत पर जो कि उसके शोध्यों के चुकाने के लिये पर्याप्त हो, बेचने की स्थिति में न हो।

42. कतिपय दशाओं में सोसाइटी के दावे की पूर्ति करने के लिये वेतन में से कटौती:- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सोसाइटी का कोई भी सदस्य ऐसी सोसाइटी के पक्ष में एक ऐसा करार निष्पादित कर सकेगा जिसमें यह उपबंध होगा कि उसका नियोजक इस बात के लिये सक्षम होगा कि वह उस वेतन या मजदूरी में से जो कि ऐसे नियोजक द्वारा उसे देय हो, उतनी रकम की कटौती कर ले जो कि उस करार में विर्निदिष्ट की जाये, और इस प्रकार काटी गई रकम का या उस सोसाइटी को भुगतान किसी ऐसे ऋण या मांग की तुष्टि के रूप में कर दे जो किउस सदस्य की ओर से उस सोसाइटी को देय हो।

(2) ऐसे करार का निष्पादन कर दिया जाने पर, यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऋण या दावा किसी प्राधिकारी द्वारा न्याय निर्णित कराया जाये, तथा नियोजक, यदि सोसाइटी द्वारा लिखित अध्यपेक्षा द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो और जब तक कि सोसाइटी यह प्रज्ञापित न करे कि ऐसे संपूर्ण ऋण या मांग का भुगतान कर दिया गया है, उस करार के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी रकम सोसाइटी को संदत्त करेगा मानो कि वह रकम मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (क्रमांक 4 सन् 1936) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार उस दिन देय वेतन या मजदूरी का भाग हो।

(3) यदि, उपधारा (2) के अधीन की गई अध्यपेक्षा के प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियोजक, किसी भी समय अध्यपेक्षा में विर्निदिष्ट रकम की, कटौती संबंधित सदस्यों को देय वेतन या मजदूरी में से नहीं करता है, या काटी गई रकम उस सोसाइटी को विप्रेषित करने में व्यतिक्रम करता है तो वह सोसाइटी ऐसी रकम नियोजक से भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल करने की हकदार होगी और उस रकम को, जो कि नियोजक से इस प्रकार शोध्य है, नियोजक के दायित्व के संबंध में वही पूर्विकता प्राप्त होगी जो कि बकाया मजदूरी को प्राप्त होती है।

(4) इस धारा के उपबन्ध उपधारा (1) के निर्दिष्ट किये गये प्रकार के उन समस्त करारों को भी लागू होंगे जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से प्रवृत्त थे।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात रेल्वे, खानों तथा तेल क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों को लागू नहीं होगी।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, आहरण तथा संवितरक अधिकारी को किसी सरकारी सेवक के संबंध में नियोजक समझा जायेगा।

43. निधियां तथा लाभ:- (1) किसी सोसाइटी की ऐसी निधियों का, जो शुद्ध लाभों से भिन्न हो, कोई भी भाग उसके सदस्यों को बोनस या लाभांश के रूप में संदत्त नहीं किया जायेगा और न ही उसके सदस्यों में उसका अन्यथा वितरण ही किया जायेगा :

परन्तु किसी सदस्य को, किन्हीं ऐसी सेवाओं, जो कि उसके द्वारा सोसाइटी के लिये की गई हो, के लिये

पारिश्रमिक का भुगतान ऐसे मापमान से किया जा सकेगा जो कि उपविधियों द्वारा अधिकथित किया जाये।

(2) कोई सोसाइटी किसी वर्ष के अपने शुद्ध लाभों में से-

(ए/क) यदि रजिस्ट्रार ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, सोसाइटी को इस निमित्त भागत: या पूर्णत: छूट न दे दी हो तो ऐसी रकम आरक्षित निधियों में अन्तरित करेगी जो ऐसे लाभों के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो; और

(बी/ख) मध्यप्रदेश सहकारी संघ मर्यादित को तथा ऐसी अन्य संस्थाओं या संघों को, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये जायें, ऐसे अभिदाय का भुगतान करेगी जो कि विहित किया जाये [2][किन्तु सहकारी साख संरचना को किसी अभिदाय का भुगतान नहीं करना होगा; और]

(सी/ग) ऐसी सोसाइटी, जिसमें सरकार की साधारण अंशपूंजी की भागीदारी है साधारण अंशपूंजी मोचन निधि में कम से कम बीस प्रतिशत राशि अंतरित करेगी।

(3) कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने सदस्यों को पच्चीस प्रतिशत से अधिक की दर से लाभांश नहीं देगी।

(3-क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से, रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उसके सदस्यों को लाभांश का भुगतान करेगी।

(4) कोई भी सोसाइटी, रजिस्ट्रार की मंजूरी से, किसी वर्ष के शुद्ध लाभ का एक-चौथाई भाग आरक्षित निधि में रख दिया जाने के पश्चात् अवशिष्ट शुद्ध लाभों के पांच प्रतिशत से अनधिक भाग का अभिदाय किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिये कर सकेगी जो कि सहकारिता-आंदोलन के विकास से संबंधित हो या पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (क्र. 6 सन् 1890) की धारा 2 में यथा परिभाषित, पूर्त प्रयोजन से संबंधित हो)।

(5) कोई भी सोसाइटी किसी ऐसे संगठन में जिसका उद्देश्य किसी राजनैतिक दल या किसी धार्मिक आस्था को अग्रसर करना है न तो प्रत्यक्षत: और न अप्रत्यक्षत: धन के या वस्तु के रूप में अभिदाय नहीं करेगी।

43. ए/क. लाभों का विनियोजन- (1) लाभ अर्जित करने वाली कोई सोसाइटी वर्ष के सकल लाभों में से निम्नलिखित की कटौती करके शुद्ध लाभ की संगणना करेगी :-

(ए/क) उधार लेखाओं पर प्रोद्भूत समस्त अतिशोध्य ब्याज;

(बी/ख) प्रबंध प्रभार;

(सी/ग) उधारों (लोन्स) तथा निक्षेपों पर देय ब्याज;

(डी/घ) संपरीक्षा (आडिट) फीस;

(ई/ङ) कामकाज संबंधी खर्चे जिसके अंतर्गत है मरम्मत, भाटक, कर;

(एफ/च) अवक्षयण;

(जी/छ) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का सं. 21) के अधीन कर्मचारियों को देय बोनस;

(एच/ज) आयकर के संदाय के लिये प्रावधान;

(आई/झ) राज्य/जिला सहकारी संघ, जो कि अधिसूचित किया जाये, को अभिदाय के भुगतान के लिये

प्रावधान;

(जे/ञ) विकास-निधि, डूबन्त ऋण निधि, मूल्य उतार-चढ़ाव निधि, लाभांश समानीकरण निधि, विनिधान उतार-चढ़ाव निधि और ऐसी अन्य निधियों के लिये प्रावधान जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जायें;

(के/ट) कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिये प्रावधान और उन सोसाइटियों की दशा में, जो उपभोक्ता माल का कारबार करती है, सदस्य को संदत्त किये जाने वाले क्रय रिबेट के लिये प्रावधान; और

(एल/ठ) डूबन्त ऋण को और ऐसी हानियों को जो लाभों में से सृजित किसी भी निधि के प्रति समायोजित नहीं किये गये हैं, बट्टेखाते डाले जाने के लिये प्रावधान।

(ड) आस्तियों के अपालन के लिये प्रावधान जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(1-क) प्रत्येक सोसाइटी ''प्रशिक्षण निधि'' के नाम से जानी जाने वाली एक पृथक् निधि का सृजन करेगी जिसमें उसके लाभ की दो प्रतिशत रकम सोसाइटी के सदस्यों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिये प्रत्येक वर्ष अन्तरित करेगी''

(2) तथापि, कोई भी सोसाइटी वर्ष के शुद्ध लाभों से उस ब्याज को जोड़ सकेगी जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रोद्भूत हुआ है, किन्तु वर्ष के दौरान वास्तव में वसूल किया गया है। इस प्रकार निकाले गये शुद्ध लाभ पूर्व वर्ष से आगे ले गये लाभों की रकम सहित धारा 43 के प्रयोजनों के लिये विनियोजित किये जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे।

43. बी/ख- घाटे के लिये दायित्व:- (1) जहां किसी सोसाइटी को किसी वर्ष में परिचालन घाटा होता है, वहां संचालक मंडल उसके कारणों को साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(2) साधारण निकाय, जहां सोसाइटी के कारबार के सामान्य अनुक्रम में घाटा हुआ है वहां उसके कारणों का परीक्षण करेगा और साधारण निकाय अपने परीक्षण के आधार पर परिचालन घाटे को उसके सदस्यों से और या आरक्षितियों से पूर्णत: या भागत: पूरा करने हेतु संकल्प कर सकेगा।

44. निधियों का विनिधान- (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई सोसाइटी अपनी निधियों का विनिधान या निक्षेप-

(क) शासकीय डाकघर या शासकीय प्रतिभूतियों के बचत खाते में; या

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक या वित्तीय संस्था में; या

(ग) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का.सं. 2) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट की गई प्रतिभूतियों में से किसी भी प्रतिभूति में; या

(घ) किसी संघीय सोसाइटी के पास जिसकी वह सदस्य है या उसके अंश के क्रय करने में; या

(ङ) परिसीमित दायित्व वाली किसी अन्य सोसाइटी के पास या उसके अंशों या प्रतिभूतियों या डिबेंचरों के क्रय में, कर सकेगी।

(2) किसी सोसाइटी की आरक्षित निधि का उपयोग केवल ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर किया जायेगा, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त अधिकथित किया जाए:

परन्तु सहकारी साख संरचना के मामले में रजिस्ट्रार द्वारा आरक्षित निधि के उपयोग के लिए अधिकथित की जाने वाली रीति और निबंधन तथा शर्तें राष्ट्रीय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अध्यधीन होंगे.

(3) गृह निर्माण सोसाइटी से भिन्न किसी भी सोसाइटी द्वारा, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सृजित निधि से भिन्न अपनी निधियों में से किसी निधि का स्थावर या जंगम संपत्ति में विनिधान नहीं किया जायेगा।

(4) निक्षेप प्रतिग्रहीत करने वाली कोई सोसाइटी, ऐसे निक्षेपों की रक्षा राशि के रूप में संपरिवर्ती संसाधनों को ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति में बनाए रखेगी, जैसा कि समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

परन्तु किसी सहकारी साख संरचना के मामले में, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय बैंक से परामर्श के पश्चात् उस समय और रीति को विनिर्दिष्ट करेगा।

45. सोसाइटियों को राज्य सहायता का मंजूर किया जाना:- (1) कोई ऐसी सोसाइटी, जो अंशपूंजी के प्रति अभिदाय से भिन्न किसी रूप में राज्य सहायता प्राप्त करना चाहती हो, ऐसी राज्य सहायता चाहने के लिये कारण कथित करते हुए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवदेन प्राप्त होने पर अन्यथा, रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसी सहायता उस सोसाइटी के हित में आवश्यक है, ऐसी सहायता मंजूर की जाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगा। राज्य सरकार तदुपरि उस सोसाइटी को ऐसी सहायता जैसी कि ठीक समझे, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर मंजूर कर सकेगी जैसी कि विहित की जाये।

46. कर्मचारियों को भविष्य निधि:- (1) कोई सोसाइटी अपने कर्मचारियों के फायदे के लिये एक अभिदायी भविष्य निधि की स्थापना कर सकेगी जिसमें ऐसे समस्त अभिदाय जमा किये जायेंगे जो कि उस सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार कर्मचारियों तथा सोसाइटी द्वारा किये गये हों।

(2) किसी सोसाइटी द्वारा उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई अभिदायी भविष्य निधि-

(ए/क) उस सोसाइटी के कारबार के उपयोग में नहीं लाई जायेगी;

(बी/ख) उस सोसाइटी की आस्तियों का भागरूप नहीं होगी;

(सी/ग) कुर्क किये जाने में दायित्वाधीन नहीं होगी या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अध्यधीन नहीं होगी; और

(डी/घ) ऐसी रीति में प्रशासित की जायेगी जैसी कि विहित की जाये।

47. संघीय सोसाइटी से सम्बद्ध किये जाने के निदेश देने की शक्ति:- राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त सोसाइटियां या उनमें से कोई सोसाइटी मध्यप्रदेश सहकारी संघ से या किसी जिला सहकारी संघ से या किसी अन्य संघ से ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर सम्बद्ध की जाये जैसी कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, परन्तु सहकारी साख संरचना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

47. (ए/क) शीर्ष सोसाइटी- (1) शीर्ष सोसाइटी और सभी संघटकों की सेवा के लिये और अपनी उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी:-

(ए/क) सहकारी सिद्धान्तों का पालन हो, इसके सुरक्षा उपाय करना;

(बी/ख) सहकारी सोसाइटियों को संप्रवर्तित करना और इस प्रयोजन के लिये आदर्श उपविधियां विरचित करना और सोसाइटियों के विचारण हेतु विभिन्न विनियम और नीतियां बनाने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाना;

(सी/ग) सहकारिता के प्रशिक्षण, शिक्षण और जानकारी की व्यवस्था करना और सहकारी सिद्धान्तों का प्रचार करना;

(डी/घ) अनुसंधान और मूल्यांकन करना तथा सदस्य सोसाइटियों के लिये भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना;

(ई/ड) सदस्य सोसाइटियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करना;

(एफ/च) सदस्य सोसाइटियों के बीच आपस में के तथा सोसाइटी और उसके सदस्यों के बीच के विवादों को निपटाने में सहायता करना;

(जी/छ) सदस्य सोसाइटियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सोसाइटियों के अनुकूल नीतियों और विधान के लिये अभिमत प्राप्त करने के प्रयास करना।

(एच/ज) अपने सदस्यों की ओर से कारबारी सेवायें हाथ में लेना;

(आई/झ) बोर्ड के सम्मिलनों में, जिनमें सदस्य सोसाइटियां आमंत्रित की जाती हैं, में भाग लेने के साथ ही सदस्य सोसाइटियों को सहयोग एवं प्रबंधकीय विकास संबंधी सेवाएं प्रदान करना;

(जे/ञ) सदस्य सोसाइटियों में यथासमय वार्षिक संपरीक्षा का संचालन सुनिश्चित करना;

(के/ट) सदस्य सोसाइटियों के यथासमय निर्वाचन का संचालन सुनिश्चित करना;

(एल/ठ) सदस्य सोसाइटियों के साधारण सम्मिलनों के नियमित संचालन हेतु सहायता करना;

(एम/ड) सदस्य सोसाइटियों के पालन हेतु आचार संहिता विकसित करना;

(एन/ढ) सदस्य सोसाइटियों की सक्षमता के मापदंड विकसित करना;

(ओ/पी) सदस्य सोसाइटियों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करना;

(पी/त) सदस्य सोसाइटियों के हित में कोई भी अन्य सेवा प्रदान करना।

पांचवा अध्याय

सोसाइटियों का प्रबंध

48. सोसाइटी में का अन्तिम प्राधिकार- (1) किसी सोसाइटी में का अन्तिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगा :

परन्तु साधारण निकाय की शक्तियों का या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये जो कि सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी सोसाइटी की उपविधियों में एक ऐसे छोटे निकाय के गठन के लिये उपबंध हो सकेगा जिसमें ऐसी उपविधियों के अनुसार निर्वाचित किये गये प्रत्यायुक्त होंगे।

(2) उपधारा (1) के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक सोसाइटी का प्रबंध इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के या सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार गठित की गयी संचालक मंडल में निहित होगा तथा वह संचालक मंडल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों द्वारा क्रमश: उसे प्रदत्त की जाये या उस पर अधिरोपित किये जाये।

(3) (ए/क) प्राथमिक सोसाइटी की संचालक मंडल में -

[5][(क) यदि सोसाइटी में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के वैयक्तिक सदस्य हों, तो एक स्थान, उस प्रवर्ग के सदस्य के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिसके अन्य की अपेक्षा अधिक सदस्य हों.

(ख) ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के संचालक मंडल में, जिसमें वैयक्तिक महिला सदस्य हों, दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।''

(सी/ग) किसी सोसाइटी द्वारा अपेक्षित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहने पर या खण्ड (ए/क) और (बी/ख) में विनिर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने की दशा में संचालक मंडल के सदस्य अपेक्षित संख्या में सदस्यों का सहयोजन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेंगे जो ऐसे प्रतिनिधित्व के पात्र हैं, और संचालक मंडल द्वारा ऐसा करने में असफल रहने की दशा में रजिस्ट्रार अपेक्षित संख्या में सदस्यों का नाम निर्देशन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के लिये पात्र हैं:

(5) प्रत्येक सोसाइटी के संचालक मंडल में एक अध्यक्ष/सभापति तथा दो उपाध्यक्ष/उप-सभापति होंगे।

(6) कोई भी व्यक्ति जो किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक में वैयक्तिक सदस्य हैं, केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी में कोई भी विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं करेगा।

(7) किसी संसाधन सोसाइटी में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उधार न लेने वाला सदस्य है, समिति के सदस्य के रूप में, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिये अर्हित नहीं होगा न ही वह ऐसी सोसाइटी की समिति, उसके प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा;

परन्तु इस उपधारा के उपबंध सोसायटी को उस तारीख से लागू होंगे जिसको कि वह उधार देने की अपनी संक्रियाएँ प्रारंभ करती है,

परन्तु यह और कि इस उपधारा के उपबंध, सोसाइटी की, जहाँ तक कि उसकी प्रथम अनंतिम समिति का संबंध है, लागू नहीं होंगे,

परन्तु यह भी कि इस उपधारा के उपबंध प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के निक्षेपकर्ता सदस्य पर लागू नहीं होंगे.

स्पष्टीकरण - उधार न लेने वाला सदस्य वह होगा जिसने ऐसे किसी बैंक या ऐसी किसी सोसायटी से, जिसका कि वह एक सदस्य है, कभी उधार न लिया हो.'

(8) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी के संचालक मंडल में सदस्यों की कुल संख्या, धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सरकार के नामनिर्देशितियों और पदेन सदस्यों को छोड़कर पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

परन्तु धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ऐसे सरकार के नामनिर्देशितियों तथा पदेन सदस्यों को उनकी ऐसे सदस्य की हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा या संचालक मंडल के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए वे पात्र नहीं होंगे.

(9) बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी द्वारा हाथ में लिये जाने वाले उद्देश्यों तथा गतिविधियों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति, संचालक मंडल के सदस्य के रूप में सहयोजित किये जाएंगे;

परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्य उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट पन्द्रह संचालकों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होंगे,

परन्तु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को उनकी ऐसे सदस्य की हैसियत में सहकारी सोसायटी के किसी निर्वाचन में मत देने का अथवा संचालक मंडल में पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का अधिकार नहीं होगा :

परन्तु यह और ऐसे सहयोजित सदस्यों को उनकी ऐसे सदस्य की हैसियत में सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन में मत देने का अथवा संचालक मंडल में पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिये पात्र होने का अधिकार नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि समिति के समस्त व्यावसायिक संचालक उनकी पदावधि के पूर्ण होने तक इस अधिनियम द्वारा उन्हें प्रदत्त समस्त विधिक अधिकार प्राप्त करते रहेंगे,

''(10) संचालक मंडल, आकस्मिक रिक्तियों को, यदि संचालक मंडल की अवधि उस तारीख को, जिसको कि ऐसी रिक्ति हुई है, दो वर्ष या उससे कम है तो उसी वर्ग के सदस्यों के सहयोजन द्वारा भर सकेगा।

परन्तु यदि संचालक मंडल के सदस्यों की शेष अवधि दो वर्ष से अधिक है, और जहां निर्वाचन के पश्चात् स्थान रिक्त रह जाता या कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो रिक्ति

सदस्यों के, उसी वर्ग से, जिसके कि संबंघ में रिक्ति उद्‌भूत हुई है, निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।

(11) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसायटी के प्रबंधन में सदस्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करेगी. सम्मिलन में उपस्थित होने की न्यूनतम आवश्यकता तथा उन सेवाओं का न्यूनतम स्तर जिनका कि सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाएगा, ऐसा होगा जैसा कि सोसाइटी की उप विधियों में विहित किया जाए.

48 (ए/क) विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिये निरर्हताएं :- (1) कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटियों का, एक से अधिक केंद्रीय सोसाइटियों का तथा एक से अधिक प्राथमिक सोसाइटियों का विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं करेगा :-

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध एक ही वर्गीकरण वाली सोसाइटियों पर लागू होंगे।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो एक शीर्ष सोसाइटी, एक केंद्रीय सोसाइटी तथा एक प्राथमिक सोसायटी में कोई विनिर्दिष्ट पद धारण कर रहा है, किसी अन्य शीर्ष सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी के ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित या नियुक्त हो जाता है, तो वह लिखित पत्र द्वारा जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रार को संबोधित होगा, किसी विनिर्दिष्ट पद पर, अपने निर्वाचित या नियुक्त हो जाने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर, यथास्थिति एक शीर्ष सोसाइटी तथा या एक केंद्रीय सोसाइटी तथा या एक प्राथमिक सोसाइटी के सिवाय ऐसी अन्य सभी शीर्ष सोसाइटियों, केंद्रीय सोसाइटियों तथा प्राथमिक सोसाइटियों के विनिर्दिष्ट पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन त्याग पत्र देने के लिये अपेक्षित कोई व्यक्ति, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर त्याग पत्र देने में असफल रहता है, तो ऐसी कालावधि का अवसान हो जाने पर उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने यथास्थिति एक शीर्ष या केंद्रीय या प्राथमिक सोसाइटी, जिसमें वह ऐसे पश्चातवर्ती निर्वाचन या नियुक्ति के पूर्व पहले से ही विनिर्दिष्ट पद धारण किए हुए था, के सिवाय अन्य सभी शीर्ष या केंद्रीय सोसाइटियों या प्राथमिक सोसाइटियों के विनिर्दिष्ट पद से त्याग पत्र दे दिया है।

''(4) (क) कोई भी व्यक्ति, किसी सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उप सभापति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह संसद या विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है या जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति में किसी पद पर निर्वाचित हो जाता है।

परन्तु यदि कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उप सभापति का पद धारण करता है और वह जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति में किसी पद पर निर्वाचित हो जाता है तो सोसाइटी का अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उप सभापति उस तारीख से, जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, कार्य करना बंद कर देगा तथा वह पद उपरोक्त तारीख से स्वतः रिक्त हो जाएगा।

(ख) किसी सोसायटी का कोई सदस्य जो कि संसद या विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है या जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय स्थानीय

निकाय, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति में किसी पद पर निर्वाचित हो जाता है, किसी सोसाइटी के संचालक या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया जा सकेगा।''

(5) कोई भी व्यक्ति, किसी सोसाइटी में किसी विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा यदि वह उस सोसाइटी में कोई विनिर्दिष्ट निर्वाचित पद दो लगातार कार्यकालों तक या दस वर्षों की लगातार कालावधि तक, इसमें से जो भी कम हो, धारण कर चुका हो;

परन्तु किसी व्यक्ति को ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर तब तक पुन: निर्वाचित नहीं किया जाएगा जब तक कि एक पूरे कार्यकाल के बराबर की कालावधि का अवसान न हो गया हो.

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, यदि इस उपधारा में उल्लिखित किसी विनिर्दिष्ट पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद को किसी कार्यकाल के दौरान किसी भी समय त्याग देता है या ऐसे पद पर निर्वाचित हो जाता है तो यथास्थिति उसके द्वारा त्याग-पत्र दे दिया जाने पर या पद ग्रहण कर लेने पर उस संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने अपनी पदावधि पूर्ण कर ली है.

48-क क. संचालक मंडल की सदस्यता के लिए और प्रतिनिधत्व करने के लिए निरर्हता :- कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, और उस रूप में अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा, यदि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता से ग्रस्त हो और कोई भी सोसाइटी किसी अन्य सोसाइटी के संचालक मंडल में अपने प्रतिनिधि के रूप में या अन्य सोसाइटी में सोसायटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करेगी यदि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता से ग्रस्त हो,

परन्तु यदि कोई भी सदस्य इस धारा के अधीन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता से ग्रस्त है, तो -

(एक) सोसाइटी के संचालक मंडल के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे सदस्य को, जब कि वह उस सोसायटी का सदस्य रहते हुए संचालक के रूप में निर्वाचित हो जाता है, सोसाइटी की जानकारी में आने की तारीख से दो मास के भीतर उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद धारण करने से निरर्हित करे और यदि सोसायटी दो मास के भीतर कार्रवाई करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा ऐसा पद धारण करने से निरर्हित करेगा,

(दो) यदि कोई सदस्य उच्च स्तर सोसाइटी में प्रतिनिधि के रूप में उसके कार्य करने के कारण निरर्हित हो जाता है तो ऐसी उच्च स्तर सोसाइटी उसे उच्च स्तर सोसाइटी में पद धारण करने के लिए निरर्हित करने की कार्रवाई करेगी, और यदि सोसाइटी दो मास के भीतर कार्रवाई करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार से सदस्य को, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा ऐसा पद धारण करने से निरर्हित करेगा.

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''निरर्हता'' के अन्तर्गत किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए धारा 50-क में विनिर्दिष्ट

निरर्हता सम्मिलित नहीं होगी.

48-(बी/ख). प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त:- (1) प्रत्येक सोसाइटी का संचालक मंडल सभापति या उपसभापति के निर्वाचन के समय ऐसे प्रतिनिधि को भी निर्वाचित करेगा जो उसका प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटियों में करेंगे और संचालक मंडल द्वारा ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि को तब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा, जब तक कि संचालक मंडल का आगामी चुनाव नहीं हो जाता है।

परन्तु जहाँ निर्वाचित किये जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या एक से अधिक है वहाँ प्रतिनिधियों के आरक्षण की कुल संख्या पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) यदि किसी सोसाइटी की उपविधियों में उसके साधारण निकाय का गठन प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन द्वारा किए जाने का उपबंध है, तो वह सोसाइटी साधारण निकाय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण ऐसी रीति से करेगी कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थान, जहां तक संभव हो, उसी अनुपात में हो जो प्रत्येक प्रवर्ग के सदस्यों का, उस सोसाइटी की, कुल सदस्य संख्या के साथ है :

परन्तु प्रत्यायुक्तों के कुल आरक्षति स्थानों की संख्या पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

48. सी/ग. संचालक मंडल की शक्तियां :- किसी सोसाइटी का बोर्ड या संचालक मंडल को उसकी उपविधियों के अनुसार निम्नानुसार समिति की शक्तियां होगी :-

(ए/क) सदस्यता स्वीकृत एवं समाप्त करना;

(ख) सभापति अन्य पदाधिकारी तथा प्रतिनिधियों को निर्वाचित करना।

(सी/ग) सभापति और पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और उन्हें पद से हटाने के बारे में निर्णय लेना,

परन्तु उपर्युक्त प्रयोजन के लिए होने वाले सम्मिलन की अध्यक्षता रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी,

(ग-क) संचालकों द्वारा दिए गये त्याग-पत्रों पर निर्णय लेना].

(डी/घ) रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृन्द की संख्या नियत करना;

(ई/ङ) निम्नलिखित के संबंध में नीतियां बनाना:-

(एक) सदस्यों को सेवाएं देने के लिए संगठन एवं उपबंध करना;

(दो) रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृन्द की अर्हताएं, भर्ती, सेवा शर्ते और कर्मचारी वृंद से संबंधित अन्य विषय;

(तीन) निधि की अभिरक्षा और विनिधान का ढंग;

(चार) लेखाओं के रखे जाने की रीति;

(पांच) निधियों का संचालन, उपयोग एवं विनिधान;

(छह) फाइल की जाने वाली कानूनी विवरणियां के सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंध;

(एफ/च) साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, योजना एवं बजट

प्रस्तुत करना;

(जी/छ) संपरीक्षा तथा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना; और

(एच/ज) ऐसे अन्य समस्त कृत्य करना जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु सहकारी साख संरचना के कर्मचारिवृन्द की अर्हताएं, भर्ती, सेवा शर्तों और कर्मवारिवृन्द से संबंधित अन्य मामलों की नीतियां, राष्ट्रीय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार विरचित की जायेंगी।

49. वार्षिक साधारण सम्मिलन-

(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर साधारण निकाय का वार्षिक सम्मिलन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए बुलाएगी -

(क) सोसाइटी के क्रियाकलापों का, जो कि संचालक मंडल द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया हो, अनुमोदन करने के लिए,

(ख) संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन, यदि वह कराया जाना अपेक्षति हो गया है,

स्पष्टीकरण - संचालक मंडल का निर्वाचन अपेक्षित हो गया समझा जाएगा यदि संचालक मंडल की अवधि समाप्त हो गई हो,

(ग) संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि प्राप्त हुई हो तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए,

(घ) शुद्ध लाभ के व्ययन के लिए,

(ङ) किसी अन्य विषय पर, जो कि उपविधियों के अनुसार लाया जाए विचार करने के लिए,

(च) आगामी सहकारी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करने के लिए,

(छ) वित्तीय वर्ष में कार्य संचालन के कारण हुए घाटे के कारणों का परीक्षण करना, और

(ज) लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए संपरीक्षक की नियुक्ति करना,

परन्तु जहाँ किसी सोसाइटी के संबंध में धारा 69 के अधीन समापन का आदेश दिया गया है तो वहाँ वार्षिक साधारण सम्मिलन बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा,

(2) ऐसे सम्मिलन की सूचना, सम्मिलन की तारीख से कम से कम पूर्ण चौदह दिनों ऐसे अधिकारी को दी जाएगी जिसमें कि सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्ति निहित की गई हो।

(3) रजिस्ट्रार या ऐसा अधिकारी, जिसे सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है, ऐसे सम्मिलन में स्वयं उपस्थित हो सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(4) रजिस्ट्रार या ऐसे अधिकारी को जिसे सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है, उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग), (घ) तथा (ड) में विर्निदिष्ट किए गए विषयों से संबंधित किसी भी मामले में सम्मिलन को संबोधित करने का अधिकार होगा।

(5) यदि साधारण सम्मिलन, उपधारा (1) के अधीन उसके लिये विहित की गई कालावधि के भीतर बुलाने में या उपधारा (1) की अपेक्षा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया गया हो, तो

रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, किसी ऐसे आफिसर को, जिसका कि ऐसा सम्मिलन बुलाने का या उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने का कर्तव्य था और जिसने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना पूर्वोक्त उपधारा के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में चूक की हो, पद के लिये निर्वाचित होने पर पद पर रहने के लिये तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक के लिये जिसे कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, निरर्हित घोषित कर सकेगा और उस आफिसर पर, यदि वह आफिसर सोसाइटी का कर्मचारी हो, पांच हजार रुपये से अनधिक किसी भी रकम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को सहकारी सोसायटियों के संयुक्त रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता।

(6) यदि किसी सोसाइटी की उपविधियां संचालक मंडल के समस्त या कुछ सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय (टेरीटोरियल) आधार पर किया जाने का उपबंध करती हो, तो संचालक मंडल के ऐसे सदस्य क्षेत्र में से, साधारण सम्मिलन के पूर्व की किसी तारीख को उपविधियों के उपबंधों के अनुसार उस क्षेत्र के सदस्यों के किसी सम्मिलन में, निर्वाचित किये जायेंगे। उसके परिणाम सोसाइटी के सूचना फलक पर तथा वार्षिक साधारण सम्मिलन की कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पूर्व साधारण सम्मिलन के स्थान पर भी लगाये जायेंगे।

(7) किसी भी सोसाइटी के प्रत्येक वार्षिक साधारण सम्मिलन में संचालक मंडल सोसाइटी के सामने एक विवरण रखेगी जिसमें संचालक मंडल के सदस्यों के, उनके कुटुम्ब के सदस्यों के तथा निकट नातेदारों के नाम पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान बकाया उधारों या अग्रिमों, यदि कोई हों, के ब्यौरे दर्शाये गये हों।

स्पष्टीकरण- उपधारा (7) के प्रयोजन के लिए, कुटुम्ब के सदस्यों के अंतर्गत पत्नी, पति तथा आश्रित संतान होगी :

(क) संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा।

(ख) संचालक मंडल के कार्यकाल के पांच वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मंडल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वतः रिक्त हो गए समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा और छः मास की कालावधि के भीतर निर्वाचन करवाएगाः

परन्तु सहकारी बैंक की दशा में, रजिस्ट्रार या प्रशासक एक वर्ष की कालावधि के भीतर संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा,

(ग) विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी सोसाइटी का निर्वाचन कराये जाने की अवधि को कुल मिला कर एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी।

(घ) अन्य सोसाइटी के लिए संचालक मंडल द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल, सोसाइटी के संचालक मंडल के कार्यकाल के साथ साथ चलेगा।

परन्तु यदि ऐसे प्रतिनिधि, अन्य सोसायटी के संचालक मंडल में सदस्य के रुप में निर्वाचित हो जाते, उस सोसायटी के संचालक मण्डल के, जिसके लिये वे निर्वाचित हुए है, कार्यकाल की समाप्ति पद पर बने रहेंगे।''

(9)(ए/क) प्रत्येक सोसाइटी प्रत्येक साधारण सम्मिलन और उसकी संचालक मंडल के समस्त अन्य सम्मिलनों के समस्त कार्यवृत्त को, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित करेगी।

(बी/ख) ऐसा कार्यवृत्त सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को सम्मिलन की समाप्ति के 30 दिन के भीतर परिचालित किया जायेगा।

(ख/क) यदि सोसाइटी, सम्मिलन की समाप्ति से 30 दिन के भीतर, सम्मिलन के लिये आमंत्रित किये गए व्यक्ति को कार्यवृत्त देने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, सोसाइटी के जिम्मेदार अधिकारी पर, पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा,

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(सी/ग) इस प्रकार अभिलिखित किया गया कार्यवृत्त उक्त सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

49. बी/ख. संचालक मंडल की कार्यवाहियों का उत्तराधिकारी संचालक मंडल द्वारा बातिलीकरण:- इस अधिनियम में, उसके अधीन बनाये गये नियमों में या किसी सोसाइटी की उपविधियों में, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी संचालक मंडल द्वारा पारित किया गया कोई भी संकल्प, रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना, उत्तराधिकारी संचालक मंडल द्वारा उपान्तरित या बातिल नहीं किया जायेगा।

49. सी/ग. लोकहित आदि में निदेश देने की सरकार की शक्ति:- (1) यदि राज्य सरकार का, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या सरकार द्वारा अनुमोदित या हाथ में लिए गए सहकारी उत्पादन और अन्य विकास कार्यक्रमों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, या साधारणत: सोसाइटी के कामकाज का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये, या सोसाइटी के कार्यकलापों का संचालन उसके सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं या लेनदारों के हितों के लिये अपायकर रीति में किये जाने का निवारण करने के लिये यह आवश्यक है कि साधारणत: किसी वर्ग की सोसाइटियों को या विशिष्टत: किसी सोसाइटी या किन्हीं सोसाइटियों को निर्देश जारी किए जाएं तो राज्य सरकार उन्हें समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगी और यथा स्थिति सभी सोसाइटियां या संबंधित सोसाइटियां ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिये आबद्ध होगी।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किन्हीं निर्देशों को उपान्तरित या रद्द कर सकेगी, और ऐसे निर्देशों का उपान्तरित या रद्द करने में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

(3) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति या संचालक मंडल, उपधारा (1) या (2) के अधीन किसी सोसाइटी को जारी किए गए किन्हीं निर्देशों या उपान्तरित निर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी थी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण या औचित्य

के बिना असफल रहती हैं या रहता है, वहां रजिस्ट्रार-

(एक) किसी संचालक मंडल के मामले में, ऐसी संचालक मंडल के विरुद्ध कार्यवाही धारा 53 के उपबंधों के अनुसार कर सकेगा; और

(दो) किसी व्यक्ति के मामले में, यदि वह व्यक्ति सोसाइटी की संचालक मंडल का सदस्य है या सोसाइटी का कोई कर्मचारी है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही यथास्थिति धारा 53-बी/ख के उपबंधों के अनुसार या धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन विरचित नियमों के अनुसार कर सकेगा।

परन्तु ऐसे निर्देश जिसमें सोसाइटी की वित्तीय हानि अंतर्वलित है, ऐसी सोसाइटी की संचालक मंडल की, और जहां आवश्यक हो वहां राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की, पूर्व सहमति से ही, और साथ ही साथ ऐसी हानियों का पूरी तरह से प्रतिकार करने हेतु सम्यक् रूप से उपबंध और अग्रिम आवंटन करने के पश्चात् ही दिए जायेंगे।

49. डी/घ. विनियम बनाने के निदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति:- (1) यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि सोसाइटी की वित्तीय स्थिति और उसमें सरकार के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुये, यह आवश्यक है कि उसके व्यापार या कामकाज करने की रीति का विनियमन किया जाए तो वह, इस निमित्त विनियम बनाए और उन्हें अनुमोदन हेतु उसके पास भेजे।

(2) सोसाइटी द्वारा बनाए गये विनियमों के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार उन्हें उपान्तरणों सहित या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगा, ऐसे विनियमों के अनुमोदित हो जाने पर, वह सोसाइटी अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार करेगी।

(3) यदि कोई सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (1) के अधीन निदेशित किए जाने पर, ऐसे विनियम उस तारीख से, जिसको ऐसा निदेश दिया गया है, तीन मास की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रार को भेजने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसे विनियम स्वयं बनाएगा या बनवाएगा और उस सोसाइटी से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार करें और तदुपरि वह सोसाइटी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिये आबद्ध होगी,

[1][परन्तु इस धारा के उपबंध, रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा अधिकथित दिशा-निर्देशों के अनुसार सहकारी साख संरचना पर लागू किए जायेंगे।

49. ई/ङ. कतिपय परिस्थितियों में प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति:-

(1) (क) इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक शीर्ष सोसाइटी के लिये, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति दी है, या सोसायटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारबार किया है

या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त कारोबारों से संयुक्तः या प्रथकतः उसकी कुल राशि उसके कुल व्यवसाय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, वहां प्रथम वर्ग के अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक

प्रबंध संचालक होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(बी/ख) प्रबंध संचालक, संचालक मंडल का पदेन सदस्य होगा।

(2) (ए/क) प्रत्येक केंद्रीय सोसाइटी के लिये इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंशपूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या उधारों, डिबेंचरों या अग्रिमों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है या किसी अन्य रूप में अनुदान दिए हैं, वहां द्वितीय श्रेणी अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का एक प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक होगा जो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और संचालक मंडल का पदेन सदस्य होगा।

(बी/ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति-

(एक) धारा 54 के अधीन संधारित संवर्ग के अधिकारियों में से, यदि ऐसा संवर्ग सृजित किया गया है; की जाएगी

(दो) ऐसी सोसाइटी जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारबार किया है या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई कियाकलाप किया हो, उसकी कुल राशि इसके कुल कारबार से 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, रजिस्ट्रार द्वारा की जावेगी :

(तीन) अन्य दशाओं में, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।''

(सी/ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाए।

(तीन) किसी सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

50. विशेष साधारण सम्मिलन:- (1) संचालक मंडल, किसी भी समय, सोसाइटी का विशेष साधारण सम्मिलन बुला सकेगी और वह रजिस्ट्रार से या सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों से लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर ऐसा सम्मिलन बुलायेगी।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई अध्यपेक्षा के अनुसार किसी सोसाइटी का विशेष साधारण सम्मिलन नहीं बुलाया जाये तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह ऐसा सम्मिलन बुलाये और उस सम्मिलन के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह संचालक मंडल द्वारा बुलाया गया सम्मिलन है।

(2-ए/क) जहां कोई ऐसा आफिसर, जिसका कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अनुसार ऐसा सम्मिलन बुलाने का कर्तव्य था, युक्तियुक्त आधार के बिना ऐसा सम्मिलन बुलाने में चूक करे, वहां रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, ऐसे आफिसर को संचालक मंडल का सदस्य होने के लिए सात वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक के लिये, जिसे कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, निरर्हित घोषित कर सकेगा और उस आफिसर पर यदि वह आफिसर सोसाइटी का कर्मचारी हो, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच हजार

रुपये से अधिक न हों:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।]

(3) किसी विशेष साधारण, सम्मिलन के समक्ष के विषयों में, धारा 49 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त विषय या उनमें से कोई विषय सम्मिलित हो सकेगा।

50-क. सोसाइटी के संचालक मंडल का प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिए निरर्हता- (1) कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य, प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के रूप में निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि वह उस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति 12 मास से अधिक की कालावधि के लिए उसके द्वारा लिए गए किसी उधार या अग्रिम के लिए व्यतिक्रमी रहता है.

(2) किसी सोसाइटी के किसी पद पर निर्वाचित किया गया कोई व्यक्ति, ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा यदि वह उस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति 12 मास से अधिक की कालावधि के लिए उसके द्वारा लिये गये किसी उधार या अग्रिम के लिए व्यतिक्रमी रहता है और रजिस्ट्रार उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा :

परन्तु किसी सहकारी साख संरचना से भिन्न किसी सोसाइटी से सहकारी बैंक के किसी पद पर निर्वाचित कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, यदि ऐसी सोसाइटी तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए किसी उधार या अग्रिम के लिए व्यतिक्रम करती है; और रजिस्ट्रार उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा.

(3) कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी के संचालक मंडल, प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के निर्वाचन में मत देने का हकदार नहीं होगा यदि वह उस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति 12 मास से अधिक की कालावधि के लिए उसके द्वारा लिये गये किसी उधार या अग्रिम के लिए व्यतिक्रमी रहता है।

(4) कोई भी व्यक्ति सोसाइटी के संचालक मंडल, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि–मंडल के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसके नाम के विरूद्ध नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने के समय मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय कोई शोध्य छह मास से अधिक की कालावधि के लिए बकाया हो''..

51. कार्यो का विधिमान्यकरण :- किसी सोसाइटी या किसी संचालक मंडल या किसी अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण से कि उस सोसाइटी या संचालक मंडल की प्रक्रिया में या उसके गठन में या ऐसे अधिकारी की नियुक्ति या निर्वाचन में कोई त्रुटि विद्यमान है, अथवा इस आधार पर की ऐसा अधिकारी अपनी नियुक्ति के लिये निरर्हित था, अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

52. सरकारी नामनिर्देशितियों को नियुक्त करने की शक्ति- (1) जब राज्य सरकार ने किसी सहकारी सोसायटी में की अंशपूंजी में अभिदाय किया हो, तब यथास्थिति राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उसके सदस्य के रूप में उतने व्यक्तियों को संचालक मंडल में निम्न लिखित आधारों पर नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, अर्थात्-

(क) जहां राज्य सरकार द्वारा धारित पुरोधृत साधारण अंश पूंजी की कुल रकम, पुरोधृत साधारण अंशपूंजी की कुल रकम से छब्बीस प्रतिशत से कम है, वहां संचालक मंडल का एक सदस्य;

(ख) जहां राज्य सरकार द्वारा धारित पुरोधृत साधारण अंश पूंजी की कुल रकम छब्बीस प्रतिशत या उससे अधिक है किन्तु पुरोधृत साधारण अंश पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम है, वहां संचालक मंडल के दो सदस्य;

(ग) जहां राज्य सरकार द्वारा धारित पुरोधृत साधारण अंश पूंजी की कुल रकम इक्यावन प्रतिशत या पुरोधृत साधारण अंशपूंजी के कुल रकम से अधिक है, वहां संचालक मंडल के तीन सदस्य :

परन्तु ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या संचालक मंडल के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार ने मूलधन के प्रतिसंदाय तथा किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा पुरोधृत डिबेंचर पर ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है या उस सहकारी सोसायटी को दिए गए उधारों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रति संदाय या उस पर ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है या सहकारी सोसायटी को अनुदान के रूप में या अन्यथा कोई सहायता दी है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह किसी ऐसी सोसाइटी के संचालक मंडल में किसी व्यक्ति को ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट करे जैसी कि विहित की जाए।

(2) इस धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी सोसाइटी के संचालक मंडल में नामनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा समिति में एक मत होगा :

परन्तु नामनिर्दिष्ट व्यक्ति और अन्य सोसाइटियों से पदेन संचालक सोसाइटी की समिति के पदाधिकारियों के किसी निर्वाचन या हटाए जाने में मत देने के हकदार नहीं होंगे।

(4) जब सरकार ने किसी सोसाइटी की अंशपूंजी में अभिदाय किया है या मूलधन के प्रतिसंदाय तथा उधारों और अग्रिमों पर ब्याज के संदाय की पांच लाख या उससे अधिक की प्रत्याभूति दी है और सोसाइटी को अपनी अंशपूंजी के पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक की हानि हुई है, तो राज्य सरकार रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अपना समाधान होने पर, इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य को सोसाइटी के संचालक मंडल के सभापति के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी और नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से सोसाइटी का प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक या प्रबंधक नियुक्त कर सकेगी।

स्पष्टीकरण- बदला गया सभापति बोर्ड का संचालक बना रहेगा।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) सहकारी साख संरचना के मामले में राज्य सरकार की अंशपूंजी पुरोधृत साधारण अंशपूंजी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) सहकारी बैंक के मामले में, यदि राज्य सरकार ने बैंक की अंशपूंजी में अभिदाय किया है, तो

बैंक के संचालक मंडल में राज्य सरकार का केवल एक नामनिर्देशिती होगा;

(ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के संचालक मंडल में राज्य सरकार का कोई भी नामनिर्देशिती नहीं होगा।

धारा 53 संचालक मंडल का अतिष्ठान (1) यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सोसायटी का संचालक मंडल-

(क) निरन्तर व्यतिक्रम करता है, या

(ख) इस अधिनियम या उस सोसाइटी की उपविधियों द्वारा या उनके अधीन या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षावान है या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए रजामंद नहीं है, या

(ग) ऐसे कार्य करता है जो उस सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हैं, या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों का या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश का अतिक्रमण करता है, या

(ङ) किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के गठन में या कृत्यों में कोई गतिरोध है, या

(च) प्राधिकारी, विहित समय-सीमा के भीतर निर्वाचन कराने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार, लिखित में आदेश द्वारा संचालक मंडल को हटा सकेगा और सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए जो छह मास से अधिक नहीं होगी और सहकारी बैंक की दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा,

''परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए, प्रशासक की पदावधि कुल एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगीः

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी को–आपरेटिव सोसाइटी के संचालक मंडल को अतिष्ठित नहीं कियाजाएगा अथवा निलम्बित नहीं रखा जावेगा जहां सरकार का कोई अंश न हो अथवा सरकार द्वारा कोई ऋण या वित्तीय सहायता अथवा गारंटी न दी गई हो अथवा सोसाइटी सरकार द्वारा प्रयोजित कारबार करती है या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारोबारों से संयुक्तः या पृथकतः उसके कुल कारबार का 50 प्रतिशत से अधिक टर्न ओवर न होः

परन्तु यह और भी कि सहकारी बैंक के मामले में, अधिक्रमण का आदेश रिजर्व बैंकसे पूर्व किए बिना पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि रिजर्व बैंक का परामर्श करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के उपबंधों तक सीमित होगा :

परन्तु यह और भी कि प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें रिजर्व बैंक के विचार अन्तर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, उस बैंक को प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि उचित समझे, पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा :

परन्तु यह और भी रजिस्ट्रार के रिजर्व बैंक के अभिमत से सहमत न होने की दशा में, वह लिखित कारण दर्शाते हुए आदेश पारित कर सकेगा.''

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संचालक मंडल को अभिकथनों, दस्तावेजों तथा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्षियों को एक सूची तथा प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

(3) इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रशासक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के तथा ऐसे अनुदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, संचालक मंडल या सोसाइटी के किसी अधिकारी की समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने तथा उसके समस्त कृत्यों या उनमें से किसी कृत्य का निर्वहन करने और समस्त ऐसी कार्रवाइयां, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हैं, करने की शक्ति होगी।

(4) रजिस्ट्रार वह पारिश्रमिक नियत कर सकेगा जो इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रशासक को देय हो, ऐसे पारिश्रमिक की रकम तथा उस सोसाइटी के प्रबंध में किए गए अन्य खर्चे, यदि कोई हों, उसकी निधियों में से देय होंगे।

(5) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक, रजिस्ट्रार के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करेगा और प्राधिकारी के निदेशों के अधीन निर्वाचन कराने की व्यवस्था करेगा।

(6) किसी वित्तदायी बैंक के संबंध में या किसी ऐसी सोसाइटी, जो किसी वित्तदायी बैंक की ऋणी हो, के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई करने के पूर्व, रजिस्ट्रार, पूर्वकथित मामले में, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित से और पश्चात् कथित मामले में, संबंधित वित्तदायी बैंक से ऐसी कार्रवाई के संबंध में परामर्श करेगा। यदि यथास्थिति, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या वित्तदायी बैंक अपने विचार उस निवेदन के जिसमें कि परामर्श चाहा गया है, ऐसे बैंक को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर संसूचित न करें, तो यह उपधारणा की जाएगी कि यथास्थिति मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या संबंधित वित्तदायी बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है।

(7) धारा 48, 49 तथा 50 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मामले में सोसाइटी के साधारण निकाय तथा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक के बीच कोई मतभेद हो तो मामला विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा,

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, साधारण निकाय के सम्मिलिन के तीन मास के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है तो सोसाइटी के साधारण निकाय का विनिश्चय अभिभावी होगा.

(8) इस धारा में कि किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति पर प्रभाव डालती है।

(9) सूचना के जारी किए जाने तथा संचालक मंडल को हटाए जाने के आदेश पारित किए जाने के

बीच की कालावधि के दौरान, रजिस्ट्रार द्वारा संचालक मंडल से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी के, जिसे कि रजिस्ट्रार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पर्यवेक्षण के अधीन तथा उसके अनुमोदन से कृत्य करे और संचालक मंडल द्वारा किया गया कोई भी आदेश या पारित किया गया संकल्प या किया गया कोई अन्य कार्य तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जो,

परन्तु जहाँ उपधारा (2) के अधीन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होते हुए रजिस्ट्रार की यह राय हो कि कार्यवाही की कालावधि के दौरान संचालक मंडल का निलंबन सोसायटी के हित में आवश्यक है, तो वह संचालक मंडल को निलंबित कर सकेगा, जो (संचालक मंडल) तदुपरांत कार्य करने से प्रविरत हो जाएगा और ऐसा इन्तजाम कर सकेगा जैसा कि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही पूरी होने तथा आदेश जारी होने तक सोसाइटी के कामकाज के प्रबंध के लिए वह उचित समझे,

परन्तु यह और कि निलंबन की कालावधि छह मास से अधिक नहीं होगी और उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर संचालक मंडल का निलंबन प्रतिसंहृत हो जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि इस प्रकार निलंबित किए गए संचालक मंडल का अतिष्ठान ऊपर वर्णित कार्यवाहियों के किए जाने के पश्चात् न किया जाए तो उसे पुन:स्थापित किया जाएगा और उस कालावधि की, जिसके कि दौरान वह निलंबित रहा हो गणना उसकी पदावधि के प्रति की जाएगी,

परन्तु यह भी कि कोई निलंबन आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सोसाइटी के संचालक मंडल को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो,

(10) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, नगरीय सहकारी बैंकों, नगरीय साख सहकारी सोसाइटियों तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के मामले में, यदि निरंतर तीन सहकारी वर्षों में वसूली मांग के 60 प्रतिशत से कम है या यदि अतिशोध्य (ओवरड्यूज) 40 प्रतिशत से अधिक है। उस बैंक के संचालक मंडल या प्रबंध संचालक मंडल के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, हटाए जाने के लिए तथा कुल मिलाकर एक वर्ष से और किसी नगरीय साख सहकारी सोसाइटी की दशा में छह मास से अनधिक की ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जैसी कि रजिस्ट्रार या विनिर्दिष्ट की जो, उसके हेतु किसी प्रशासक की नियुक्ति के लिए आदेश देगा या ऐसी नियुक्ति होने पर उपधारा (3), (4) तथा (5) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो कि आदेश उपधारा (1) के अधीन दिया गया था,

परन्तु किसी सहकारी बैंक के मामले में, हटाए जाने का आदेश, रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना पारित नहीं किया जाएगा,

''परन्तु यह और भी कि रिजर्व बैंक का परामर्श बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के उपबंधों तक सीमित होगा;''

परन्तु यह और कि यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें कि प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में रिजर्व

बैंक के विचार अंतर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया है, उस बैंक को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्रवाई से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि उचित समझा जाए, पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा,

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार का रिजर्व बैंक के परामर्श से सहमत न होने की दशा में, वह लिखित कारण दर्शाते हुए आदेश पारित कर सकेगा

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई आदेश, जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि संचालक मंडल को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो.

(11) जब किसी सोसाइटी के संचालक मंडल को उपधारा (1) के अधीन अतिष्ठित कर दिया गया है तो उस संचालक मंडल का कोई सदस्य, इस अधिनियम, उसके अधीन बनाये गए नियमों या उस सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सात वर्ष की कालावधि तक किसी भी सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा और न ही उसमें सहयोजन या नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा,

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य को लागू नहीं होगी जो कि संचालक मंडल के ऐसे विनिश्चय का जिसमें उसका अधिक्रमण हुआ हो, पक्षकार नहीं था.

(12) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सोसाइटी का संचालक मंडल किसी न्यायालय के आदेश के कारण या विहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए, तो रजिस्ट्रार उस समय तक के लिए संचालक मंडल के स्थान पर प्रशासक को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा जब तक कि न्यायालय का आदेश बातिल न हो जाए या नवीन निर्वाचन न हो जाए तथा संचालक मंडल कार्यभार ग्रहण न कर ले:

परन्तु यदि सोसाइटी यथाविहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक छह माह की कालावधि के भीतर और सहकारी बैंक की दशा में ऐसे प्रशासक की नियुक्ति की तारीख से, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, निर्वाचन कराएगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि संचालक मण्डल प्रभार ग्रहण करें:

परन्तु यह और कि विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, उसके कारण दर्शाए जाने पर, कुल एक वर्ष से अनधिक कालावधि के अध्यधीन रहते हुए, एक बार में छह माह से अनधिक के लिए सोसाइटी का निर्वाचन आगे बढ़ा सकेगी:

परन्तु यह और भी कि सहकारी बैंक के मामले में, प्रशासक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा रिजर्व बैंक को दी जाएगी

(13) (क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक की दशा में,

यदि रिजर्व बैंक द्वारा, जनहित में या निक्षेपकर्ताओं के हितों के विपरीत रीति में किये जा रहे सहकारी बैंकों के मामलों को रोकने या सहकारी बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए वैसी अपेक्षा की जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा, संचालक मंडल या प्रबंध निकाय को (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) हटाने के लिए तथा सहकारी बैंक के कामकाज का प्रबंध करने के लिए कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की उतनी कालावधि या कालावधियों के लिए प्रशासक नियुक्त करने के लिये जितनी कि रिजर्व बैंक द्वारा समय-सीमा पर विनिर्दिष्ट की जो, आदेश किया जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासन अपनी पदावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी नई समिति का प्रथम सम्मिलन आयोजित होने के दिन से अव्यवहित पूर्व की तारीख तक पद पर बना रहेगा,

(ख) प्रशासन की इस प्रकार नियुक्ति हो जाने पर, उपधारा (3) के उपबंध उस पर भी लागू होंगे.

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित किए जाने पर किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट हैं, कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञे नहीं होगा तथा ऐसा आदेश किसी भी रीति में प्रश्नगत किए जाने का दायी नहीं होगा,

53. ए/क. कार्यभार ग्रहण किया जाना :- (1) यदि

(एक) किसी सोसाइटी की संचालक मंडल धारा 49 के अधीन सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में पुनर्गठित की जाती है; या

(तीन) किसी सोसाइटी की संचालक मंडल धारा 53 के अधीन हटा दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है या कृत्य करने से प्रविरत हो जाती है; या

(चार) सोसाइटी धारा 69 के अधीन परिसमापन किए जाने का आदेश किया जाता है,

तो यथास्थिति संचालक मंडल सोसाइटी का कार्यभार प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति या व्यक्तिगण द्वारा कार्यभार-

(ए/क) ऊपर (एक) की दशा में, साधारण सम्मिलन में संचालक मंडल के निर्वाचन की तारीख से;

(सी/ग) ऊपर (तीन) की दशा में, रजिस्ट्रार के उस आदेश की तारीख से जिसके द्वारा उसे/उन्हें सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया है; और

(डी/घ) ऊपर (चार) की दशा में, रजिस्ट्रार के उस आदेश की तारीख से जिसके द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है;

ग्रहण करेगा/करेंगे और संचालक मंडल के बहिर्गामी सदस्यों के लिये यह आबद्धकर होगा कि वे सोसाइटी के अभिलेखों और सम्पत्ति का कार्यभार, संभालने वाले व्यक्तियों को इसमें उपबंधित तारीख को सौंप दें।

(2) उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति संचालक मंडल या सोसाइटी का कार्यभार प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद का कार्यभार उपधारा (1) में वर्णित तारीख से ग्रहण कर लिया है, चाहे ऐसा कार्यभार वस्तुतः सौंपा गया हो या न

सौंपा गया हो।

53 बी/ख. कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति- (1) यदि रजिस्ट्रार की राय में, सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों द्वारा या उनके/उसके अधीन अधिरोपित किये गये अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा की है या अपने कपटपूर्ण कार्य द्वारा सोसाइटी को वित्तीय हानि पहुंचाई है, तो रजिस्ट्रार, किसी भी ऐसी अन्य कार्रवाई पर, जो कि उसके विरुद्ध की जाए या की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सोसाइटी के संचालक मंडल से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी को उसके द्वारा धारित पद से विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर हटा दे और जहां आवश्यक हो वहां उसे उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण करने के लिए छह वर्ष से अनधिक कालावधि तक के लिए निरर्हित कर दे, तदन्तर सोसाइटी के संचालक मंडल संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् हटाने का आदेश पारित करेगा।

(2) सोसाइटी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई न की जाने पर, रजिस्ट्रार उस अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे कारणों से, जो कि अभिलिखित किये जायेंगे तथा संबंधित अधिकारी एवं सोसाइटी को संसूचित किये जायेंगे, उस अधिकारी को हटा सकेगा या हटाने के साथ ही साथ उस आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि तक के लिये उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण करने के लिये [2][छह वर्ष] से अनधिक कालावधि तक के लिये निरर्हित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन हटाया गया अधिकारी उस आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से उस पद का धारणकर्ता नहीं रह जायेगा और यदि वह निरर्हित कर दिया गया हो तो वह इस बात के लिये पात्र नहीं होगा कि वह, उस आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के दौरान, उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण करें।

53-सी/ग. सहकारी बैंक के अधिकारी का हटाया जाना- जहां सहकारी बैंक का कोई अधिकारी, रिजर्व बैंक द्वारा नियत की गई पात्रता के मानदंड की पूर्ति नहीं करता है, वहां रजिस्ट्रार, स्व-प्रेरणा से या अधिकारी हो हटाये जाने के रिजर्व बैंक के अनुरोध पर, अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे कारणों से जो कि अभिलिखित किए जाएंगे और संबंधित अधिकारी एवं सहकारी बैंक को संसूचित किए जाएंगे, संबंधित अधिकारी को हटा देगा

54. प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति:- (1) कोई भी सोसाइटी किसी प्रबंधक, सचिव, लेखापाल या किसी भी अन्य वैधानिक अधिकारी को तब तक नियुक्त नहीं करेगी जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं न धारण करता हो जैसी कि विहित की जायें।

''(2) रजिस्ट्रार, शीर्ष सोसाइटियां तथा केन्द्रीय सोसाइटियां, अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के ऐसे संवर्ग बनाए रखेंगे, जिसका कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निर्देश दे और ऐसे संवर्ग के सदस्यों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा अवधारित क

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन सोसाइटियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो कि उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार या शीर्ष सोसाइटियों या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा बनाए गए ऐसे

संवर्गों में से, जैसे कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधिकारियों को नियोजित करेंगी और उन सोसाइटियों के वर्ग के लिए, यह बाध्यकारी होगा, कि वह ऐसे संवर्ग के अधिकारियों को, जबकि रजिस्ट्रार या शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटियों स्वीकार करे तथा उन्हें संवर्ग पदों पर नियुक्त करें।''

55. सोसाइटियों में के नियोजनों की शर्तों का अवधारण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति:-

(1) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी में के या किसी वर्ग की सोसाइटियों में के नियोजन के निबंधनों तथा शर्तों को शासित करने वाले नियम समय-समय पर बना सकेगा और वह सोसाइटी या उस वर्ग की सोसाइटियां जिनको/जिसको कि नियोजन के ऐसे निबंधन तथा शर्तें लागू होती हों, उस आदेश का पालन करेंगी/करेगी जो कि उस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाये।

परन्तु सहकारी साख संरचना के मामले में, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर नियोजन के निबंधनों और शर्तों को शासित करने वाले नियम विरचित कर सकेगा।

(2) जहां कोई ऐसा विवाद, जिसमें नियोजन के निबंधनों, कामकाज की शर्तें तथा किसी सोसाइटी द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित विवाद है, किसी सोसाइटी तथा उसके कर्मचारियों के बीच उठे, वहां उस विवाद का विनिश्चय रजिस्ट्रार या ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो सहायक रजिस्ट्रार से निम्न पद श्रेणी का न हो, किया जायेगा और उसका विनिश्चय उस सोसाइटी तथा उसके कर्मचारियों को आबद्धकर होगा।

परन्तु रजिस्ट्रार या ऊपर निर्दिष्ट किया गया अधिकारी उस विवाद को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह (विवाद) उस आदेश को, जिसका कि आक्षेप किया जाना चाहा गया है, तारीख से तीस दिन के भीतर उसके समक्ष पेश न किया जाये।

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में, आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा।

परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रार या ऊपर निर्दिष्ट किया गया अधिकारी, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विवाद ग्रहण कर सकेगा, यदि आवेदक रजिस्ट्रार या ऊपर निर्दिष्ट किए गए अधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास नियत समय के भीतर विवाद निर्दिष्ट न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण थे.

56. बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति :- (1) प्रत्येक सोसाइटी ऐसे अभिलेख, रजिस्टर तथा लेखा पुस्तकें बनाये रखेगी तथा रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां देगी जिनकी कि उसके द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये।

(2) प्रत्येक सोसाइटी, सोसाइटी के किसी अधिकारी या कर्मचारी पर इस बात का विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व नियत करेगी कि वह ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, लेखा पुस्तकें, बनाए रखे और सोसाइटी रजिस्ट्रार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर विवरणियां प्रस्तुत करेगी जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात् -

(एक) उसके क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट,

(दो) उसके लेखाओं के संपरीक्षित विवरण,

(तीन) सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथाअनुमोदित अतिशेष व्ययन के लिए प्लान,

(चार) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों की सूची, यदि कोई हों,

(पांच) उसके साधारण निकाय का सम्मिलन आयोजित करने की तारीख के संबंध में घोषणा तथा निर्वाचन कराना, जब अपेक्षित हो जाए, और

(छह) अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी,

(3) यदि सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिस पर कि विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व उपधारा (2) के अधीन नियत किया गया हो, अभिलेख, रजिस्ट्रार, लेखा-पुस्तकें नहीं बनाए रखता है और रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करे, विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी को हटा सकेगा और यदि वह अधिकारी सोसाइटी का कर्मचारी है, तो उस पर ऐसी शास्ति जो पचास हजार रुपये से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

57. अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति:- (1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि-

(ए/क) किसी सोसाइटी के अभिलेखों, रजिस्टरों या लेखा-पुस्तकों का बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना संभाव्य है तथा किसी सोसाइटी की निधियों एवं संपत्ति का दुर्विनियोग या दुरुपयोजन किया जाना संभाव्य है; या

(बी/ख) उस दशा में, जब कि किसी सोसाइटी की संचालक मंडल उस सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में पुनर्गठित की गई हो अथवा सोसाइटी की सांलक मंडल रजिस्ट्रार द्वारा धारा 53 के अधीन हटा दी गई हो, अथवा धारा 69 के अधीन सोसाइटी का समापन कर दिया जाने का आदेश दिया गया हो, संचालक मंडल के बहिर्गामी सदस्य सोसाइटी के अभिलेख तथा उसकी संपत्ति का भार उन व्यक्तियों को, जिन्हें कि ऐसा भार लेना हो या जो ऐसा भार प्राप्त करने के लिये हकदार है, सौंपने से इन्कार करते हैं।

वहां रजिस्ट्रार उस व्यक्ति को, जो कि उसके द्वारा लिखित में सम्यकरूपेण प्राधिकृत किया गया हो उस सोसाइटी की ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों, निधियां एवं सम्पत्ति को अभिग्रहित करने तथा कब्जे में लेने का निदेश देते हुए, आदेश जारी कर सकेगा और उस सोसाइटी का वह अधिकारी या वे अधिकारी, जो ऐसी पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों तथा संपत्ति की अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हों, उनका परिदान उस व्यक्ति को, जो इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, कर देगा/देंगे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (बी/ख) के अधीन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये, रजिस्ट्रार ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा और पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए, ऐसे न्यूनतम बल का उपयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जैसा कि आवश्यक समझा जाये।

57. ए/क. अभिलेखों तथा संपत्ति का कब्जा लेना:- (1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि

किसी सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों का दबा दिया जाना, बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना या किसी सोसाइटी की निधियों तथा संपत्ति का दुर्विनियोग या दुरूपयोजन किया जाना संभाव्य है, वहां रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी कि अधिकारिता के भीतर सोसाइटी कार्य कर रही हो, सोसाइटी के अभिलेखों तथा संपत्ति का अभिग्रहण करने तथा कब्जा लेने के लिये आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, तीस दिन के भीतर, उप–निरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी ऐसे स्थान में, जहां कि वह अभिलेख तथा संपत्ति रखी हुई हो या जहां कि उन अभिलेखों तथा संपत्ति का रखा जाना संभाव्य हो, प्रवेश करे और उनकी तलाशी ले तथा उनका अभिग्रहण करके उनका कब्जा यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को सौंप दे:

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तीस दिन के बाद भी अग्रसर हो सकेगा।

अध्याय पांच-क
सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन

57-ख. संचालक मंडल का निर्वाचन (1) संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन, संचालक मंडल की पदावधि का अवसान होने के पूर्व किया जाएगा जिससे कि संचालक मंडल के नवीन निर्वाचित किए गए सदस्यों का, बहिर्गामी संचालक मंडल के सदस्यों की पदावधि का अवसान होने पर तुरंत पद धारण करना सुनिश्चित किया जा सके.

(2) सहकारी सोसाइटियों के समस्त निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने और उनका संचालन करने हेतु अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी में निहित होगा.

57-ग. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा.

(2) राज्य सरकार द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली छानबीन समिति की अनुशंसा पर प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा-

(एक) मुख्य सचिव, जो समिति का चेयरपर्सन होगा,

(दो) प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग सदस्य के रूप में,

(तीन) प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग सदस्य सचिव के रूप में,

(3) (क) केवल ऐसा व्यक्ति, जिसने राज्य सरकार के सचिव की पद श्रेणी से अनिम्न पद पर कार्य किया है, प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

(ख) प्राधिकारी के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस दिनांक से, जिस दिनांक

को वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् प्राधिकारी का पद धारण नहीं करेगा.

(4) (क) प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा.

(ख) प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति कदाचरण या अक्षमता के आधार पर राज्य सरकार के आदेश द्वारा या निम्नलिखित आधार पर पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह व्यक्ति -

(एक) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो गया हो, या

(दो) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, या

(तीन) अपनी पदावधि के दौरान अपने पदीय कर्तव्यों से परे कोई ऐसा नियोजन स्वीकार करता है जिसके लिए उसे भुगतान प्राप्त होता हो,

(चार) सरकार की राय में, मस्तिष्क या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिये अनुपयुक्त हो गया हो, या

(पांच) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लेता है जिससे प्राधिकारी के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो.

(5) यदि मृत्यु, त्यागपत्र, नियुक्ति की पदावधि का अवसान या किसी अन्य कारण से, चाहे वह जो भी हो, प्राधिकारी के पद में कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति, इस धारा के अधीन नियुक्त किये जाने के लिये अर्हित किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी.

(6) प्राधिकारी का मुख्यालय भोपाल में होगा.

(7) प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति का वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जो,

(8) राज्य सरकार प्राधिकारी को ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक हों.

(9) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए राज्य स्तर पर रजिस्ट्रार, द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, संभागीय स्तर पर संयुक्त पंजीयक और जिला स्तर पर उप/सहायक पंजीयक क्रमशः राज्य समन्वयक, संभागीय समन्वयक तथा जिला समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे और निर्वाचन का संचालन करने के लिए ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हे प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाएं।

57-घ. प्राधिकारी के कृत्य (1) प्राधिकारी, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन ऐसी रीति में संचालित करेगा, जैसी कि विहित की जाए

(2) धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति

विद्यमान समिति की अवधि का अवसान होने के चार मास पूर्व, उसकी समिति के निर्वाचन संचालित कराने के लिये प्राधिकारी को ऐसी रीति में लिखित में अनुरोध करेगी जैसा कि विहित की जाए.

(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकारी या सुनिश्चित करेगा कि विद्यमान समिति की अवधि का अवसान होने के पूर्व निर्वाचन संपन्न हो जाए,

परन्तु यदि समिति विहित समय के भीतर लिखित अनुरोध नहीं भेजती है तो प्राधिकारी स्वप्रेरणा से निर्वाचन कराएगा.

(4) किसी सोसाइटी की समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख जिनकी की प्राधिकारी निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, अद्यतन रखे और उसका प्राधिकारी या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को समय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे.

परन्तु यदि सोसाइटी, प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसी जानकारी, पुस्तकों तथा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराती है तथा सोसाइटी प्राधिकारी की गई अध्यपेक्षा का अनुपालन करनें में असफल रहती है तो प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ऐसी सोसाइटी के विरुद्ध कार्यवाई करने के लिए रजिस्ट्रार को सूचित करेगा।

(5) सोसाइटी की समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकारी को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराई जाए, जैसी कि निर्वाचन का संचालन कराने के लिए अपेक्षित हो.

''परन्तु यदि सोसाइटी, प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध नहीं कराती हैं तथा सोसाइटी, प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसी सहायता उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रार को ऐसी सोसाइटी के विरूद्ध कार्यवाई करने के लिए सूचित करेगा।''

(6) प्राधिकारी किसी सोसाइटी की समिति के निर्वाचन कराने के लिए विहित रीति में एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा.

57-ङ निर्वाचन व्यय - सहकारी सोसाइटी की समिति के निर्वाचन कराने के लिये समस्त व्ययों का वहन संबंधित सोसाइटी द्वारा किया जाएगा. निर्वाचन संचालित कराने के लिये लिखित में अनुरोध के साथ प्रक्रिया शुल्क, जैसा कि विहित किया जाए, सोसाइटी को प्राधिकारी के खाते में जमा करना होगा,

परन्तु यदि कोई सोसाइटी प्रक्रिया शुल्क जमा नहीं करती है तो प्राधिकारी को उसे सरकारी शोध्य के समान वसूल करने की शक्ति होगी.

57-च. निदेश जारी करने की शक्ति- प्राधिकारी, किसी सोसाइटी या उसकी समिति या सदस्यों को स्वतंत्र निष्पक्ष और पक्षपात रहित निर्वाचन कराने के लिये ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसे कि आवश्यक समझे जाएं, इस निमित्त जारी निदेश बंधनकारी होंगे.]

छठवां अध्याय

संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण

58. संपरीक्षा तथा संपरीक्षा फीस :-

(1) (क) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किए गए संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करवाएगी तथा उस संपरीक्षा शुल्क का भुगतान करेगी जो कि विहित किया जाए,

''परन्तु यदि सोसाइटी, की कोई साधारण निकाय किसी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा करने वाली फर्म को नियत समय पर नियुक्त करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार, संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म को नियुक्त करेगा तथा लेखों की संपरीक्षा कराएगाः

परन्तु यह और कि प्रत्येक सहकारी बैंक और ऐसी सोसाइटियों में जहां कि राज्य सरकार ने उनकी अंश पूंजी में अभिदाय दिया हो या ऋण या वित्तीय सहायता दी हो या किसी अन्य रूप में दिए गए प्रतिदाय कि प्रत्याभूति दी है या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रयोजित कोई कारबार किया हो या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारबारों की कुल राशि पृथकतः या संयुक्ततः 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो रजिस्ट्रार द्वारा संपरीक्षा कराए जाने के लिए संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति अनुमोदित पैनल में से की जाएगीः

परन्तु यह और भी कि किसी परिसमापन सोसाइटी की दशा में, परिसमापक, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से किसी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म को नियुक्त करने के लिये प्राधिकृत होगा।''

(ख) सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिये पात्र संपरीक्षक तथा संपरीक्षा फर्म की न्यूनतम अर्हताएं तथा अनुभव ऐसा होगा जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाये.

(ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के छह मास के भीतर कराई जाएगी.

(घ) शीर्ष सोसाइटी, जिसका वार्षिक टर्न ओवर 100 करोड़ रूपये से अधिक है, तो ऐसी सोसाइटी के संपरीक्षित वित्तीय पत्रक विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे

(ङ) लेखाओं का विवरण तथा संपरीक्षा रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी, यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उनमें कोई फर्क अनियमितता या गबन है तो रजिस्ट्रार अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगा अथवा उन्हें सुधारने के लिये वापस कर सकेगा अथवा लेखाओं की विशेष संपरीक्षा का आदेश दे सकेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन की संपरीक्षा में लेखाओं की तथा अतिशोध्य ऋणों की, यदि कोई हो, परीक्षा रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और सोसाइटी की उपविधियों के अधीन दिए गए अनुदेशों तथा आदेशों का अनुपालन की परीक्षा रोकड़ बाकी तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन तथा सोसाइटियों की आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन एवं ऐसी अन्य मदें जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सम्मिलित हैं।

(3) रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति की समस्त समयों पर सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज पत्रों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि कब्जे में कोई ऐसी पुस्तक, लेखे, दस्तावेजों, कागज पत्र, प्रतिभूतियां, रोकड़ या अन्य सम्पत्तियां हों या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उन्हें उस सोसाइटी के मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा पर के किसी स्थान पर पेश करने के लिये समन कर सकेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सोसाइटी का अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा किसी समय रह चुका हो, तथा किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सोसाइटी के संव्यवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसी कि रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति अपेक्षित करे।

58-ए/क. संपरीक्षा बोर्ड:- किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग की संपरीक्षा तथा उसके पर्यवेक्षण का संचालन करने के प्रयोजन से, राज्य सरकार एक संपरीक्षा बोर्ड का गठन कर सकेगी जो रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और इन शक्तियों का प्रयोग संपरीक्षा बोर्ड, रजिस्ट्रार को अपवर्जित करते हुए, करेगा।

58-बी/ख. किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिये प्रक्रिया- (1) यदि किसी सोसाइटी की संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण या परिसमापन के दौरान यह अन्यथा यह पाया जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसी सोसाइटी के संगठन या प्रबंध का कार्य सौंपा गया है, या सौंपा गया था, या समिति के किसी मृत, भूतपूर्व या वर्तमान सभापति, सचिव, संचालक मंडल के सदस्य, सोसाइटी के अधिकारी या कर्मचारी ने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के या किसी सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भुगतान किया है या घोर उपेक्षा या अवचार द्वारा कोई कमी घटित की है या कोई हानि पहुंचाई है या ऐसी सोसाइटी के किसी धन या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोग किया है या उस धन या अन्य संपत्ति को कपटपूर्वक रख छोड़ा है, तो रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या संचालक मंडल, समापक या किसी लेनदार का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर वह, ऐसे व्यक्ति से या, किसी मृत व्यक्ति की दशा में, उसके विधिक प्रतिनिधि से जो कि उसकी संपदा विरासत में प्राप्त करे, यह अपेक्षा करते हुए आदेश कर सकेगा कि वह ऐसी दर से, संगणित किये गये ब्याज सहित उस धन या संपत्ति या उसके किसी भाग का प्रति संदाय या प्रत्यावर्तन करे या अभिदाय खर्चों का प्रतिकर या भुगतान ऐसी सीमा तक करे जैसी कि रजिस्ट्रार न्यासंगत तथा साम्यपूर्ण समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए :

परन्तु यह और कि मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस संपत्ति, जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई हो, की सीमा तक ही होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश धारा 85 के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तित किया जाएगा।

(4) यदि शपथ पत्र या जांच के आधार पर या अन्यथा रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि

कोई व्यक्ति किसी ऐसे आदेश के, जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध किया जा सकता है, प्रवर्तन में विलंब करने या बाधा पहुंचाने के आशय से-

(क) अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने वाला है; या

(ख) अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता से हटाने वाला है, तो वह जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दी गई हो, उक्त संपत्ति की या उसके ऐसे भाग की, जिसे वह आवश्यक समझे, सशर्त कुर्की का निदेश दे सकेगा।

59. जांच- (1) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से या -

(एक) किसी ऐसी सोसाइटी के जिससे सोसाइटी संबद्ध है, या

(दो) किसी ऐसे लेनदार के जिसकी सोसायटी ऋणी है, या

(तीन) समिति के सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों के, या

(चार) सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दशमांश अन्यून सदस्यों,

के आवेदन पर सोसाइटी के गठन, कामकाज और वित्तीय स्थिति के या आवेदन में उठाए गए विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में जांच कर सकेगा या रजिस्ट्रार ऐसे मामले में, कलक्टर द्वारा या कलक्टर के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा या अधिकारियों से मिलकर बनने वाली किसी जांच समिति द्वारा जांच करवा सकेगा.

(2) कलक्टर, स्वप्रेरणा पर या उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किसी ऐसी सोसाइटी के संबंध में, जो कि जिले के क्षेत्राधिकार में कार्य कर रही हो, जाँच कर सकेगा या जांच करवा सकेगा.

(3) रजिस्ट्रार, उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (चार) तक में विनिर्दिष्ट आवेदक या आवेदकों से केवल ऐसी फीस जो कि जांच संचालित करने के खर्च की पूर्ति के लिए विहित की जाए, प्राप्त होने के पश्चात् ही किसी जांच के आदेश करेगा.

(4) रजिस्ट्रार, या उपधारा (1) और (2) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होगी, अर्थात्-

(क) सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों तक उसकी, समस्त समयों पर, अबाध पहुंच होगी और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि कब्जे में ऐसी पुस्तकें, लेखे, दस्तावेज, प्रतिभूतियाँ, रोकड़ या अन्य सम्पत्तियां हों या जो उनकी अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हो, इस बात के लिये समन कर सकेगा कि वह उन्हें उस दशा में, जब कि वे सोसायटी के मुख्य कार्यालय से संबंधित हों, उसके (सोसाइटी के) मुख्यालय पर के किसी भी स्थान पर, और उस दशा में, जबकि वे सोसाइटी की किसी शाखा से संबंधित हों, उस नगर, जिसमें कि उसकी ऐसी शाखा स्थित हो, में के किसी स्थान पर पेश करें,

(ख) वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि संबंध में उसके पास या विश्वास करने का कारण हो कि उसे सोसाइटी के कार्यकलापों में से किन्हीं कार्यकलापों का ज्ञान है, सोसाइटी के

मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा पर के किसी स्थान पर उसके समक्ष उपसंजात होने के लिये समन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा.

(5) जांच का आदेश किये जाने की तारीख से चार मास की कालावधि के भीतर ऐसी जांच पूरी कर ली जाएगी और रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी.

(6) (क) रजिस्ट्रार जांच पूरी होने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर निम्नलिखित को रिपोर्ट संसूचित करेगा-

(एक) संबंधित सोसाइटी को,

(दो) आवेदकों को या ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये आवेदकों द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को,

(ख) जांच की रिपोर्ट मांग की जाने पर -

(एक) सोसायटी के किसी सदस्य को,

(दो) उस संघ को, जिसकी कि सोसायटी सदस्य है,

(तीन) लेनदेन को भी,

विहीत फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करने से एक मास के भीतर प्रदाय की जाएगी.]

59-ए/क) जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य :- (1) सोसाइटी के समस्त अधिकारी, सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य जिनके कि संबंध में जांच की जा रही हो, तथा कोई अन्य व्यक्ति जो जांच करने वाले अधिकारी की राय में, सोसाइटी से संबंधित जानकारी, पुस्तकों तथा कागज-पत्रों का कब्जा रखे हुए हों, जांच करने वाले अधिकारी को ऐसी जानकारी, जो कि उनके कब्जे में हो, देंगे तथा सोसाइटी से संबंधित समस्त पुस्तकें एवं कागज-पत्र, जो उनकी अभिरक्षा में हो, तथा उनकी शक्ति के अधीन हों, पेश करेंगे तथा जांच के संबंध में अन्य प्रकार से वह समस्त सहायता देंगे जो कि वे युक्तियुक्त रूप से दे सकते हों।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो कि रजिस्ट्रार द्वारा धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसे कागज-पत्र जिन्हें पेश करना उपधारा (1) के अधीन उस व्यक्ति का कर्तव्य है, पेश करने से इंकार करे या किसी ऐसे प्रश्न का जो कि उससे रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा किया जाये, उत्तर देने से इन्कार करे, तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस इन्कार को प्रमाणित कर सकेगा और रजिस्ट्रार कोई ऐसा कथन, जो कि प्रतिवाद में दिया जाये, सुनने के पश्चात् व्यक्तिक्रमी को शास्ति से, जो पचास हजार रुपये से अधिक की नहीं होगी, दण्डित कर सकेगा। इस धारा के अधीन शास्ति के रूप में अधिरोपित की गई राशि, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा उसी प्रकार वसूलीय होगी मानों कि वह स्वयं उस मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो।

60. सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण:- (1) रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी सोसाइटी के लेनदार का

आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण करने के लिये निर्देश दे सकेगा :

परन्तु कोई भी ऐसा निरीक्षण, लेनदार के आवेदन-पत्र पर से तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक-

(ए/क) रजिस्ट्रार का यह समाधान न कर दे कि ऋण वह राशि है जो तभी शोध्य है और यह कि उसने, उसके भुगतान की मांग की है तथा युक्तियुक्त समय के भीतर चुकारा (सेटिस्फेक्शन) प्राप्त नहीं किया है; और

(बी/ख) प्रस्थापित निरीक्षण के खर्चे के लिये प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करें रजिस्ट्रार के पास निक्षिप्त न कर दें।

(2) रजिस्ट्रार किसी ऐसे निरीक्षण के परिणाम,

(ए/क) जहां वह निरीक्षण उसकी स्वप्रेरणा से किया गया हो, वहां सोसाइटी को; और

(बी/ख) जहां निरीक्षण किसी लेनदार के आवेदन पर कि किया गया हो, वहां उस लेनदार को तथा सोसाइटी को संसूचित करेगा।

61. त्रुटियों की परिशुद्धि:- (1) यदि धारा 58 के अधीन की गई संपरीक्षा या धारा 59 के अधीन की गई किसी जांच या धारा 60 के अधीन किये गये किसी निरीक्षण के परिणामस्वरूप किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण या उसकी वित्तीय स्थिति या उसकी लेखा-पुस्तकों में कोई त्रुटियां प्रकट हों तो रजिस्ट्रार ऐसी त्रुटियां उस सोसाइटी की जानकारी में ला सकेगा और यदि वह सोसाइटी किसी अन्य सोसाइटी से सम्बद्ध हो तो उसे अन्य सोसाइटी की जानकारी में भी ला सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, ऐसी सोसाइटी या उसके अधिकारियों को या उस सोसाइटी को, जिससे कि वह सम्बद्ध हो, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि वह उन त्रुटियों का, जो कि संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण में प्रकट हुई हो, उपचार करने के लिये ऐसी कार्रवाई, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जो, साठ दिन के भीतर करें.

(3) यदि सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी साठ दिन के भीतर, रजिस्ट्रार के निदेशों का पालन करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी को संचालक मंडल का सदस्य होने के लिए आयोग्य घोषित कर सकेगा और यदि ऐसा अधिकारी, सोसाइटी का कोई कर्मचारी है तो उस पर पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा,

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए.

62. जांच के खर्चे:- जहां धारा 59 के अधीन कोई जांच की जाये या लेनदार के आवेदन पर से धारा 60 के अधीन कोई निरीक्षण किया जाये, वहां रजिस्ट्रार खर्चे या खर्चों का ऐसा भाग, जैसा कि वह उचित समझे, उस सोसाइटी के, जिससे कि संबंधित सोसाइटी सम्बद्ध संबंधित सोसायटी के जांच या निरीक्षण की मांग करने वाले सदस्यों या लेनदारों के, तथा सोसाइटी के अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों के बीच प्रभाजित कर सकेगा :

परन्तु-

(ए/क) खर्चों के प्रभाजन का कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस सोसाइटी या उस व्यक्ति को, जिसे कि उसके (आदेश के) अधीन खर्चों का संदाय करने के लिये दायी बनाना चाहा गया है, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो;

(बी/ख) रजिस्ट्रार उन आधारों को, जिन पर खर्चों का प्रभाजन किया गया हो, लिखित में कथित करेगा।

63- ए/क) कार्यवाहियों आदि पर व्यय- सोसाइटी की निधियों में से कोई व्यय, रजिस्ट्रार द्वारा धारा 19-एए/कक, अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन किए गए या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी आदेश के विरुद्ध सोसाइटी के किसी अधिकारी या संचालक मंडल द्वारा किसी न्यायालय में फाइल या संस्थित की गई किसी कार्यवाही के खर्चों का चुकारा करने के प्रयोजन के लिये उपगत नहीं किया जाएगा : परन्तु जहां मामला यथास्थिति अधिकारी या संचालक मंडल के पक्ष में अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाता है वहां ऐसे खर्च की, जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाए, सोसाइटी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

सातवां अध्याय

विवाद तथा माध्यस्थम

64. विवाद:- (1) किसी सोसाइटी के गठन, प्रबंध का कारबार से या किसी सोसाइटी के समापन से संबंधित कोई विवाद तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विवाद के पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाएगा यदि उसके पक्षकार निम्नलिखित में से हों :-

(ए/क) कोई सोसाइटी, उसकी संचालक मंडल, कोई भूतपूर्व संचालक मंडल, कोई भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, कोई भूतपूर्व या वर्तमान अभिकर्ता, कोई भूतपूर्व या वर्तमान सेवक या नाम निर्देशिती, सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत सेवक का कोई नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि या सोसाइटी का समापक;

(बी/ख) कोई सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या किसी सोसाइटी के या किसी ऐसी सोसाइटी के, जो उस सोसाइटी के सदस्य हो, किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की मार्फत दावा करने वाला कोई व्यक्ति;

(सी/ग) किसी सोसाइटी के सदस्य से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सोसाइटी द्वारा उधार मंजूर किया गया हो या जिसके साथ सोसाइटी के कारोबारी संव्यवहार हों या थे तथा ऐसे व्यक्ति की मार्फत दावा करने वाला कोई व्यक्ति;

(डी/घ) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, मृत सदस्य का या किसी सदस्य से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसे सोसाइटी द्वारा उधार मंजूर किया गया हो, प्रतिभू चाहे ऐसा प्रतिभू सोसाइटी का सदस्य हो या न हो;

(ई/ङ) कोई अन्य सोसाइटी या ऐसी किसी सोसाइटी का समापक; और

(एफ/च) किसी सोसाइटी का लेनदार;

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये, विवाद के अंतर्गत निम्नलिखित आयेंगे :-

(एक) किसी सोसाइटी द्वारा किसी ऐसे ऋण या ऐसी मांग के लिये, जो किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या किसी मृत सदस्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि द्वारा उस सोसाइटी को शोध्य हो, कोई दावा, चाहे ऐसे ऋण या मांग को स्वीकार किया जाये या नहीं;

(दो) किसी प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी के विरुद्ध उस दशा में कोई दावा जबकि सोसाइटी ने किसी ऐसे ऋण या मांग की बाबत, जो कि मूल ऋणी के व्यक्तिक्रम के परिणामस्वरूप मूल ऋणी द्वारा सोसाइटी को शोध्य हो, कोई रकम प्रतिभू से वसूल कर ली हो, चाहे ऐसे ऋण या मांग को स्वीकार किया जाये या नहीं;

(तीन) किसी ऐसी हानि के लिये, जो कि किसी सोसाइटी के किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य किसी अधिकारी, भूतपूर्व अधिकारी या मृत अधिकारी, किसी अभिकर्ता, भूतपूर्व अभिकर्ता या मृत अभिकर्ता, या किसी सेवक, भूतपूर्व सेवक या मृत सेवक, या उसकी भूतपूर्व या वर्तमान संचालक मंडल द्वारा पहुंचाई गई हो, उस सोसाइटी द्वारा कोई दावा, चाहे ऐसी हानि

को स्वीकार किया जाये या नहीं;

(चार) अधिकारों आदि के बारे में कोई प्रश्न जिसमें किसी गृह निर्माण सोसाइटी तथा उसके अभिधारियों या ऐसी सोसाइटी और उसके सदस्यों के बीच अभिवृति अधिकार सम्मिलित है; और

(पांच) सोसाइटी के किसी अधिकारी के निर्वाचन के संबंध में या सोसाइटी के या संयुक्त सोसाइटी के प्रतिनिधि के निर्वाचन के संबंध में उठने वाला कोई विवाद;

परन्तु रजिस्ट्रार उस कालावधि के, जो कि निर्वाचन कार्यक्रम के आख्यापन से प्रारंभ होकर परिणामों की घोषणा तक की हो, दौरान इस खण्ड के अधीन कोई भी विवाद ग्रहण नहीं करेगा।]

(3) यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत हो कि क्या रजिस्ट्रार को निर्देशित किया गया कोई विवाद है तो उस पर रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

65. परिसीमा:- (1) इंडियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 9) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम में किये गये विनिर्दिष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उन विवादों को, जो कि नीचे वर्णित है, धारा 64 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्देशित करने के लिये परिसीमा कालावधि,

(ए/क) जब विवाद किसी सोसाइटी को उसके किसी सदस्य द्वारा शोध्य किसी राशि, जिसके कि अंतर्गत उस पर का ब्याज भी आता हो, की वसूली के संबंध में हो, तब उस तारीख से, जिसको जिसके कि ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाये या जिसको कि वह उस सोसाइटी का सदस्य न रह जाये, छह वर्ष होगी;

(बी/ख) जब विवाद किसी सोसाइटी या उसकी संचालक मंडल के तथा किसी भूतपूर्व संचालक मंडल किसी भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, या भूतपूर्व या वर्तमान अभिकर्ता, या भूतपूर्व या वर्तमान सेवक या सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत सेवक के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि, या किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, या किसी मृत सदस्य के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच हो और जब विवाद, विवाद के किसी भी पक्षकार की ओर से किये गये किसी कार्य या कार्यलोप, के संबंध में हो, तब उस तारीख से छः वर्ष होगी जिसको कि वह कार्य या कार्यलोप, जिसके कि संबंध में विवाद उद्भूत हुआ है, हुआ हो;

(सी/ग) जब विवाद किसी ऐसी सोसाइटी, जिसका कि धारा 69 के अधीन परिसमापन किया जाने का आदेश किया जा चुका हो या जिसके कि संबंध में किसी नामनिर्दिष्ट संचालक मंडल या व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति धारा 53 के अधीन कर दी गई हो, के गठन, प्रबंध या कारबार से संबंधित किसी मामले के बारे में हो, तब यथास्थिति धारा 69 तथा धारा 53 के अधीन जारी किये गये आदेश की तारीख से छह वर्ष होगी;

(डी/घ) जब विवाद किसी सोसाइटी के किसी आफिसर के निर्वाचन के संबंध में हो, तब ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से पैंतालीस दिन होगी।

(2) उपधारा (1) में वर्णित विवादों को छोड़कर जिनका रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाना धारा 64 के अधीन अपेक्षित है, किसी भी अन्य विवाद की दशा में परिसीमा काल इंडियन लिमिटेशन

एक्ट, 1908 के उपबंधों द्वारा इस प्रकार विनियमित होगा मानो वह विवाद एक वाद है और रजिस्ट्रार सिविल न्यायालय है।

(3) उपधारा (1) तथा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी विवाद को परिसीमा कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा यदि आवेदक रजिस्ट्रार का यह समाधान कर देता है कि उस विवाद को ऐसी कालावधि के भीतर निर्देशित न करने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण था।

66. विवाद का निपटारा:- (1) रजिस्ट्रार, धारा 64 या धारा 55 की उपधारा (2) या धारा 84 क के अधीन विवाद का निर्देश प्राप्त होने पर, उस विवाद को स्वयं विनिश्चित कर सकेगा अथवा निपटाये जाने के हेतु उसे किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, अन्तरित कर सकेगा।

(2) जहां कोई विवाद किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी बोर्ड द्वारा निपटाये जाने के लिये उपधारा (1) के अधीन अन्तरित कर दिया गया हो, वहां रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, उस विवाद को ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड से किसी भी समय प्रत्याहृत कर सकेगा और उस विवाद को स्वयं विनिश्चित कर सकेगा अथवा विनिश्चय के हेतु उसे अपने द्वारा नियुक्त किये गये किसी अन्य नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को पुन: अन्तरित कर सकेगा।

(3) किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड का, जिसको कि कोई विवाद विनिश्चय के हेतु इस धारा के अधीन अंतरित किया गया हो, विनिश्चय इस धारा के प्रयोजनों के लिये, रजिस्ट्रार का विनिश्चय समझा जायेगा।

67. विवादों के निपटारे के लिये प्रक्रिया तथा रजिस्ट्रार, उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड की शक्ति:- (1) रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को अन्तर्वर्ती आदेश करने, जिसके कि अंतर्गत अस्थायी व्यादेश का दिया जाना आता है, की शक्ति होगी। इस शक्ति का प्रयोग करने में, यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों का बोर्ड उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कि ऐसे आदेश करने तथा व्यादेश देने के प्रयोजन के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 5) में अधिकथित की गई है।

(2) विवाद की सुनवाई में किसी विधि व्यवसायी द्वारा किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड की अनुज्ञा से ही किया जायेगा अन्य नहीं;

परन्तु जहां इस प्रकार अनुज्ञा दे दी जाती है, वहां विवाद का दूसरा पक्षकार इस बात का हकदार होगा कि उसका प्रतिनिधित्व विधि व्यवसायी द्वारा किया जाये।

(3) यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उन पक्षकारों और साक्षियों के, जो हाजिर होते हैं, साक्ष्य का टिप्पण हिन्दी में अभिलिखित करेगा और इस प्रकार अभिलिखित किये गये

साक्ष्य पर दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा पेश किए गए किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, यथास्थिति विनिश्चय या अधिनिर्णय देगा जो लेखबद्ध किया जायेगा। यदि सम्यक् रूप से समन किया गया आवेदक अनुपस्थित रहता है तो मामला व्यक्तिक्रम के कारण खारिज किया जा सकेगा। यदि अनावेदक अनुपस्थित रहता है तो मामला एक पक्षीय रूप से विनिश्चित किया जा सकेगा। उन मामलों में, जहां तीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, बहुसंख्या की राय अभिभावी होगी :

परन्तु जहां कोई विवाद, व्यक्तिक्रम के कारण किसी पक्षकार के विरुद्ध विनिश्चित किया गया है और ऐसा पक्षकार ऐसे व्यक्तिक्रम की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार का यह समाधान कर देता है कि उसके उपसंजात न होने के लिये पर्याप्त हेतुक था, वहां रजिस्ट्रार विनिश्चय को अपास्त करते हुये आदेश करेगा और मामले में कार्यवाही हेतु एक तारीख नियत करेगा।

68. **अधिनिर्णय के पूर्व कुर्की:-** जहां यथास्थिति रजिस्ट्रार, किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी बोर्ड का, जो धारा 66 के अधीन कार्य कर रहा है, शपथ पत्र या जांच के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी निर्देश का कोई पक्षकार किसी ऐसे अधिनिर्णय के, जो कि किया जा सकता है, निष्पादन में विलंब करने या बाधा पहुंचाने के आशय से-

(ए/क) अपनी संपूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने वाला है; या

(बी/ख) अपनी संपूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता से हटाने वाला है,

तो रजिस्ट्रार, कोई नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों का बोर्ड, जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी गई हो उक्त संपत्ति की या उसके ऐसे भाग की, जिसे वह आवश्यक समझे, सशर्त कुर्की अपने द्वारा प्राधिकृत किये गये ऐसे अभिकरण, जिसे वह उचित समझे, द्वारा की जाने का निर्देश दे सकेगा और ऐसी कुर्की का इसी प्रकार प्रभाव होगा मानों वह सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गई हो।

आठवां अध्याय
समापन

69. सोसाइटियों का परिसमापन:- (1) यदि, धारा 59 के अधीन जांच की जा चुकने या धारा 60 के अधीन निरीक्षण किया जा चुकने के पश्चात् या किसी सोसाइटी के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा किये गये आवेदन के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार की यह राय हो कि सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिये, तो वह उसका परिसमापन कर दिया जाने का निदेश देते हुये आदेश जारी कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से, किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा:-

(ए/क) जहां उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो; या

(बी/ख) जहां रजिस्ट्रार की राय में वह सोसाइटी मुख्यत: किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करती रही हो; या

(सी/ग) जहां उस सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन की किन्हीं ऐसी शर्तों का, जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हों, अनुपालन करना बंद कर दिया हो; या

(डी/घ) जहां कोई प्राथमिक उधार सोसाइटी सदस्यों से अपनी पूरी अतिशोध्य मांग लगातार तीन सहकारी वर्षों तक वसूल न करके व्यक्तिक्रम करती रहे तथा अतिष्ठान के पश्चात् भी सोसाइटी पूरी अति शोध्य मांग वसूल करने में असफल रहे।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर संबंधित सोसाइटी को न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो।

(4) रजिस्ट्रार, किसी सोसाइटी के परिसमापन संबंधी किसी आदेश को, उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द होने के पूर्व किसी भी समय, उस दशा में रद्द कर सकेगा जबकि, उसकी राय में, उस सोसाइटी का अस्तित्व में बना रहना आवश्यक है।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सहकारी बैंक का परिसमापन रिजर्व बैंक आफ इंडिया की लिखित पूर्व मंजूरी से ही किया जायेगा अन्यथा नहीं।

69-ए/क. सहकारी बैंक का परिसमापन- इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 13-घ में वर्णित परिस्थितियों में या अन्यथा ऐसा अपेक्षित किया जाए, किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का तत्काल आदेश देगा.

69-ख.बीमाकृत बैंक के मामले में निक्षेप बीमा निगम का पुनर्भुगतान- जहाँ किसी ऐसे सहकारी बैंक का, जो कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) के अर्थ के

अन्तर्गत बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक हो, परिसमापन कर दिया गया हो या जो समापनाधीन कर दिया गया हो और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक के निक्षेपकर्ताओं के प्रति, उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन दायित्वाधीन हो गया हो, वहाँ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम को उन परिस्थितियों में पुनर्भुगतान उस सीमा तक तथा उस रीति में किया जाएगा जो कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47), धारा 21 में उपबंधित है.

70. समापक की नियुक्ति:- (1) जहां रजिस्ट्रार ने किसी सोसाइटी के परिसमापन के लिये धारा 69 के अधीन कोई आदेश किया हो, वहां उस प्रयोजन के लिये एक समापक नियुक्त कर सकेगा तथा उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो समापक के रूप में नियुक्त किया गया हो, किसी भी समय हटा भी सकेगा और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा। परन्तु किसी सहकारी बैंक के संबंध में, बैंक का परिसमापन करने तथा उसका परिसमापक नियुक्त करने के लिए रिजर्व बैंक की लिखित में पूर्व स्वीकृति से अथवा रिजर्व बैंक द्वारा अध्यपेक्षा किए जाने पर, रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आदेश को किसी भी सहकारी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

(2) कोई समापक, नियुक्त हो जाने पर, ऐसी समस्त सम्पत्ति, चीजबस्त तथा उन अनुयोज्य दावों को, जिनके लिये कि सोसाइटी हकदार हो या हकदार प्रतीत होती हो, अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, चीजबस्त तथा दावों की हानि या उनके क्षय या उनको होने वाले नुकसान को रोकने के लिये ऐसे उपाय करेगा जैसे कि वह आवश्यक या समीचीन समझे।

(4) जहां किसी सोसाइटी के परिसमापन का कोई आदेश अपील में अपास्त कर दिया जाये, वहां उस सोसाइटी की सम्पत्ति, चीजबस्त तथा अनुयोज्य दावे उस सोसाइटी में पुनर्निहित हो जायेंगे।

70-क. समापक का नियंत्रण- समापक की नियुक्ति के पश्चात्, किसी सोसाइटी की संचालक मंडल की समस्त शक्तियां चाहे वह निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट हो, समाप्त हो जाएंगी और इसके पश्चात् सोसाइटी के कर्मचारी, समापक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

71. समापक की शक्तियां:- (1) इस निमित्त में बनाये गये किन्हीं नियमों से अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसी सोसाइटी की, जिसकी कि बाबत् परिसमापन का आदेश कर दिया गया है, समस्त आस्तियां धारा 70 के अधीन नियुक्त किये गये समापक में उस तारीख से निहित हो जायेगी जिसको कि वह आदेश प्रभावशील हो और समापक को यह शक्ति होगी कि वह ऐसी आस्तियां विक्रय द्वारा या अन्यथा वसूल करे।

(2) ऐसे समापक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी:-

(ए/क) सोसाइटी की ओर से वाद एवं अन्य विधिक कार्यवाहियां अपने पदनाम से संस्थित करना तथा वादों एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों में सोसाइटी की ओर से प्रतिरक्षा अपने पदनाम से करना।

(बी/ख) सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा मृत या सदस्यों की सम्पदाओं या उनके नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों,

वारिसों, या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा सोसाइटी की आस्तियों के प्रति किये जाने वाले या किये जाने के लिये शेष रहे अभिदाय (जिसके अंतर्गत शोध्य ऋण आते हैं) का समय-समय पर अवधारण करना।

(सी/ग) उन समस्त दावों का, जो सोसाइटी के विरुद्ध हों, अन्वेषण करना तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पूर्विकता के उन प्रश्नों को, जो दावेदारों के बीच उद्‌भूत हों, विनिश्चित करना।

(डी/घ) सोसाइटी के विरुद्ध दावों का, जिनमें समापन की तारीख तक का ब्याज सम्मिलित है, उनकी पूर्विकता, यदि कोई हो, के अनुसार पूर्णत: या अनुपातत: जैसी किसी सोसाइटी की आस्तियों में गुंजाइश हो, भुगतान करना; दावों का भुगतान करने के पश्चात् बचा हुआ अधिशेष, यदि कोई हो, समापक के आदेश की तारीख से ब्याज के भुगतान में उपयोजित किया जायेगा जो ऐसी दर से होगा जो रजिस्ट्रार द्वारा नियत की जाए किन्तु जो किसी भी दशा में संविदा दर से अधिक न होगा;

(ई/ड) यह अवधारित करना कि समापन के खर्चों का वहन किन व्यक्तियों द्वारा तथा किस अनुपात में किया जाना है;

(एफ/च) यह अवधारित करना कि क्या कोई व्यक्ति सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति है;

(जी/छ) सोसाइटी की आस्तियों के संग्रहण तथा वितरण के बारे में ऐसे निर्देश देगा जो कि सोसाइटी के कामकाज का परिसमापन करने के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हों;

(एच/ज) सोसाइटी का कारबार उस सीमा तक चलाना जहां तक कि वह उसके फायदाप्रद परिसमापन के लिये आवश्यक हो;

(आई/झ) लेनदारों के साथ या उन व्यक्तियों के, जो लेनदार होने का दावा करते हों, या जो कोई ऐसा वर्तमान या भावी दावा, जिसके कि द्वारा सोसाइटी को दायी बनाया जा सकता हो, रखते हों या यह अभिकथित करते हो कि वे ऐसा दावा रखते हैं, साथ कोई समझौता या ठहराव करना; और

(जे/ञ) समस्त मांगों या मांगों तथा ऋणों के दायित्वों का और ऋणों में परिणित होने योग्य दायित्वों का, तथा वर्तमान या भावी, निश्चित या समाश्रित समस्त ऐसे दावों का, जो सोसाइटी तथा किसी अभिदायी या अभिकथित अभिदायी या अन्य ऋणी या ऐसे व्यक्ति, जो सोसाइटी के प्रति अपना दायित्व समझता है, के बीच अस्तित्व में है, या जिनका अस्तित्व में होना माना जाता है और ऐसे समस्त प्रश्नों का, जो सोसाइटी की आस्तियों या उसके परिसमापन से किसी भी रूप में संबंधित है या जो उन पर प्रभाव डालने वाले हैं, समझौता ऐसे निबंधनों पर करना जैसे कि तय पाये जाएं, तथा किसी ऐसी मांग, दायित्व ऋण या दावे के उन्मोचन के लिये कोई प्रतिभूति लेना और उसकी बाबत् पूर्ण उन्मोचन करना;

परन्तु कोई समापक किसी सदस्य या किसी भूतपूर्व सदस्य से या किसी मृत सदस्य के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि से वसूल किये जाने वाले अभिदाय, ऋण या

शोध्यों का तब तक अवधारण नहीं करेगा जब तक कि ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्यों को या ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जब किसी सोसाइटी के कामकाज का परिसमापन कर दिया गया हो तब समापक रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा और सोसाइटी के अभिलेख ऐसे स्थान पर जमा करेगा जैसा कि रजिस्ट्रार निर्देशित करे।

72. समापित सोसाइटियों की अधिशेष आस्तियों का व्ययन:- (1) किसी परिसमापित सोसाइटी के समस्त दायित्वों की, जिनके कि अंतर्गत समादत्त अंश-पूंजी है, पूर्ति हो जाने के पश्चात् अधिशेष रही आस्तियां उसके सदस्यों में विभाजित नहीं की जायेगी अपितु वे किसी ऐसे उद्देश्य, जो कि सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित हो, के लिये उपयोजित की जायेगी और कोई उद्देश्य इस प्रकार वर्णित न हो तब किसी ऐसे लोकोपयोगी उद्देश्य, जो कि सोसाइटी के साधारण सम्मिलन द्वारा अवधारित किया जाये तथा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाये, के लिये उपयोजित की जायेगी या वे उनके परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी के भी लिये या तो सम्पूर्णतः या भागतः समनुदेशित की जा सकेगी-

(ए/क) कोई लोकोपयोगी उद्देश्य या स्थानीय या नागरिक हित का कोई उद्देश्य: या

(बी/ख) मध्यप्रदेश सहकारी संघ मर्यादित या कोई अन्य संस्था या संघ; या

(सी/ग) किसी केंद्रीय सहकारी बैंक में उतने समय तक के लिये निक्षिप्त रखी जा सकेंगी जब तक कि वैसी ही शर्तों सहित कोई नवीन सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत न हो जाये और तब ऐसा अधिशेष, रजिस्ट्रार की सम्मति से, ऐसी नवीन सोसाइटी की रक्षित निधि में निक्षिप्त किया जा सकेगा;

(डी/घ) पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम सं. 6) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई पूर्त प्रयोजन; या

(ई/ङ) प्रत्येक विद्यमान सदस्य को उसका समादत्त अंशपूंजी के अनुपात में।

(2) जहाँ समापक ने आस्तियों और दायित्वों के निपटारे के पश्चात् रजिस्ट्रार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तब रजिस्ट्रार अंतिम रिपोर्ट पर समाधान कर लेने के पश्चात् सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा.

अध्याय आठ-क

सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों के लिए विशेष उपबंध

72. क. अध्याय का लागू किया जाना- इस अध्याय के उपबंध, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त गृह निर्माण सोसाइटियों पर लागू होंगे।

72. ख. भू-खण्ड भवन और सुख-सुविधाओं के लिये सदस्य की हकदारी तथा व्यय का दायित्व-

(1) (क) किसी गृह निर्माण सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य खण्ड (ङ) के अधीन प्राथमिकता सूची के अनुसार गृह निर्माण के लिये एक भू-खण्ड का, जिसमें यथास्थिति, निम्न सघनता का गृह निर्माण, निवास गृह या कोई प्रकोष्ठ (फ्लेट) सम्मिलित है और ऐसी दशा में जब कोई निवास

गृह या प्रकोष्ठ (फ्लेट) पूर्व में ही अर्जित कर लिये गये हों तो उसकी सामान्य सुख सुविधाओं तथा सेवाओं का हकदार होगा जिसमें गृह निर्माण के लिये वित्त पोषण भी सम्मिलित है.

(ख) सदस्यता सूची, जिसमें उसका नाम, उसके पिता और माता का नाम, उसकी जन्मतिथि तथा आयकर की स्थायी लेखा संख्या यदि कोई हो, समाविष्ट करते हुए सोसायटी द्वारा रखी जाएगी तथा ऐसी सूची उसके सोसाइटी में प्रवेश के अनुसार तैयार की जायेगी.

(ग) जहाँ सोसाइटी गृह निर्माण प्रयोजनों के लिये कोई भूमि शासन से या किसी अन्य एजेंसी से रियायती दर पर प्राप्त करती है वहाँ उसके सदस्य के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह इस प्रभाव का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करे कि उसके नाम या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के नाम से कोई भू-खण्ड/प्रकोष्ठ (फ्लेट)/भवन उस नगर पालिक क्षेत्र में नहीं है.

(घ) प्रत्येक गृह निर्माण सोसाइटी, खण्ड (ख) के अधीन तैयार की गई सूची के अधार पर, पत्र द्वारा, सूची के प्रत्येक सदस्य को, रजिस्टर्ड डाक द्वारा, पत्र में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो कि दो मास के कम की नहीं होगी, विकास प्रभार, सन्निर्माण प्रभार तथा सुविधाओं पर उपगत होने वाले अन्य व्ययों को जमा करने के लिये कहेगी और सोसाइटी उपरोक्त प्रयोजन के लिये एक ऐसे समाचार पत्र में, जिसका कि सोसाइटी के क्षेत्राधिकार में परिचालन हो, एक प्रेस नोट भी प्रकाशित करेगी और सोसायटी संबंधित सदस्य को भेजे गए पत्रों का अभिलेख रखेगी और सोसायटी यह भी सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक रकम जमा कराने के लिये भेजी गई सूचना सदस्य को प्राप्त हो गई है.

(ङ) सोसाइटी, पत्र प्राप्ति के पश्चात् सदस्य द्वारा अपेक्षित रकम जमा कर दिये जाने के आधार पर, प्रति वर्ष भू-खण्ड आवंटन के लिये एक प्राथमिकता सूची तैयार करेगी और यदि सूची में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा संबंधित सदस्य को भेजी जायेगी और ऐसी परिवर्तित सूची की एक प्रति प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक संबंधित उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को भी भेजी जाएगी तथा अंतिम प्राथमिकता सूची के आधार पर सदस्यों को भू-खण्ड आवंटित किए जाएंगे और ऐसी सूची जनसाधारण को सोसाइटी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और वेबसाइट को प्रति वर्ष अद्यतन किया जाएगा।

(च) प्रत्येक गृह निर्माण सोसाइटी, खण्ड (ख) और खण्ड (ङ) के अधीन तैयार की गई सदस्यता सूची और सदस्यों की प्राथमिकता सूची के साथ अपना वार्षिक तुलन पत्र तथा आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां जिले के संबंधित उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी और यह जानकारी जनसाधारण को सोसाइटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी.

(छ) रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना सोसाइटी द्वारा धारित भूमि या उसका कोई भाग बेचा नहीं जाएगा या पट्टे पर नहीं दिया जाएगा और ऐसी भूमि के अंतरण की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

(ज) यदि कोई सदस्य, यथास्थिति, विधिक व्यय, अनुरक्षण तथा सेवाओं के अपने शेयर का संदाय विहित समय के भीतर करने में असफल रहता है, तो सोसाइटी तीन मास से अनधिक

की किसी कालावधि के लिये 20 प्रतिशत की दर से अधिभार अधिरोपित करेगी और यदि तीन मास से परे व्यतिक्रम जारी रहता है तो सेवाएँ तुरन्त बंद कर दी जाएगी.

परन्तु ऐसी सेवाओं को तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को, समिति द्वारा, इस निमित्त सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(2) किसी गृह निर्माण सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य, साधारण सभा के प्रत्येक सम्मिलन में उपस्थित रहेगा जिसकी कि जानकारी उसे गृह निर्माण सोसाइटी की संचालक मंडल के सचिव से प्राप्त होती हो और संचालक मंडल को पूर्व सूचना के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए जैसा कि साधारण सभा द्वारा विनिश्चित किया जाए, 200/- रुपये से अनधिक के जुर्माने के संदाय करने का दायी होगा:

परन्तु कोई भी जुर्माना तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

72-ग. गृह निर्माण सोसाइटी की सदस्यता पर निर्बन्धन- (1) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी गृह निर्माण सोसाइटी की सदस्यता, एक विशिष्ट संख्या तक निर्बन्धित रहेगी जैसा कि उपविधियों में विहित किया जाए।

(2) गृह निर्माण सोसाइटी अपनी सदस्यता को ऐसी रीति में, उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या तक इस प्रकार बढ़ा सकेगी कि सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपनी ज्येष्ठता के अनुक्रम में भू-खण्ड/निवास गृह/प्रकोष्ठ प्राप्त कर सके और गृह निर्माण वित्त पोषण, सामान्य सुख-सुविधाएँ प्राप्त कर सके।

72-घ. अपराध- निम्नलिखित में से कोई भी कार्य, धारा 74 के अधीन अपराध होगा और उसका उस रूप में अर्थ लगाया जाएगा, अर्थात्-

(एक) इस अधिनियम के उपबंधों, सोसाइटी के नियमों, उपविधियों या आवंटन की किन्हीं शर्तों के अतिक्रमण में किसी रजिस्ट्रीकृत भू-खण्ड, निवास गृह या प्रकोष्ठ का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण,

(दो) सदस्यता सूची से छेड़छाड़,

(तीन) उपविधियों में विहित सदस्यों की संख्या से अधिक सदस्यों को प्रवेश देना,

(चार) सोसाइटी की विकास योजना के अनुसार भूमि का विकास न करना,

(पांच) सोसाइटी की अनुमोदित अभिन्यास (ले-आउट) योजना के अतिक्रमण में भूमि का आवंटन या विक्रय,

(छह) ऐसी भूमि का विकास न करना जो कि सोसाइटी के साधारण उपयोग जैसे सामुदायिक भवन, स्कूल या अस्पताल या उपविधियों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रयोजन के लिए आरक्षित हो,

(सात) सदस्यों द्वारा भुगतान की गयी सेवाओं का बिना न्याय संगत और पर्याप्त कारण से संधारण न करना या उपलब्ध न करना।

(आठ) सदस्यों को भू-खण्डों का आवंटन सदस्यों की प्राथमिकता सूची के अनुसार न करना,

(नौ) रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना सोसाइटी द्वारा धारित भूमि का विक्रय करना या उसे पट्टे पर देना या उसका अंतरण करना,

(दस) धारा 72-ख की उपधारा (1) के खण्ड (च) के उपबंधों का अनुपालन न करना.

72-ङ अपराधों के लिए शास्तियां- किसी सोसाइटी की प्रत्येक संचालक मंडल, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या कोई भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी ऐसी कार्यवाही पर, जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-

(क) धारा 72-घ के खण्ड (एक) में उल्लिखित अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी या दोनों से,

(ख) धारा 72-घ के खण्ड (दो) में उल्लिखित अपराध के लिये, ऐसे जुर्माने से जो 5 लाख रुपये तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी या दोनों से,

(ग) धारा 72-घ के खण्ड (तीन) में उल्लिखित अपराध के लिये, ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से,

(घ) धारा 72-घ के खण्ड (चार), (पांच), (छह), (सात), (आठ), (नौ) और (दस) में उल्लिखित अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से.

नवां अध्याय

अपराध तथा शास्तियां

73. शब्द 'सहकारी' के प्रयोग का प्रतिषेध:- (1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई किसी सोसाइटी से तथा किसी ऐसे व्यक्ति या उसके हित उत्तराधिकारी से, जिसका कि नाम या अभिधान वह है जिसके कि अधीन वह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को व्यापार या कारबार करता रहा हो, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना, किसी ऐसे नाम या अभिधान से, जिसका भागरूप शब्द 'सहकारी' या किसी भारतीय भाषा में, उसका पर्यायवाची शब्द हो, कृत्य नहीं करेगा व्यापार नहीं करेगा, या कारबार नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 14 की उपधारा (2) के उल्लंघन में बनाई गई किसी सोसाइटी का सदस्य है तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसको कि ऐसे अपराध के लिये दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसा अपराध चालू रहता है, पांच रुपये अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।

74. अपराध :- इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि-

(ए/क) कोई संचालक मंडल या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर कोई मिथ्या रिपोर्ट करता है या मिथ्या जानकारी देता है या लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है या मिथ्या लेखे बेईमानी से रखता है; या

(बी/ख) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिये अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को, उसकी प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, केंद्रीय सहकारी बैंक, किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है; या

(सी/ग) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिये अंशधन संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार एकत्रित की गई निधियों का उपयोग, रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी सोसाइटी के नाम से करता है या अन्यथा कोई कारबार करने में या व्यापार करने में करता है; या

(डी/घ) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने स्वयं के उपयोग या फायदे के लिये या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें कि वह हितबद्ध है, उपयोग या फायदे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के नाम उधार की जानबूझकर सिफारिश करता है या उसे उधार मंजूर करता है; या

(ई/ङ) कोई अधिकारी या कोई सदस्य किन्हीं पुस्तकों कागज-पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, परिवर्तित करता है, उनका मिथ्याकरण करता है या उनको गुप्त रखता है या उनको नष्ट किये जाने, विकृत किये जाने, परिवर्तित किये जाने, उनका मिथ्याकरण किया जाने या उनके गुप्त रखे जाने में संसर्गी है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा-पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या ऐसा किया जाने में संसर्गी है; या

(एफ/च) कोई अधिकारी या कोई सदस्य, जिसके पास जानकारी, पुस्तकें तथा अभिलेख हों, ऐसी जानकारी जानबूझकर नहीं देता या ऐसी पुस्तकें तथा कागज-पत्र पेश नहीं करता है या रजिस्ट्रार द्वारा धारा 53, 58, 59, 60, 67 तथा 70 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किये गये किसी

व्यक्ति की सहायता नहीं करता है; या

(जी/छ) कोई अधिकारी उस सोसाइटी की, जिसका कि वह अधिकारी है, पुस्तकों, अभिलेखों, नगदी, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षण धारा 53 या 70 के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं सौंपता है; या

(एच/ज) कोई सदस्य ऐसी सम्पत्ति का, जिस पर कि सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्ण व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति विक्रय, अन्तरण, बन्धक, दान द्वारा या अन्यथा अपनी संपत्ति का व्ययन सोसाइटी के शोध्यों का अपवंचन करने के कपटपूर्ण आशय से करता है; या

(आई/झ) कोई नियोजक तथा ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला अन्य निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता धारा 42 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना चूक करता है; या

(जे/ञ) कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति का, जो धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन है, अर्जन करता है या उसके अर्जन में दुष्प्रेरण करता है; या

(के/ट) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है या ऐसे कार्य लोप का दोषी है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है; [2][या

(ठ) कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किसी समन, अध्यपेक्षा या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है, या

(ड) कोई नियोजक जो बिना किसी पर्याप्त कारण से, उसके द्वारा उसके कर्मचारी से काटी गई रकम का उस तारीख से, जिसको कि ऐसी कटौती की गई हो चौदह दिन की कालावधि के भीतर किसी सहकारी सोसाइटी को भुगतान करने में असफल रहता है, या

(ढ) जो कोई संचालक मंडल अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के पूर्व, दौरान या उसके पश्चात् कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है.

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिये, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो कि इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अन्तर्गत यथास्थिति भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आवेगा।

75. अपराधों के लिये शास्तियां:- किसी सोसाइटी की प्रत्येक संचालक मंडल, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी ऐसी कार्यवाही पर, जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-

(ए/क) जुर्माने से, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (बी/क) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(बी/ख) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (बी/ख) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(सी/ग) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (सी/ग) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(डी/घ) जुर्माने से, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (डी/घ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(ई/ङ) जुर्माने से, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ई/ङ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(एफ/च) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (एफ/च) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(जी/छ) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (जी/छ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(एच/ज) जुर्माने से, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (एच/ज) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(आई/झ) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (आई/झ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(जे/ञ) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (जे/ञ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(के/ट) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (के/ट) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या

(ठ) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ठ) में निर्दिष्ट किए गए किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(ड) जुर्माने से, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे दारा 74 (ड) में निर्दिष्ट किए गए किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(ढ) जुर्माने से, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 75 (ढ) में निर्दिष्ट किए गए किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो,

76. **अपराधों का संज्ञान:-** (1) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा और ऐसी मंजूरी संबंधित व्यक्ति को अपना मामला अभ्यावेदित करने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायेगी।

दसवां अध्याय

अधिकरण का गठन

77. **मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण:-** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के नाम से ज्ञात होने वाले एक अधिकरण का गठन इस प्रयोजन से करेगी कि वह अधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो कि अधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जाये।

(2) अधिकरण में अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होंगे।

(3) (ए/क) कोई भी व्यक्ति अधिकरण का अध्यक्ष होने के लिये अर्हित नहीं होगा यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रह चुका हो या कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद धारण न कर चुका हो।

(बी/ख) अन्य दो सदस्यों में से एक सदस्य सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी होगा जो संयुक्त रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो और दूसरा सदस्य कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति होगा जो सहकारी आंदोलन से घनिष्ठत: सम्बद्ध हो या कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर होगा जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र, में कम से कम पन्द्रह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो; परन्तु राज्य सरकार उचित समझे तो अधिकरण का गठन एक व्यक्ति से हो सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजन के लिये ''अशासकीय व्यक्ति'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद न धारण करता हो।

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने या अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य होने के लिये उस दशा में निरर्हित होगा जबकि वह किसी सोसाइटी की संचालक मंडल का, जो कि किसी सोसाइटी के साधारण निकाय से भिन्न हो, सदस्य हो;

(5) (ए/क) अधिकरण का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य सामान्यत: कम से कम दो वर्ष की और अधिक से अधिक पांच वर्ष की कालावधि तक के लिये, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेंगे।

(बी/ख) कोई व्यक्ति, जिसने खण्ड (ए/क) में उल्लिखित की गई कालावधि तक के लिये अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण किया हो, पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(सी/ग) अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा।

(डी/घ) अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार की अनुज्ञा से कोई ऐसा अन्य पद, नियुक्ति या नियोजन धारण कर सकेगा जो कि अधिकरण में की उसकी स्थिति से असंगत न हो।

(6) उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकेगी यदि उसकी राय में, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य

अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते रहने के लिये असमर्थ या अयोग्य हो;

परन्तु कोई भी नियुक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक समाप्त नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी समाप्ति के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर उस व्यक्ति को, जिसकी कि नियुक्ति का समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, न दे दिया गया हो।

(7) (ए/क) यदि अध्यक्ष या सदस्य का पद छुट्टी, अनुपस्थिति, प्रति नियुक्ति, मृत्यु, पदत्याग, नियुक्ति की अवधि के अवसान, नियुक्ति की समाप्ति के कारण या किसी भी अन्य कारण से रिक्त हो जाये तो ऐसी रिक्ति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी जो इस धारा के अधीन नियुक्ति के लिये अर्हित हो।

(बी/ख) जब तक कि अध्यक्ष के पद की रिक्ति उपधारा (1) के अधीन भरी न जाये, तब तक ज्येष्ठतम सदस्य अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(8) अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाये।

(9) अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निर्वहन ऐसे न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा जिनका गठन अध्यक्ष द्वारा अधिकरण के सदस्यों में से, जिनमें वह स्वयं सम्मिलित है, किया गया हो;

परन्तु किसी अन्तवर्ती आवेदन की सुनवाई एक या अधिक सदस्यों द्वारा, जो कि उपस्थित हों, की जा सकेगी।

(10) ऐसे न्यायपीठों में दो या दो से अधिक सदस्य होंगे।

(11) जहां किसी मामले की सुनवाई तीन सदस्यों द्वारा की जाये, वहां बहुमत की राय अभिभावी होगी तथा विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा। जहां किसी मामले को सुनवाई समसंख्यक सदस्यों द्वारा की जाये और वे सदस्य अपनी-अपनी राय में बराबर-बराबर बंटे हुए हों वहां, यदि अध्यक्ष उन सदस्यों में से एक सदस्य हो तो, अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी और अन्य मामलों में वह विषय सुनवाई के लिये अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसके विनिश्चिय के अनुसार विनिश्चित किया जायेगा।

(12) अधिकरण अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने के लिये तथा अपने कामकाज के निपाटरे के लिये, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुये, ऐसे विनियम विरचित करेगा जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से संगत हों।

(13) उपधारा (7) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

(14) अधिकरण स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार का आवेदन-पत्र, प्राप्त होने पर किसी ऐसी कार्यवाही के, जिसमें कि कोई अपील उसको न होती हो, अभिलेख में किये गये किसी विनिश्चय या पारित किये गये किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा। यदि किसी मामले में अधिकरण को यह प्रतीत हो कि कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश उपान्तरित किया जाना चाहिये, बातिल किया जाना चाहिये या उलट दिया जाना चाहिए, तो अधिकरण उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि

वह न्याय संगत समझे।

(15) जहां कोई अपील या आवेदन इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को किया गया हो, वहां वह अधिकरण न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिये, यथास्थिति अपील या आवेदन-पत्र का विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तवर्ती आदेश कर सकेगा, जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधा पूर्ण संप्रतीत हों, या ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिये या अधिकरण की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये आवश्यक हो।

(16) इस अधिनियम के अधीन अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और वह किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(17) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाला अधिकरण उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि किसी अपील न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 97 तथा उस संहिता की प्रथम अनुसूची में के आदेश 41 द्वारा प्रदत्त की गई है।

77. **ए/क. पुनर्विलोकन:-** (1) अधिकरण, या तो रजिस्ट्रार का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर या किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह न्यायसंगत समझे :

परन्तु हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी ऐसा आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक अधिकरण का यह समाधान न हो जाये कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् भी आवेदक की जानकारी में नहीं थी या वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जबकि उसका आदेश किया गया था, या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो जाती है, या यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है:

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे आदेश में तब तक कोई फेरफार नहीं किया जायेगा या उसका तब तक पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिये या ऐसे आदेश के समर्थन में सुने जाने के लिये सूचना न दे दी गई हो।

(2) कोई पक्षकार उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के लिये आवेदन अधिकरण के आदेश का संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर करेगा।

77. **बी/ख. अधिकरण सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा:-** (1) अधिकरण को, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय, निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात् :-

(ए/क) शपथ-पत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत;

(बी/ख) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(सौ/ग) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या उसे पेश किये जाने के लिये विवश करना; और

(डी/घ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना।

(2) किसी ऐसे शपथ-पत्र की दशा में, कोई भी ऐसा अधिकारी जो अधिकरण द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया गया हो अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा।

78. **रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें:-** (1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है उसे छोड़कर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपील-

(ए/क) रजिस्ट्रार को उस दशा में होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न हो, पारित किया गया हो, चाहे आदेश पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से विनिहित हो या न हो;

(बी/ख) अधिकरण को उस दशा में होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो।

(2) प्रथम अपील में रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकरण को निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर होगी, न कि अन्य आधारों पर, अर्थात्-

(एक) यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश में विधि के कतिपय तात्विक विवाद्यक का अवधारण नहीं हो पाया है; या

(तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुण पर मामले का विनिश्चय करने में, गलती या त्रुटि हो गई हो।

(3) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के, जिसको कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो, उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर पेश की जायेगी।

परन्तु इस उपधारा के अधीन परिसीमाकाल की संगणना करने में उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा।

78. **ए/क. कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमाकाल का बढ़ाया जाना:-** उन समस्त मामलों में, जिनमें इस अधिनियम के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर फाइल की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण था।

79. **कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा:-** इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर-

(एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिये आदेश किया गया हो; या

(दो) समझौता या ठहराव की या पुनर्निर्माण या समामेलन की कोई स्कीम बनाई गई हो, या

प्रभावशील की गई हो; या

(तीन) किसी सहकारी बैंक की संचालक मंडल के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, अतिष्ठान या निलम्बन के लिये आदेश किया गया हो तथा उसके लिये प्रशासक की नियुक्ति की गई हो।

वहां उसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेश या मंजूरी या अध्यपेक्षा प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

80 मामलों का अंतरण या प्रत्याहरण– रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किसी भी समय,–

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या किन्हीं मामलों के वर्ग के विनिश्चय हेतु, जो उसके समक्ष निपटारे अथवा विचारण के लिए लंबित हैं, अपने अधिनस्थ किसी भी अधिकारी को अंतरित कर सकेगा, जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग को विनिश्चित करने या निपटारा करने में सक्षम हो, या

(ख) अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी लंबित मामले या मामलों के वर्ग को, विचारण या निपटारे हेतु प्रत्याहरित कर सकेगा या किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को, जो ऐसे मामले या मामलों के वर्गों का विनिश्चिय करने या निपटारा करने के लिए सक्षम हो, विचारण अथवा निपटारे हेतु अंतरित कर सकेगा''

ग्यारहवां अध्याय

प्रकीर्ण

81. **सरकार को शोध्य राशियों की वसूली:-** (1) वे समस्त राशियां, जो किसी सोसाइटी या किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या किसी मृत सदस्य द्वारा उस हैसियत में राज्य सरकार को शोध्य हों, जिनके अंतर्गत कोई ऐसे खर्चे भी आते हैं जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन सरकार को दिलवाये गये हों, रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर, उसी रीति में वसूल किये जा सकेंगे जिस रीति में कि भू-राजस्व के बकाया वसूल किये जाते हैं।

(2) वे राशियां, जो किसी सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार को शोध्य हों तथा उपधारा (1) के अधीन वसूली योग्य हों,-

(ए/क) प्रथमत:, सोसाइटी की संपत्ति से,

(बी/ख) द्वितीयत; किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसके कि सदस्यों का दायित्व सीमित हो, सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से, या मृत सदस्यों की सम्पदाओं से, उनके दायित्व की सीमा के अध्यधीन रहते हुए; वसूल की जा सकेगी,

परन्तु मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस सम्पत्ति की सीमा तक ही होगा जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई हो, और

(सी/ग) तृतीयत:, अन्य सोसाइटियों की दशा में, सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से या मृत सदस्यों की संपदाओं से वसूल की जा सकेंगी;

परन्तु भूतपूर्व सदस्यों का या मृत सदस्यों की संपदा का दायित्व समस्त मामलों में धारा 29 के उपबंधों के अध्यधीन होगा।

81.ए/क. **सहकारी सोसाइटी के व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने की किसी वित्तदायी बैंक की शक्ति:-** (1) यदि कोई सहकारी सोसाइटी अपने ऋण उस वित्तदायी बैंक को, जिससे कि उसने वे ऋण लिये हैं, चुकाने में इस कारण असमर्थ हो कि उसके सदस्यों ने उनके द्वारा शोध्य धन का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है, तो वह वित्तदायी बैंक ऐसी सोसाइटी के संचालक मंडल को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे सदस्यों के विरुद्ध धारा 64 के अधीन कार्यवाही करके अग्रसर हो।

(2) यदि सहकारी सोसाइटी के संचालक मंडल वित्तदायी बैंक से ऐसा निदेश प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर अपने व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही न करे तो वित्तदायी बैंक स्वयं ऐसे व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा और उस दशा में इस अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाये गये नियम तथा उपविधियां उसी प्रकार लागू होंगी/होंगे मानो कि उक्त उपबंधों, नियमों तथा उपविधियों में सोसाइटी या उसकी संचालक मंडल के प्रति किये गये समस्त निर्देश वित्तदायी बैंक के प्रति निर्देश हों।

(3) जहां किसी वित्तदायी बैंक ने अपनी ऋणी किसी सोसाइटी के विरुद्ध कोई डिक्री या अधिनिर्णय अभिप्राप्त किया हो, वहां बैंक ऐसे धनों को उस सोसाइटी की आस्तियों से उन ऋणों की सीमा

तक जो कि सोसाइटी द्वारा शोध्य हों, वसूल करने की कार्यवाही कर सकेगा।

82. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन:- (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी-

(ए/क) किसी सोसाइटी का या उपविधियों का या किसी उपविधि के किसी संशोधन का रजिस्ट्रीकरण;

(बी/ख) किसी संचालक मंडल का हटाया जाना तथा इस प्रकार हटाये जाने के पश्चात् सोसाइटी का प्रबंध;

(सी/ग) कोई ऐसा विवाद जिसका कि रजिस्ट्रार को या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को निर्देशित किया जाना अपेक्षित हो;

(डी/घ) किसी सोसाइटी के परिसमापन तथा उसके विघटन से संबंधित कोई मामला।

(2) जब किसी सोसाइटी का परिसमापन किया जा रहा है, तो ऐसी सोसाइटी के कारबार के संबंध में समापक के विरुद्ध उस हैसियत में, या उस सोसाइटी के या उसके किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां रजिस्ट्रार की अनुमति से तथा ऐसे निबंधनों के जैसे कि वह अधिरोपित करे, अध्यधीन रहते हुए ही अग्रसर की जायेगी या संस्थित की जायेगी अन्यथा नहीं।

(3) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश, विनिश्चित या अधिनिर्णय किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

83. खर्चे की वसूली:- कोई राशि, जो धारा 63 के अधीन खर्च के रूप में अधिनिर्णीत की गई हो, रजिस्ट्रार द्वारा, किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाने पर जो उस स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखता है जहां कि वह व्यक्ति, जिससे कि वह रकम दावा की जाने योग्य हैं, निवास करता है या कारबार करता है, ऐसे व्यक्ति की किसी ऐसी संपत्ति को, जो कि ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की सीमाओं के भीतर हो, बेचकर वसूल की जा सकेगी और ऐसा मजिस्ट्रेट उसे वसूल करने के लिये उसी रीति में कार्यवाही करेगा मानो कि यह राशि स्वयं उसके द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो।

84.भार का प्रवर्तन :- सातवें अध्याय में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु वसूली की किसी अन्य रीति पर, जो कि इस अधिनियम में उपबंधित है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी का आवेदन प्राप्त होने पर तथा ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार इस संबंध में बनाये, किसी सदस्य या भूतपूर्व या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को शोध्य किसी ऋण या परादेय मांग का, उस सम्पत्ति या उसमें के किसी हित की, जो धारा 40 की उपधारा (1), धारा 41 की उपधारा (1) तथा धारा 42 की उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन किसी भार के अध्यधीन हो, कुर्की तथा विक्रय द्वारा या ऐसी कालावधि के लिये तथा ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि रजिस्ट्रार या ऐसा अन्य व्यक्ति विनिर्दिष्ट करे, किसी अन्य रीति में उसके अन्तरण द्वारा भुगतान किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा;

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सदस्य पर, भूतपूर्व सदस्य पर या मृत सदस्य के नाम निर्देशित व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि पर आवेदन की सूचना

की तामील न कर दी गई और उसने ऐसी तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऋण या परादेय मांग का भुगतान करने में चूक न की हो।

84-क. कतिपय सोसाइटियों को शोध्य राशियों की वसूली- (1) धारा 64, 69 और 78 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अपनी बकाया शोध्य राशियों की वसूली के लिए आवेदन किया जाने पर रजिस्ट्रार ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, उसमें कथित रकम की वसूली के लिए उसके बकाया के रूप में शोध्य होने का प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकेगा.

(2) रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र उसमें कथित बकाया का अंतिम एवं निश्चायक सबूत होगा और वह भू-राजस्व के बकाया रूप में वसूली योग्य होगा।

85.आदेशों आदि का निष्पादन:- इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेश या किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय या किया गया प्रत्येक विनिश्चय, अपीली या पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेश और समापक द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश या विनिश्चय, यदि कार्यान्वित न किया गया हो,-

(ए/क) रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र के दे दिये जाने पर, सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और उसी रीति में निष्पादित किया जायेगा जिस रीति में कि ऐसे न्यायालय की डिक्री निष्पादित की जाती है; या

(बी/ख) उस विधि के अनुसार तथा उन नियमों के अधीन, जो कि भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिये तत्समय प्रवृत्त हों, निष्पादित किया जायेगा, या

(सी/ग) रजिस्ट्रार द्वारा या इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा सशक्त किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति या सोसाइटी की, जिसके कि विरुद्ध आदेश, विनिश्चय या पंचाट अभिप्राप्त किया गया हो या पारित किया गया हो, किसी संपत्ति को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाये, कुर्क करके तथा अन्तरित करके या बेचकर या कुर्क किये बिना बेचकर निष्पादित किया जायेगा :

परन्तु खण्ड (बी/ख) के अधीन वसूली के लिये कोई भी आवेदन-

(एक) कलेक्टर को किया जायेगा और उसके साथ रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न होगा; और

(दो) आदेश, विनिश्चय या पंचाट में नियत की गई, तारीख से पांच वर्ष के भीतर और यदि ऐसी कोई तारीख नियत न की गई हो, तो यथास्थिति आदेश, विनिश्चय या पंचाट की तारीख से पांच वर्ष के भीतर किया जायेगा।

85-ए/क. स्थावर संपत्ति का कब्जा देने के आदेश को निष्पादित करने की रीति- जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्थावर संपत्ति का कब्जा देने का आदेश इस अधिनियम के अधीन पारित कर दिया गया हो, तो ऐसा आदेश निम्नलिखित रीति में निष्पादित किया जाएगा, अर्थात-

(ए/क) कब्जा रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर एक सूचना की तामील करके जिससे उससे/उनसे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह/वे उक्त सूचना की प्राप्ति के पश्चात् ऐसे समय के भीतर, जैसा कि युक्तियुक्त प्रतीत हो, उसे रिक्त कर दे/दें: और

(बी/ख) यदि ऐसी सूचना का पालन न किया जाए तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसे रिक्त करने से

इंकार करे, हटाकर या हटाने के लिये किसी अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करके, और

(सी/ग) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने वाले अधिकारी का प्रतिरोध करे या उसे बाधा पहुंचाये, तो धारा 3 में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को नियुक्त करके जो मामले के तथ्यों की संक्षिप्त जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाये कि प्रतिरोध या बाधा का कोई न्यायसंगत कारण नहीं था और यह कि ऐसा प्रतिरोध या बाधा अभी भी चालू है, तो वह किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों पर, जिनके कि लिये ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रतिरोध या बाधा संबंधी दंड से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दायी हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा, जो ऐसे अधिकारी की राय में, उस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

86. सूचना की तामील:- (1) ऐसी प्रत्येक सूचना या आदेश की, जो इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन जारी की गई या किया गया है, किसी व्यक्ति पर तामील, उसे रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक पत्र द्वारा या किसी सार्वजनिक सूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति के निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर उचित रूप से संबोधित करके की जा सकेगी.

परन्तु किसी संचालक मंडल के सम्मिलन से संबंधित सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक और/या उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करने के पश्चात् व्यक्तिश: परिदत्त करके जारी की जाएगी.]

(2) कोई अभिस्वीकृति, जिसका कि ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो, या किसी डाक कर्मचारी द्वारा किया गया इस आशय का पृष्ठांकन कि उस व्यक्ति ने परिदान लेने से इनकार कर दिया है, तामील का प्रथम दृष्टया साक्ष्य समझा जा सकेगा।

[3][परन्तु यदि सूचना की तामील इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों, या सोसाइटी की उपविधियों के अधीन उपबंधित किसी रीति में नहीं की जा सकती हो तो उसकी एक प्रति उस व्यक्ति के, जिसे सूचना दी जानी है, अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर या ऐसे स्थान में लोक समागम के किसी स्थान पर लगाई जायेगी।

87. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी आदि, लोक सेवक होंगे:- ऐसा प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति तथा साथ ही किसी सहकारी बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक कर्मचारी या प्रत्येक प्राधिकारी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों के अधीन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का. सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

88. सदभावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये परित्राण:- रजिस्ट्रार या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उसका अधीनस्थ हो या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा हो, विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई हो या जिसका कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य

विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

89. सिविल न्यायालयों की शक्तियां:- रजिस्ट्रार उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो किसी विवाद का विनिश्चय कर रहा हो, तथा किसी सोसाइटी के समापक को, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते समय, निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को होती है, अर्थात्-

(ए/क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(बी/ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना;

(सी/ग) शपथ-पत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत, और

(डी/घ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना।

(2) किसी शपथ-पत्र की दशा में, यथास्थिति रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, उसका नाम निर्देशित व्यक्ति या नामनिर्देशित व्यक्तियों का बोर्ड या समापक अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा।

90. रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सशक्त किया गया व्यक्ति कतिपय प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय होगा:- रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में सशक्त किये गये किसी व्यक्ति को जबकि वह किसी संपत्ति को कुर्क करके तथा बेचकर या कुर्क किये बिना बेचकर कोई रकम वसूल करने के लिये इस अधिनियम या अन्य अधिनियम के अधीन की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या जबकि वह किसी ऐसे आवेदन पर, जो कि ऐसी वसूली करने के लिये या ऐसी वसूली करने के हेतु सहायक कदम उठाने के लिये उसको किया गया हो, कोई आदेश पारित कर रहा हो, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 (1908 का संख्यांक 9) की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 182 के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

92. कम्पनी अधिनियम लागू नहीं होगा:- कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 1) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे।

93. कतिपय अन्य अधिनियम सहकारी सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे:- मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958), मध्यप्रदेश इंडिस्ट्रियल वर्कमेन (स्टेण्डिंग आर्डर्स) एक्ट. 1959 (क्रमांक 19 सन् 1959) तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई किसी सोसाइटी को लागू नहीं होगी।

94. वादों में सूचना देना आवश्यक होगा:- किसी सोसाइटी या उसके अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी ऐसे कार्य के संबंध में, जो उस सोसाइटी के गठन, प्रबंध या कारबार से संबंधित हो, कोई भी वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी लिखित सूचना, जिसमें कि वाद हेतुक, वादी का नाम, विवरण तथा उसका निवास स्थान एवं वह अनुतोष, जिसका कि वह दावा

करता हो, कथित किया गया हो, रजिस्ट्रार को परिदत्त कर दी जाने या उसके कार्यालयों में छोड़ दी जाने के पश्चात् से आगामी दो मास का अवसान न हो गया हो और वाद पत्र में यह कथन अन्तर्विष्ट होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार परिदत्त की जा चुकी है या छोड़ी जा चुकी है।

95. **नियम बनाने की शक्ति:-** (1) सरकार, संपूर्ण राज्य के लिये या उसके किसी भाग के लिये तथा किसी सोसाइटी या किसी वर्ग की सोसाइटियों के लिये, नियम ऐसी सोसाइटी के या ऐसे वर्ग की सोसाइटियों के कामकाज के संचालन या विनियमन के हेतु तथा इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम-

(ए/क) धारा 3 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, उन शक्तियों का, जो कि रजिस्ट्रार में निहित है, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों को प्रत्यायोजन विहित कर सकेंगे तथा रजिस्ट्रार को उपविधियों के प्रस्थापित संशोधन की प्रतिलिपियां भेजने की रीति विहित कर सकेंगे।

(बी/ख) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने में प्रयोग में लाये जाने वाले प्ररूप तथा अनुपालन की जाने वाली शर्तें एवं ऐसे आवदेनों के विषय में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे।

(सी/ग) वे विषय, जिनके संबंध में कोई सोसाइटी उपविधियां बना सकेगी अथवा जिनके संबंध में उपविधियां बनाने के लिये रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को निदेश दे सकेगा, तथा वह प्रक्रिया, जिसका कि अनुसरण उपविधियां बनाने, उनमें परिवर्तन करने तथा उन्हें निराकृत करने में किया जायेगा एवं वे शर्तें जिनको कि उपविधियों के इस प्रकार बनाये जाने, परिवर्तित किये जाने या निराकृत किये जाने के पूर्व पूरा किया जायेगा, विहित कर सकेंगे।

(सी/ग-1) किसी सोसाइटी के किसी सदस्य के प्रशिक्षण के लिये कालावधि विहित कर सकेंगे तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हाजिर होने के लिये किसी सोसाइटी के किसी सदस्य से अपेक्षा करने की रीति विहित कर सकेंगे।

(सी/ग-2) किसी संघीय सोसाइटी के वैयक्तिक सदस्य के मतदान संबंधी अधिकार का विनियमन करने की रीति विहित कर सकेंगे:-

(डी/घ) सोसायटी का नाम या उसका दायित्व तब्दील करने के लिये तथा उसके पुनर्संगठन या पुनर्गठन के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा अनुपालन की जाने वाली शर्तें विहित कर सकेंगे:

(ई/ङ) वे शर्तें, जिनका अनुपालन सदस्य के रूप में प्रवेश के लिये आवेदन करने वाले या सदस्य के रूप में प्रविष्ट किये गये व्यक्ति द्वारा किया जावेगा, विहित कर सकेंगे तथा सदस्यों के निर्वाचन एवं प्रवेश के लिये तथा सदस्यता के अधिकार का प्रयोग करने के पूर्व किये जाने वाले भुगतान एवं अर्जित किये जाने वाले हित के लिये उपबंध कर सकेंगे।

(एफ/च) धारा 24 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, किसी सोसाइटी के अंशों की वह अधिकतम संख्या या उसकी पूंजी का वह भाग, जो कि किसी सदस्य द्वारा धारण किया जा सकेगा, विहित कर सकेंगे।

(जी/छ) सदस्यों के वापिस लिये जाने या हटाने जाने तथा उनको संदाय करने के लिये उपबंध कर सकेंगे।

(एच/ज) उस व्यक्ति के, जिसे कि किसी मृत सदस्य का अंश या हित संदत्त या अंतरित किया जा सकेगा, नाम निर्देशन के लिये उपबंध कर सकेंगे।

(आई/झ) किसी भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के अंश या हित का मूल्य अभिनिश्चित करने के लिये उपबंध कर सकेंगे।

(जे/ञ) उधार के लिये आवेदन करने वाले सदस्यों को किये जाने वाले भुगतान तथा उनके द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें, वह कालावधि जिसके लिये उधार दिये जा सकेंगे तथा वह रकम, जो किसी एक सदस्य को उधार दी जा सकेगी, विहित कर सकेंगे।

(जे/ञ-1) किसी संसाधन सोसाइटी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिये स्थानों के आरक्षण के लिये अनुपात विहित कर सकेंगे तथा यह उपबंध कर सकेंगे कि उपर्युक्त जातियों, जनजातियों या वर्गों का कोई सदस्य किसी संसाधन सोसाइटी के अध्यक्ष/सभापति या उपाध्यक्ष/उपसभापति का पद धारण करेगा।

(के/ट) रजिस्ट्रार के या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के कार्यालय में दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये तथा उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ दी जाने के लिये फीस के उद्ग्रहण के लिये उपबंध कर सकेंगे।

(एल/ठ) सदस्यों का रजिस्टर और जहाँ सदस्यों का दायित्व अंशों द्वारा परिसीमित हो, वहाँ अंशों का रजिस्टर तथा सदस्यों की सूची बनाई जाने तथा रखी जाने के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(एम/ड) यह सुनिश्चित करने के लिये उपबंध कर सकेंगे कि किसी सोसाइटी की अंशपूंजी यह सुनिश्चित करने के लिये कि अंश के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी और आवश्यकतानुसार सोसाइटी के लिये आवश्यक पूंजी उपलब्ध रहेगी, आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकेगी;

(एन/ढ) वे निबन्धन तथा शर्तें जिन पर कि सरकार सोसाइटियों को अंशपूंजी अभिदाय कर सकेगी या उन्हें वित्तीय या अन्य सहायता दे सकेगी, और वे निबंधन तथा शर्तें, जिन पर कि सरकार सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों या लिये गये उधारों के मूलधन या उन पर के ब्याज के भुगतान के लिये प्रतिभूति दे सकेंगी, विहित कर सकेंगे;

(ओ/ण) वह रीति, जिसमें किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग द्वारा अंशों के या डिबेंचरों के आधार पर या अन्यथा निधियाँ इकट्ठी की जा सकेंगी और इस प्रकार इकट्ठी की गई निधियों की मात्रा विनियमित कर सकेंगे;

(पी/त) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय ऋण या बकाया माँग के ब्यौरे के बारे में तहसीलदार को संसूचना देने की रीति विहित कर सकेंगे;

(क्यू/थ) वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा कोई सोसाइटी डूबन्त ऋणों की संगणना करेगी तथा उन्हें बट्टे खाते डालेगी, विहित कर सकेंगे;

(आर/द) आरक्षित निधियाँ बनाई जाने तथा रखी जाने एवं उद्देश्यों, जिनके कि लिये ऐसी निधियाँ उपयोजित की जा सकेंगी, के लिये तथा सोसायटी के नियंत्रणाधीन किसी निधि, जिसके अंतर्गत आरक्षित निधि आती है, के विनियोजन तथा उपयोग के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(एस/ध) वह दर, जिस पर कि कोई सोसाइटी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के लेखे अभिदाय करेगी, विहित कर सकेंगे;

(टी/न) धारा 44 के अधीन किसी सोसाइटी की निधियों के विनिहित किये जाने का प्रकार तथा किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के किसी वर्ग में विनिधान का अनुपात विहित कर सकेंगे;

(यू/प) किसी ऐसी भविष्य निधि के प्रति, जो कि ऐसी सोसाइटी द्वारा उन अधिकारियों या कर्मचारियों के, जो कि उनके द्वारा नियोजित किये गये हों, फायदे के लिये स्थापित की गई हों अभिदाय के संदाय के लिये तथा ऐसी भविष्य निधि के प्रशासन के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(व्ही/फ) सदस्यों के साधारण सम्मिलनों के लिये तथा ऐसे सम्मिलनों में की प्रक्रिया तथा ऐसे सम्मिलनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(डब्ल्यू/ब) संचालक मंडल के सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, उनके निलंबन एवं उनके हटाये जाने के लिये तथा धारा 53 के अधीन किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये उपबंध कर सकेंगे और समिति के सम्मिलनों में की प्रक्रिया विहित कर सकेंगे तथा संचालक मंडल व्यक्ति या व्यक्तियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों तथा पालन किये जाने वाले कर्तव्यों के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(एक्स/भ) किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग के संचालक मंडल के सदस्यों, प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों के लिये अर्हताएँ और निरर्हता तथा सेवा शर्तें विहित कर सकेंगे जिनके अध्यधीन रहते हुये व्यक्तियों को सोसाइटी द्वारा नियोजित किया जा सकेगा।

(बाई/म) सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ विहित कर सकेंगे तथा ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसे प्ररूप जिसमें ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत की जायेंगी, के संबंध में उपबंध कर सकेंगे;

(जेड/य) ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा ऐसे प्ररूप जिसमें दस्तावेजों तथा सोसाइटी की पुस्तकों में की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियाँ प्रमाणित की जा सकेंगी, के संबंध में तथा उनकी प्रतिलिपियों का प्रदाय किया जाने के लिये उद्ग्रहित किये जाने वाले प्रभारों के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(एए/कक) वे लेखे तथा पुस्तकें, जो सोसाइटी द्वारा रखी जानी हों, विहित कर सकेंगे तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा एवं ऐसी संपरीक्षा के लिये किये जाने वाले प्रभारों, यदि कोई हों, के लिये तथा किसी सोसाइटी की आस्तियाँ तथा उसका दायित्व दर्शाने वाले तुलनपत्र के नियतकालिक प्रकाशन के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(बीबी/खख) रजिस्ट्रार के नाम निर्देशित व्यक्ति या नाम निर्देशित व्यक्तियों के बोर्ड की नियुक्ति के लिये, उन कार्यवाहियों में, जो रजिस्ट्रार उसके नाम निर्देशित व्यक्ति या नाम निर्देशित व्यक्तियों के बोर्ड के समक्ष हो, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिये तथा विवाद के अवधारण के लिये व्ययों के नियत तथा उद्ग्रहित किये जाने के लिये और ऐसी कार्यवाहियों में विनिश्चयों को प्रवृर्तित या अधिनिर्णयों को निष्पादित करने के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(सीसी/गग) आदेशिकाओं के जारी किये जाने तथा उनकी तामील के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(डीडी/घघ) इस अधिनियम या नियमों के अधीन शोध्य किन्हीं राशियों की वसूली के लिये प्रक्रिया तथा उसकी पद्धति विहित कर सकेंगे;

(ईई/ङङ) धारा 68 के अधीन कुर्क की गई संपत्ति की अभिरक्षा के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;

(एफएफ/चच) धारा 71 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिये प्रक्रिया तथा शर्तें एवं किसी समापक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे और अधिशेष आस्तियों के व्ययन के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(जीजी/छछ) अधिकरण को होने वाली अपीलों से भिन्न अपीलें पेश करने तथा निपटारे में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;

(आईआई/झझ) किसी ऐसे आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय के, जिसका संसूचित या प्रकाशित किया जाना इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित है, संसूचित किये जाने या प्रकाशित किये जाने की पद्धति विहित कर सकेंगे;

(जेजे/ञञ) समस्त ऐसे विषयों के लिये, जिनका कि नियमों द्वारा विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात हो, उपबंध कर सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

96. निरसन तथा व्यावृत्तियाँ :- (1) महाकौशल क्षेत्र को लागू हुये रुप में को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 (क्रमांक 2 सन् 1912), मध्यभारत सहकारी संस्था विधान, 1955 (क्रमांक 9 सन् 1955), विन्ध्य प्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज आर्डिनेन्स 1949 (क्रमांक-21 सन् 1949), भोपाल स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1937 (क्रमांक 11 सन् 1937) तथा सिरोंज क्षेत्र को लागू हुये रूप में राजस्थान को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1953 (क्रमांक 4 सन् 1953) एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी-

(एक) किसी भी ऐसी सोसाइटी के, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई अधिनियमितियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है और उसकी उपविधियों के, जहाँ तक

कि वे इस अधिनियम के उपबंध से असंगत न हो, संबंध में यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है और तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि परिवर्तित या विखंडित न कर दी जाये।

(दो) उक्त अधिनियमितियों में से किसी भी अधिनियमिति के अधीन की गई समस्त नियुक्तियों, बनाये गये नियमों, किये गये आदेशों, जारी की गई अधिसूचनाओं तथा सूचनाओं एवं संस्थित किये गये वादों तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में यावत्शक्य यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम के अधीन क्रमश: की गई है, बनाये गये हैं, किये गये हैं, जारी की गई तथा संस्थित की गई है।